राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 2 चतुर्थ विधान सभा के द्वितीय सत्र का छटा दिवस संख्या 4

मंगलवार, दिनांक 23 जनवरी, 1968,

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·02 विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(तारांकित प्रश्नोत्तर)

[राजस्व, सिंचाई, खाद्य, समाज कल्याण, वित्त, अकाल सहायता, वन राजस्थान केनाल, उपनिवेशन, विकास व पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

लाखेरी में पान की खेती

59. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लाखेरी में पान की खेती सदैव से होती रही है? यदि हां, तो सन् 61 से 67 तक लाखेरी ग्राम में कुल कितने व्यक्तियों द्वारा, कब कब, कौन कौन से रकबे में पानों की खेती की गई है? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा उक्त भूमि को ऐसे व्यक्तियों के खाते पर दर्ज कर दी गई है जिन्होंने आज तक भी पानों की खेती नही की है?

(3) क्या यह सही है कि पानों की खेती करने वालों को उक्त भूमि से वंचित करके कुछ व्यक्तियों के नाम पर ही खातेदारी हक दे दिया है? और पानों की खेती करने वालों का इन्द्राज नहीं किया गया है?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) जी हां लाखेरी में पानों की खेती अस्थाई रूप से सदैव से होती है सन् 1961 से 67 तक लाखेरी ग्राम में जिन जिन व्यक्तियों द्वारा जिन रकबों में पानों की खेती की गई है तालिका संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली): तालिका की एक प्रति जो मुझे मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है। एक ही कापी आई है जो कि ऑफिस के लिये है।

श्री गंगाराम : कापी दे दी गई है।

केसरीसिंह हाडा : केवल एक ही कापी आई है । आपने यह फरमाया कि बन्दोबस्त पनवाड़ी ही जोत रहे हैं । मगर मेरे पास ऐसी सूचना है कि वर्षों से

Page No. 2

(श्री केसरीसिंह हाडा)
पनवाड़ी काम में लेते थे वह दूसरों के खाते बान्ध दी है। क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : बन्दोबस्त का काम पूरा हो चुका है और जिसने उजरदारी की है उनका भी फैसला हो चुका है। अब यह बन्धी या नहीं बन्धी सेटिलमेंट के बाद यह प्रश्न अराईज नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री केसरीसिंह हाडा : उजरदारी भी की गई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : की गई होगी तो फैसला हो गया होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल

मोडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी व सरकार के मध्य विवादों के मामले।

60. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि राणाप्रताप सागर बान्ध के सम्बन्ध में माडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी व सरकार के मध्य विवाद को निपटाने, के लिये आर्बीट्रेशन बैठा हुआ है ? अगर हां, तो कब से ?

(2) प्रारम्भ में कब कितनी राशि के किस किस विवाद को आर्बीट्रेशन के सुपुर्द किया गया ?

(3) कब कब, किस किस विवाद र कितनी कितनी राशि के मामले बाद में और आर्बीट्रेशन को सुपुर्द किये गये ?

(4) अभी तक, कब कब, किस किस विवाद पर कितनी कितनी राशि के विवाद पर फैसला हो चुका है व अब कितना बकाया है ?

(5) आर्बीट्रेशन के अधीन विवादग्रस्त मामालों में से कितनी कितनी राशि का कब कब, कम्पनी को चुकावडा किया गया ?

(6) सरकार की ओर से आर्बीट्रेशन में पैरवी करने के लिये किन किन वकीलों को कब कब नियुक्त किया गया ? व उन्हें किस किस हिसाब से कितना कितना रुपया चुकाया गया अथवा बकाया है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा):
(1) आर्बीट्रेटर ने अवार्ड दे दिया है।

(2) प्रारम्भ में 26 विवाद रुपये 70.47 लाख की धनराशि के आर्बीट्रेटर के सम्मुख तारीख 11-12-64 को प्रस्तुत किये गये थे।

(3) बाद में आर्बीट्रेटर के सम्मुख में कोई विवाद प्रस्तुत नहीं किया गया।

(4) आर्बीट्रेटर ने अपना अवार्ड 22 विवादों पर तारीख 3-11-67 को दे दिया है और चार विवाद इससे पूर्व ही तारीख 26-10-66 को वियड्रा करा लिये गये थे।

(5) आर्बीट्रेटर के अधीनस्थ विवादग्रस्त मामलों में कम्पनी को कोई भुगतान नहीं किया गया अलबत्ता सरकार द्वारा अधिशासी अभियन्ता मैंन डेम डिविजन द्वारा बिलों को प्रस्तुत करने पर कुछ स्पेसीफाईड आईटम्स

Page No. 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

के लिये दस लाख रुपये का एड हॉक भुगतान किया गया है। जो मामलों के अन्तिम रूप से तय हो जाने की शर्त पर था।

श्री रामकिशन (वैर) : 6 का जवाब बाकी रहा।

श्री अध्यक्ष : 6 के सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्य से भी इस सम्बन्ध में बात की है। यह एक नाजुक बात है। इलेक्शन पीटिशन का प्रश्न है। माननीय सदस्य उस पर सोचें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : न तो मैं यह पूछना चाहता हूं, मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि कितनी-कितनी राशि दी गई है। यह बताने की कृपा करें। यह सब ज्यूडिस हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेंटरी में पूछ लीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि आर्बीट्रेशन के सम्मुख कुछ इश्यज और पेन्डिंग हैं, जिनका निर्णय बाकी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो प्रस्तुत किया गया है विवाद ग्रस्त 26 मामले हैं, उन पर निर्णय हो चुका है। आर्बीट्रेशन के सम्मुख अभी कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो राशि आर्बीट्रेशन ने प्रेषित की है वह राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अवार्ड आर्बीट्रेशन ने दे दिया था। उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने हमारी ओर से डिस्ट्रिक्ट जज, कोटा को भेज दिया है। आबजेक्शन फाईल कर दिया गया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह सही है कि 10 लाख रुपया जो पेमेन्ट किया गया है, उसका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। आपने बताया 10 लाख रुपया दिया गया था। आर्बीट्रेशन उनके सम्बन्ध में नहीं है बल्कि सेपरेट पेन्डिंग बिल के सम्बन्ध में है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 10 लाख रुपया एड हाक पेमेन्ट किया गया है उसका एडजस्टमेंट हुआ है या नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 10 लाख में 6 लाख 84 हजार का हो चुका है।

श्री रामकिशन : बाकी 4 लाख का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विचाराधीन है। आर्बीट्रेशन की फाईनल डिक्री अभी तक नहीं हुई है। सरकार की ओर से क्वेश्चन कर लिया गया है। यह जेर कार्यवाही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो आर्बीट्रेशन राज्य सरकार के खिलाफ कर दिया गया है, उसका विश्लेषण किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को यह पूछना नहीं चाहिये। जब कि अदालत में यह जेर कार्यवाही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल क्या सरकार इन सारे प्रश्नों पर जांच कराने का विचार रखती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी जांच हो रही है। मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सरकार ने इस आर्बीट्रेशन के लिये किन-किन व्यक्तियों को कितने कितने रुपयों का चुकारा किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं पूछ रहा हूं।

Page No. 4

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
मेरा मतलब है कि सरकार ने आर्बीट्रेशन के सम्मुख जो खर्चा हुआ है वह किन-किन व्यक्तियों को कितना-कितना दिया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा मेरे ख्याल से ओवर टाईम क्लर्क को दिया गया है बाकी किसी को नहीं दिया गया है । यह आर्बीट्रेशन व फीस का हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं जहां तक, अध्यक्ष महोदय, जो भी आपका आदेश होगा पूरी पालना करने को तैयार हूं । कोई प्रश्न ऐसा न पूछा जायगा जो सब-ज्यूडिस होगा । मैंने केवल खण्ड 6 की जानकारी चाही है । मैं इतना जरूर चाहूंगा कि इसके लिये किन-किन लोगों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ।

श्री रामकिशन : इसमें क्या दिक्कत है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने अर्ज कर दिया आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछना चाहते हैं कि कितना रुपया दिया गया और कितनों का बाकी है यह आपको कोशिश नहीं करनी चाहिये जबकि इस प्रश्न को अलाउ नहीं किया गया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): किसको कितना पेमेन्ट किया गया कि यह सब-जुडिस नहीं है पेमेन्ट कर दिया गया उनके अपोइन्टमेन्ट की सर्टिफाइड कोपीज हैं, उन्होंने रेजीग्नेशन दिया उसकी कापीज हैं । आपने कितने वकील साहबान को भुगतान किया है, कितने दिन का किया है और किस हिसाब से किया है ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न तनकीह तलब होने से नाजुक है अतः माननीय सदस्य इसको ख्याल में रखते हुए ऐसे प्रश्न न पूछें तो ज्यादा अच्छा है । फिर भी माननीय सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए मैं इस प्रश्न के भाग 6 को पोस्टपोन कर देता हूं केवल पार्ट सिक्स । यह मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने हैं अतः इस भाग को फिर ले लिया जायगा।

श्री रामकिशन : वकीलों के भुगतान का सवाल कैसे तनकीह हो गया यह समझ में नहीं आया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तमाम प्रश्न को ही पोस्टपोन कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : दी होल क्वश्चन इज पोस्टपोन

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मैं अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत सरकार से आश्वासन चाहता हूं कि इतनी ज्यादा धनराशी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसकी जांच ठीक प्रकार से हो और इस प्रकार से जनता के पैसे का भविष्य में दुरुपयोग न होने पावे ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट ! श्री दीपचन्द छंगाणी ।

फलोदी नगर में अनाज व चीनी का वितरण

61. **श्री दीपचन्द छंगाणी** (फलौदी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

फलौदी नगर की जनता द्वारा विगत में किये गये आन्दोलनो के फलस्वरूप नगर की जनता को प्रतिमाह 7 किलो सस्ते गेहूं, 2 किलो ज्वार व 1 किलो अन्य मोटा अनाज एवं 1 किलो दानेदार शक्कर नियमित रूप से देने का जो वायदा राज्य सरकार की ओर से किया गया था उसे क्या अब तक बराबर निभाया जा रहा है अगर नहीं तो क्यों ? तथा अभी जनता को कितना कितना गेहूं व कितनी दानेदार शक्कर दी जा रही है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेवसिंह) : जनता द्वारा आन्दोलन करने मे राज्य सरकार ने कोई भी वस्तु की निश्चित मात्रा में केवल फलौदी नगर में विशेष रूप से ही वितरण किये जाने हेतु कोई आश्वासन नहीं दिया था, वरन् राज्यनीति के अनुरूप ही फलौदी नगर में गेहूं, मोटा अनाज, चीनी वितरण कराई जा रही है।

श्री दीपचन्द छंगाणी : खाद्य मंत्री उस समय खुद मौजूद थे और यह आश्वासन दिया गया था कि 7 किलो गेहूं, दो किलो जवार कोर्स धान और एक किलो शक्कर नियमित रूप से दी जायगी क्या यह सच है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): गेहूं और चीनी का वितरण भारत सरकार द्वारा अलोटमेन्ट पर निर्भर रहता है। उनके द्वारा जब मात्रा घटा दी जाती है तो उसी अनुपात में वितरण में कमी की जाती है। केवल फलौदी नगर को किसी भी हालत में यह आश्वासन नहीं दिया गया था कि हर परिस्थिति में उनको इतना गेहूं और चीनी दी जायगी। चीनी भारत सरकार 9 हजार टन के करीब देती है और 38 हजार टन गेहूं और माइलो दोनों मिलाकर देती है भारत सरकार द्वारा आवंटन कम करने पर उसके अनुपात में जितना दूसरे शहरों में कम किया गया उसी अनुपात में फलौदी में भी कम किया है।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री गंगासहाय।

अनुसूचित जाति व अनसूचित जन जाति के लोगों के लिये अलग कुंए व टंक

62. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये अलग से कुए व टंक बनवाये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार की व्यवस्था से अस्पृश्यता निवारण की नीति पर विपरीत प्रभाव पडता है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं। अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को सार्वजनिक जलाशयों के अतिरिक्त सुविधा के लिये पीने के पानी भरने के अधिकारों के लिये पीने के पानी के कुओं के निर्माण के लिये सहायता दी जाती है। इन कार्यों पर अन्य वर्गों के पानी पीने की मनाई नहीं है। अतः अस्पृश्यता निवारण की नीति पर विपरीत प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गंगासहाय : ये अलग कुए बनवाने से क्या छुआछूत में किसी प्रकार की कमी हुई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अलग कुए जो बनाते हैं वे आर्थिक दृष्टिकोण से बनाये जाते हैं दूसरी जातियों से प्रथक्करण करने के लिये नहीं।

श्री गंगासहाय : इसके पीछे आर्थिक दृष्टिकोण किस प्रकार से है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह उनकी सुविधा के लिये भी है।

श्री रामकिशन (वैर) : सरकार क्या इस प्रकार सोच नहीं सक्ती कि इससे तो

(श्री रामकिशन)

छुआछूत बढ़ती है घटती नहीं तो क्या सरकार सवर्णों के लिये भी इन्हीं के साथ एक जगह पानी भरने के लिये व्यवस्था करेगी ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : प्रयत्न किया जाता है इन कुओं से सवर्ण लोगों को पानी पीने के लिये मना नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): इस प्रकार से अलग कुओं का निर्माण नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

ईटाराना की रूंध में फसलों को नुकसान

63. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिलाधीश के पास ईटाराना रूंध के आसपास के गांवों के किसानों जैसे सांभोला, ईटाराना, पालका, देवखेड़ा, देसूला आदि आदि की आवारा गायों द्वारा फसलें बरबाद करने की शिकायतें बार बार प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ईटाराना रूंध में सैकड़ों ऐसी आवारा गायें रहती हैं जो किसानों की खडी फसलों को बरबाद करती रहती हैं ?

(3) क्या सरकार का किसानों को इस भारी नुकसान से बचाने और अनाज की उपज की रक्षा करने के लिये कोई कारगर कदम उठाने के बारे में विचार है? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) (1) जी हां ।

(2) कुछ आवारा गायें ईटाराना रूंध में रहती हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं ।

(3) जिन ग्रामों में इन गायों से नुकसान होता है उन ग्रामों में पंचायत एवं न्याय पंचायत नियम 1961 के नियम 208 (1) (2) (3) को लागू करने की कार्यवाही की गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, केवल आपके नियमों से इन गायों की समस्या हल नहीं हो सकती । प्रश्न यह है कि ईटाराना रूंध है वहां तो गायें ऐसी ही पडी रहती हैं उसकी चार दीवार टूटी हुई है उन दीवारों को फान्दकर गायें खेतों में घुस जाती हैं यह खुला रास्ता उनके लिये है इसकी कोई प्राइवेट पार्टी तो मरम्मत नहीं कर सकती इसलिये या तो इसका हल यह हो सकता है कि या तो गायों को पकड़वाइयें, उनको गौशाला में भिजवाइये, पिन्जरापोल में भिजवाइये या इसके अलावा जो फौरन काम हो सकता है वह यह कि उस टूटी हुई दीवार को ठीक करवाया जाय तो भी 75 प्रतिशत फायदा मिल सकता है ?

श्री अध्यक्ष : क्या सरकार इस दीवार को ठीक कराने का इरादा रखती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पंचायत नियम के अन्तर्गत इन गायों को काजी हाउस में लिया जाय तो उसके अन्तर्गत यह किया जा सकता है गायों को उसमें दाखिल करने के बाद थोड़े समय में ही उनको नीलाम कर दिया जाता है, दो दिन में ही नीलाम कर दिया जाता है और उससे जो रुपया आता है उसमें से पांच रुपया प्रति गाय लाने वाले को दिया दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : इसके अन्तर्गत कितनी गायें नीलाम हुई ?

श्री गंगाराम चौधरी : इसकी सूचना, नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पंचायतों के अन्दर केटल पोन्ड बनाने का नियम है वे ऐसे मवेशियों के लिये है जो साधारण नागरिकों के हैं जिनके मालिक होते हैं वे उनको जुर्माना देकर छुड़ा लेते हैं लेकिन जिन गायों का कोई मालिक नहीं जो मालिक बनने का दावा करते हैं वे भी मालिक नहीं बनना चाहते, आन्दोलन करते हैं, वे भी उनको ले जाना नहीं चाहते ; इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा जब तक इन गायों के लिये चराने का इन्तजाम इस तरह का हो जैसे गोशाला पिन्जरापोल हो वहां पर इनको भेज दिया जाय या इस क्षेत्र में जो दीवार टूटी हुई उसको ठीक कर दिया जाय तो इस समस्या का काफी हद तक हल हो सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां के कलेक्टर ने आश्वासन भी दिया था कि यह समय तो निकलने दो । वहां पर इस बारे में जलसा भी निकाला था, गोरक्षा का जिस समय आन्दोलन चल रहा था उस समय भी आन्दोलन हुआ, उस समय यह आश्वासन दिया था कि इसको ठीक किया जायगा । यह वहां की स्टेन्डिंग प्रोब्लम है । इन गायों के कारण वहां की फसल बरबाद हो जाती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा उस दीवार को बन्धवादें तो इसका हल निकल सकता है इमीजियेटली ।

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्व विभाग तो इस बारे में और क्या कर सकता है ।

श्री रामकिशन : ये गायें ऐसी नहीं जिनको पकड़ कर रखा जा सके यदि कोई पकड़ने जाय तो सींगों पर उछाल देती हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह दो बैलों की मां नहीं है । वे ऐसी गायें हैं जो हाथ ही नहीं आती हैं ।

श्री गंगाराम चौधरी पशुपालन अधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया गया है वे इस बारे में गौशालाओं से सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, इन गायों को लेने के लिये तैयार हों इस बारे में जिलाधीश व पशुपालन अधिकारी कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): बैलों के निशानवालों, अपनी माता का तो ख्याल रखो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बैलों का निशान होने की वजह से तो हिचकिचाहट नहीं है?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : गौरक्षा आन्दोलन करने वालों की तरफ से व्यवस्था हो जाय तो ठीक है ।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): राज्य सरकार ने पंचायतों में सांड रख रखे हैं वे सांड 170 गर्भाधान के बाद खराब हो जाते हैं उन सांडों को रखने की कोई व्यवस्था नहीं है ये लावारिश की तरह फिरते हैं इनकी सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री अध्यक्ष : उनसे गायों का प्रजजन् होता है क्या ?

(श्री रावत बार बार बोलने खड़े हुए)

आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री लाभचन्द बंद (सुजानगढ़): क्या गिरधारीलाल जी गौरक्षा के पक्ष में नहीं हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : गौरक्षा आन्दोलन के समर्थक के रूप में ही बात करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री गिरधारीलाल जी गौरक्षा में विश्वास रखते हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बाद में बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर प्लीज।

नेक्स्ट, श्री केदारनाथ।

मंगला बांध का प्रभाव

64. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाकिस्तान में मंगला बांध बन जाने के कारण गंग कैनाल क्षेत्र में क्या सिंचाई में अन्तर आने वाला है?

(2) क्या सरकार गंग कैनाल में 80 प्रतिशत इन्टेन्सिटी कर देगी?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) जी हां।

(2) अभी तहकीक तौर पर नहीं कहा जा सकता है।

श्री केदारनाथ : इन्ड्स वाटर ट्रीटी के तहत मंगला डैम बनने के बाद पाकिस्तान को रिवर्स का पानी वापिस मिलना शुरू हो जायेगा क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह बात सही है कि इन्डस वाटर ट्रीटी के अनुसार जो फैसला हुआ है उससे मंगला डैम के बनने के बाद और साथ ही साथ उसकी जो लिंक चैनल है उस सिस्टम के बन जाने के बाद हिन्दुस्तान को उस ट्रीटी के मुताबिक करीब 15 मिलियन एकड़ फुट पानी मिलने लग जायेगा और उस 15 मिलियन एकड़ फुट पानी के मिलने पर उसका बंटवारा जो राजस्थान, पंजाब हरियाणा, जम्मू और कश्मीर स्टेट्स के बीच में एक निर्णय 1959 में लिया गया उसके अनुसार राजस्थान का हिस्सा 15 मिलियन एकड़ फुट में से 8 मिलियन एकड़ फुट है और उस 7 मिलियन एकड़ फुट में पंजाब उस समय था और अब पंजाब और हरियाणा आगया है उसका है ...

श्री रामकिशन (वैर) : नहीं, नहीं। हम पूछ रहे हैं कि आप पर क्या असर पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जब पानी मिलने लग जायेगा ...

श्री रामकिशन : बांध तो बन गया अब क्या असर पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मंगला डैम पाकिस्तान ने बनाया और जिस समय यह इण्डस वाटर ट्रीटी हुई थी तो उस समय इसकी टारगेट डेट 31 मार्च 1970 रखी थी और 31 मार्च, 1970 के बाद हिन्दुस्तान को पानी मिलना था। मंगला डैम को पाकिस्तान ने जो उनकी शिड्यूल्ड टारगेट डेट थी उससे लगभग 2 साल पूर्व बना लिया......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर): यह है काम।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी बातें आपको बता देता हूं फिर कहना।

श्री अध्यक्ष : कुछ संक्षेप में बतायें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस डेम के बन जाने के बाद अभी उनकी लिंक चेनल्स पूरी नहीं बनी हैं इसलिये पूरी सप्लाई जो 1970 के बाद मिलेगी और वह भी उनका अधिकार है कि 3 साल की अवधि कम्पन्सेशन की शर्त पर बढ़ाने की लेकिन इस साल क्योंकि मंगला डेम बन गया तो उससे लगभग 400 क्यूसेक्स वाटर विथड्रा किया है गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने और अपने हिस्से में करीब 200 क्यूसेक्स आता है और उसमें अपना हिस्सा लगभग 43 प्रतिशत बनता है और बाकी के पानी में दूसरे होते हैं। तो उस हिसाब से 200 क्यूसेक्स इस साल भी 31 दिसम्बर तक मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

कुछ माननीय सदस्य : संक्षेप में कहें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह पानी दो तरह से इस्तेमाल किया ह कुछ राजस्थान कैनाल में दिया है जिससे कि पीने के पानी की दिक्कत है वहां दिया जा सके और साथ ही साथ गंग कैनाल में इसको रिलीज किया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट , श्री रामकिशन !

ट्रेन्ड अमीनों की नियुक्तियां

65. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने ट्रेन्ड अमीन हैं जिनको सरकारी संस्थाओं में सरकार द्वारा ट्रेनिंग दिलाई गई है?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी तथा अमीन को ट्रेनिंग एक जैसी है?

(3) क्या यह भी सही है कि काफी ट्रेन्ड अमीन होते हुए भी सरकार पटवारियों के पद के लिए प्रति वर्ष ट्रेनिंग करा रही हैं?

(4) क्या यह उचित नहीं है कि पहले ट्रेन्ड अमीनों को राज सेवा में लिया जावे जो कि काफी समय से ट्रेनिंग करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हैं?

(5) अगर हां, तो इन अमीनों को सरकार कब तक राजकीय सेवा में लगा देगी?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) राज्य में 127 प्रशिक्षित अमीन हैं।

श्री रामकिशन : सुनाई नहीं दिया।

श्री गंगाराम चौधरी : राज्य में 127 प्रशिक्षित अमीन हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, पटवारी व अमीन की ट्रेनिंग के विषयों में अन्तर होने के कारण पटवारियों के पद के लिये साल में दो बार ट्रेनिंग दी जाती है। पटवारी को अमीन से अधिक विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है।

(4) जी नहीं, नियमान्तर्गत पटवारी पद पर प्रशिक्षण प्राप्त पटवारी ही नियुक्त किये जा सकते हैं। इनके अभाव में अमीनों को भी नियुक्त किया जा सकता है-यदि वह अन्य सेवा सम्बन्धी शर्तों की पूर्ति करते हों।

(5) यद्यपि इनको पटवारी पद पर तो नहीं लिया जा रहा है किन्तु

(श्री गंगाराम चौधरी)
भू-प्रबन्ध विभाग में अमीनों के कुछ रिक्त पदों पर नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामकिशन : आपने जो कहा है कि दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है तो किस मामले में कितनी अलग अलग है? क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि एक प्रकार की ट्रेनिंग दिलाने के बाद कुछ बेरोजगार हो जायें और दूसरी ट्रेनिंग चालू रहे। अगर दोनों ट्रेनिंग में फर्क है तो पूरी करने के बाद एम्पलायमेन्ट देना अपना फर्ज नहीं समझते हैं?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): यह बिल्कुल दुरुस्त है जो ट्रेन्ड अमीन हैं सेटलमेन्ट आपरेशन्स चालू होंगे उन सेटलमेन्ट आपरेशन्स में अमीनों को खपाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : थोड़ी आवाज जोर से आनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : जनानी आवाज है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वह तो आवाज से पता चल जाता है, कि जनानी है या मर्दानी।

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर! जनानी मर्दानी का प्रश्न नहीं है। आप उत्तर दीजिए।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ज्यों ज्यों सेटलमेंट आपरेशन्स चालू होंगे उन सेटलमेंट आपरेशन्स में अमीनों को भर्ती किया जायेगा। पटवारी की ट्रेनिंग में और अमीनों की ट्रेनिंग में यह फर्क है जिसे माननीय सदस्य ने पहले भी पूछा था कि पटवारी की ट्रेनिंग में 6 विषय होते हैं लैण्ड रेकार्डस रूल्स, तैयारी कागजात, अंकगणित, मापगणित, हिन्दी और भू माप प्रेक्टीकल एवं थ्योरी और अमीन की ट्रेनिंग में 4 विषय होते हैं गणित तथा गणित में नाप विद्या, हिदायत खानापूरी, रेकार्ड तैयारी और प्रायोगिक सर्वे तथा मौखिक। पटवारी की जो ट्रेनिंग है वह लैण्ड रेकर्ड की, तैयारी कागजात के बारे में और कई लैण्ड रेकर्ड रूल्स और मेनुअल के बारे में इम्तिहान होता है। तो दोनों की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। पटवार स्कूल और अमीनों की ट्रेनिंग के सेन्टर अलग अलग हैं। लेकिन अब जरूरी है कि जितने अमीन हैं 127 के करीब बाकी तो सेटलमेंट आपरेशन्स जहां चालू होंगे वहां उनकी भर्ती की जायेगी और अमीन की ट्रेनिंग अब बन्द कर दी जायेगी।

श्री रामकिशन : 127 हैं सेटलमेंट आपरेशन्स चालू होंगे तो यह ले लिये जायेंगे और तब तक ओवर एज हो जायेंगे तो उनका क्या होगा?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जो ट्रेन्ड लोग हैं और सेटलमेंट आपरेशन्स में जरूरत पड़ेगी तो उसमें इनका रिलेक्सेशन किया जायेगा।

श्री रामकिशन : सेटलमेंट फोरेस्ट में भी हो रहा है तो क्या सरकार इरादा रखती है कि वन मंत्री से मिलकर यह तय किया जा सकता है कि यह फोरेस्ट में लगाये जायेंगे जब तक?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे मालूम है कि फोरेस्ट सेटलमेंट हो रहा है और उनके पास अमीन मौजूद हैं।

Page No. 11

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री मुकुटबिहारीलाल ।

धौलपुर नगर में बताशे बनाने तथा बेकरियों को शक्कर व मैदा का कोटा।

66. **श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल** (बयाना) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) धौलपुर नगर में बताशे बनाने की शक्कर किस व्यक्ति को कितनी कितनी दी जाती है?

(2) जिन्हें शक्कर दी जाती है वह बताशे बनाकर किसको बेचता है? इसका क्या कोई हिसाब रखने का आदेश है?

(3) क्या धौलपुर में बेकरियों को भी शक्कर व मैदा दी जाती है यदि हां, तो किस किस को और कितनी कितनी तथा यह बेकरीज़ कब से चालू हैं?

(4) क्या यह सच है कि जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध धौलपुर के नागरिकों ने गम्भीर आरोप लगाये हैं? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री खाद्य (श्री रामदेवसिंह): (1) दीपावली के अवसर पर 10 क्विन्टल चीनी, 20 बताशे बनाने वालों को 50 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से उप-खण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा दी गई। इसके लिए कोई रेग्युलर सप्लाई नहीं दी जाती है।

(2) बताशे धौलपुर क्षेत्र में ही उक्त व्यापारियों द्वारा बेचे गये थे एवं इसका कोई विवरण राजकीय कार्यालय में नहीं रखा जाता।

श्री अध्यक्ष: और धीमे बोल लीजिए।

श्री रामदेवसिंह : (3) मौजूदा में चार बेकरीज़ धौलपुर में कार्य कर रही हैं आवंटित की गई चीनी व मैदा की सूची संलग्न है।

(4) मौजूदा जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच आदि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : चौथे का क्या उत्तर दिया?

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था आसन की तरफ से होनी चाहिए कि मंत्री महोदय पूरी शक्ति से नहीं तो ऐसी शक्ति से तो बोलें कि माननीय सदस्य सुन सकें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पहले और लास्ट का फिर से पढ़ दें।

श्री रामदेवसिंह : मौजूदा जिला रसद अधिकारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः जांच आदि कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : सवाल यह है कि बड़ी उत्तमता के साथ यह जवाब दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : बताशों का प्रश्न है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर चालाकी कहकर तो उनके पद के सम्मान

Page No. 12

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी ने यह परमिट दिये जांच का सवाल उसके खिलाफ पैदा होता है या मौजूदा के खिलाफ पैदा होता है? प्रश्न यह था कि आपने इस प्रकार का गड़बड़ घोटाला किया उसके खिलाफ जांच की है या नहीं? मौजूदा तो एक महीने से आया है और सवाल जो आया है वह अब आया है। इस प्रश्न को पिछले टाइम में भी पोस्टपोन किया था।

सवाल यह है कि जिस अधिकारी ने परमिट जारी किया उसके विरुद्ध काला बाजार और भ्रष्टाचार के खुलेआम आरोप लगाये गये थे उन आरोपों की जांच कराई गई या नहीं, नहीं तो क्यों, हां तो क्या कार्यवाही की गई उसके खिलाफ।

श्री रामदेवसिंह : उनके खिलाफ तीन शिकायतें आई थीं। पहले की जांच कलेक्टर के मार्फत करा ली गई। निराधार पाई गई।

दो शिकायतें और आई जिनकी भी जांच जारी हो चुकी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कलेक्टर की जांच कौन करावेगा, कितने परमिट दिये, कितने लाखों का घोटाला किया।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उप-मंत्री खुद समदर्शी हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

जिला समाज कल्याण बोर्ड, टोंक

67. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)**: क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला समाज कल्याण बोर्ड टोंक के सदस्य कौन हैं सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह बोर्ड क्या कार्य करता है?

(3) साल में कितनी बार इसकी बैठकें होती हैं? गत दो साल में कौन सी तारीखों को बैठकें हुईं और उनमें क्या क्या निर्णय लिये गये?

समाज कल्याण विभाग मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1) जिला समाज कल्याण बोर्ड, टोंक के सदस्यों की सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस बोर्ड के कार्यों की सूची 'ब' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) साल में बोर्ड की तीन बैठकें होनी चाहियें। गत दो वर्षों में कोई मीटिंग नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा। पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष, महोदय, मन्त्री महोदय से हम परेशान हैं। कह देते हैं कि सूची सदन की मेज पर रख दी गई है पर नदारद है सारी सूची। हमें सूची मिलती नहीं है। सप्लीमेन्टरी क्या करें हम फिर?

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था अव्यवस्थित रूप में चल रही है। होनी चाहिये सूची सदन की मेज पर। है सदन की मेज पर ?

आई विल टेक नोट ऑफ इट। अब कोई प्रश्न है आपका ?

श्री जयनारायण सालोदिया : मीटिंग साल में तीन होनी चाहिये पर नहीं हुई इसके लिये दोषी कौन है और उसको आपने क्या सजा दी है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सोशियल वेलफेयर आफिसर को साफ तौर पर हिदायत की गई है कि वह स्वयं परश्यू करके मीटिंग इस प्रकार की बुलावे ताकि आवश्यक कार्यवाही मीटिंग में हो सके।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले दो सालों से नहीं हुई। मुझे कभी मीटिंग की सूचना नहीं मिली हालांकि मैं उसका सदस्य हूं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसीलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह नोटिस में जब आया तभी हिदायत कर दी है सोशियल वेलफेयर आफिसर को कि वह कलेक्टर कन्वीनर है उन्हें कहकर मीटिंग का प्रबन्ध करें।

श्री विजयसिंह (नसीराबाद): अभी तक मीटिंग नहीं हुई इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : उनको हिदायत कर दी गई है सोशियल वेलफेयर आफिसर को।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): अब तक नहीं बुलाई इसके लिये दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : हिदायत कर दी गई है न।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : हिदायत तो भविष्य के लिये कर दी गई है पर जो अब तक मीटिंग नहीं बुलाई उसमें जिसका दोष था उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर दूं कि जो यह मीटिंग कान्स्टीट्यूट की गई उनमें कई प्रकार की योजनाओं के कार्य किये गये हैं। सम्भवतः कलेक्टर को फुरसत नहीं रही है दूसरे कार्यों के अन्दर लगे होने से और इसलिये वह अपने आप मीटिंग नहीं बुला सके अब सोशियल वेलफेयर आफिसर को इसके लिये परश्यू करने को लगा दिया गया है उसे हिदायत दे दी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि आप कलेक्टर को भी हिदायत कुछ कर सकते हैं क्या ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कलेक्टर को भी हिदायत कर दी गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मीटिंग जब पांच साल से नहीं हो रही है तब फिर इसके अभाव में काम कैसे चल रहा है समाज कल्याण विभाग का ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : योजनाबद्ध चल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर मीटिंग की क्या जरूरत है ?

श्री विजयसिंह रावत : योजनाबद्ध मीटिंगें नहीं हो रही हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो इसके काम हैं उनको पढकर सूना दूं।

श्री अध्यक्ष : ये सदस्य हैं जानते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो अनुदान इत्यादि मिलते हैं उनमें कोई बाधा नहीं पड़ी। यह बात जरूर है कि होस्टल और दूसरे विषयों में जब यह जानकारी में आया कि उनकी व्यवस्था के अन्दर कुछ खामी रह जाती है तो इसके लिये यह अलग से होस्टल मेनेजमेन्ट के लिये कमेटियों का आदेश प्रस्तुत किया गया।

श्री विजयसिंह (मकराना): सुखाड़िया के समाज का कल्याण तो हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : आर्डर! आर्डर! नेक्स्ट श्री रूपसिंह......

रवन्यू बोर्ड की सर्किट बेंच

श्री रूपसिंह राजवी (सरदारशहर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जब कि राजस्थान सरकार ने पब्लिक की तकलीफों व मांग को मद्देनजर रखते हुए टेक्स एक्ट के तहत पैदा होने वाली रिवीजन पीटिशन को सुनने के लिय रेवेन्यू बोर्ड की सरकिट की बैठक जयपुर व जोधपुर में कायम कर दी है, तो क्या सरकार इसी तरह जयपुर भरतपुर, अलवर, कोटा वगैरह की गरीब लिटिगेटिंग पब्लिक की एक लम्बे अरसे की मांग को कि एक सरकिट बेंच इन जगहों के मुकद्दमात सुनने के लिये जयपुर में कायम कर दी जाये स्वीकार करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो यह बेंच कब तक कायम हो जायेगी? अगर नहीं तो क्यों नहीं?

(2) ऐसी बेंच कायम करने के लिये सरकार को कितना खर्चा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा।

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) यह प्रश्न राज्य के विचाराधीन है।

(2) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।

श्री रूपसिंह राजवी : 75 परसेन्ट केस रेवेन्यू बोर्ड में पेन्डिग हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मन्त्री): जो केसेज विचाराधीन हैं और जो बोर्ड के मेम्बर हैं उनकी संख्या को देखते हुए यह कब सम्भव होगा यह आज नहीं कहा जा सकता। सारे आंकडे इकट्ठे किये जा रहे हैं। और चूंकि यह पालिसी का सवाल है, सरकार पूरा विचार करके ही कुछ कर सकती है।

श्री रूपसिंह राजवी : क्या यह सही है कि रेवन्यू बोर्ड के मेम्बरों का डिस्पोजल आफ केसेज बहुत कम है। बहुत पूअर है। दस परसेन्ट से ज्यादा नहीं आ रहा है। तो इसलिये हाई कोर्ट की तरह स्टेण्डर्ड आफ वर्क बनाकर क्या आप यहां व्यवस्था नहीं कर सकते ताकि मेम्बर भी ज्यादा काम कर सकें और पब्लिक की असुविधा भी कम हो सके।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेने जेंस अर्ज किया रेवेन्यू के चयरमेन से इस बारे में

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

हमारी बात जारी है और कुछ ही दिनों में इसे अन्तिम रूप दे दिया जावेगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर भाग भाग कर जयपुर आते रहते हैं और टी० ए०, डी०ए० में इन पर जितना खर्चा होता है उतना भी इस तरह के एडजस्टमेन्ट पर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल व्यास (असीन्द) : डिस्पोजल बहुत कम है इसकी वजह से बहुत असुविधा जनता को होती है इसका प्रबन्ध तो होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हरजीराम बुरड़क

सीमान्त भत्ता तथा उसका भुगतान

69. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सीमान्त क्षेत्र (राजस्थान -पाकिस्तान बोर्डर) के तीस माइल के क्षेत्र में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सीमान्त भत्ता दिया जाता है? यदि हां, तो किन किन विभागों के कर्मचारियों को किस दर से दिया जाता है?

(2) क्या इस क्षेत्र में स्थित कुछ विभागों के कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको सीमान्त भत्ता नहीं दिया जाता है? यदि हां तो किस कारण से?

(3) सीमान्त भत्ते की स्कीम कब से चालू की गई और इससे कितने कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं तथा कितना रुपया खर्च किया जा चुका है?

(4) क्या सीमान्त भत्ता जिन जिन कर्मचारियों को दिया जाना था उन सब का समय पर भुगतान हो गया है? यदि नहीं तो किन किन विभागों के कितने कितने कर्मचारियों का बाकी है?

वित्त मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर):

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन (वैर) : आप से तो कोई प्रश्न पूछता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नक्स्ट। श्री सुमेरसिंह!

किशनगढ़ शहर के तालाब की मरम्मत

70. **श्री सुमेर सिंह** (किशनगढ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर में तालाब गूंदोलाव की आवें टूटी हुई हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब की पाल व आवें टूटी होने से इस तालाब में पूरा पानी नहीं आने व रहने से यह तालाब खाली रहता है?

(3) क्या यह सही है कि इस तालाब के भरे रहने पर ही वाटर वर्क्स

(श्री सुमेरसिंह)
के द्वारा जो कुए चलाए जाते हैं वो पूरे भरे रहते हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब के भरे रहने पर ही आस पास के काश्त के कुए भरे रहते हैं ?

(5) यदि हां, तो इस तालाब की फीडर व पाल की मरम्मत नहीं कराने का क्या कारण है जब कि इस बाबत कई प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):
(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(4) सम्भवतया।

(5) क्योंकि यह तालाब नगरपालिका का है इसलिये सिंचाई विभाग मरम्मत कराने में असमर्थ है।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): अगर ललितसिंहजी के क्षेत्र में यह होता तो तैयार हो जाता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसका उत्तर तो आना चाहिये साहब।

खड़ीन बांधने की योजना

71. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अकाल राहत कार्यों के तहत जिला जैसलमेर में खड़ीन बान्धने की स्कीम आरम्भ की थी? अगर हां, तो आज तक कितने खड़ीन तैयार किये हैं और कितने अभी तक अपूर्ण हैं ? और अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं और सरकार भविष्य में कब तक पूर्ण करा सकेगी ?

(2) क्या सरकार खड़ीन योजना को बन्द करने जा रही है ? अगर हां, तो क्यों, जब कि आधे खड़ीन बिना बांधे ही पड़े हैं?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):
(1) जी हां, 48 खड़ीन पूर्ण करा दिये गये हैं इनमें से अपूर्ण खड़ीन कोई नहीं हैं।

(2) जब तक अकाल राहत कार्य चलाये जायेंगे तब तक खड़ीन बांधने का कार्य बन्द करने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : तो क्या पीतला रामगढ़ आदि के सब खड़ीन कम्पलीट हो गये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि 48 कार्य आरम्भ किये थे और वे सारे पूर्ण हो गये हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सारे के सारे खड़ीन जैसलमेर की योजना में नहीं आये हैं। 48 के अलावा और भी हैं। क्या वे इस योजना में नहीं आये हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : राहत कार्यों में योजना बनी थी और जिला कमेटी ने जो प्रस्ताव पास किया था उस हिसाब से कार्य आरम्भ किये गये थे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस साल के अकाल में भी कुछ खड़ीन पर कार्य होगा ?

श्री गंगाराम चौधरी : जोधपुर-जैसलमेर में 512 में से 502 गांव अभावग्रस्त हैं। उनमें काम प्रारम्भ करने की बात विचाराधीन है। जब आरम्भ हो जावेंगे तो कार्य आरम्भ कर दिये जावेंगे आवश्यकतानुसार।

श्री बालसिंह सोढ़ा : घोषणा कब तक हो जायगी ?

श्री गंगाराम चौधरी : विचाराधीन है। घोषणा कभी भी हो जायगी।

जिला पाली में गोचर भूमि के मामले

72. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली जिले में गोचर भूमि (चरागाह) निश्चित करने हेतु कितने कितने व कहां कहां के मामले कब कब से विचारार्थ (पेंडिंग) पडे हैं ? उन्हें कब तक निपटा दिये जाने की आशा है ?

(2) पिछले तीन वर्षों में किस किस वर्ष में कितनी कितनी व कहां कहां नये चरागाह तय किये गये ?

(3) चालू गोचर भूमियों में खेती किये जाने के कहां कहां के कितने मामले कब कब से चल रहे हैं और उनका निपटारा कब तक किये जाने की आशा है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) पाली जिले में विभिन्न ग्रामों के 27 मामले गोचर भूमि कायम करने संबंधी विचाराधीन हैं जिसकी विस्तृत सूचना संलग्न सूची (क) में है। इनका यथासम्भव शीघ्र निपटारा किया जावेगा।

(2) पाली जिले में पिछले तीन वर्ष यानी सन् 1965, 1966, 1967 के अन्दर विभिन्न ग्रामों के कुल 48 मामले गोचर भूमि कायम करने के निपटाये गये हैं जिनका ब्योरा संलग्न सूची (ख) में अंकित है।

(3) इस जिले में चालू गोचर भूमियों में काश्त करने के जून, 1967 तक के 264 मामले विचाराधीन हैं जो संलग्न सूची (ग) में अंकित हैं। जिनका यथासम्भव शीघ्र निपटारा किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द बाफना :

अध्यक्ष महोदय, पाली जिले में गोचर भूमि के बारे में जो उत्तर दिया गया है उसमें बताया गया है तो क्या मामले निपटाने का समय निर्धारित है क्या इस सम्बन्ध में ?

राजस्व मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : समय तो कोई निर्धारित नहीं होता है। ज्योंही प्रोसीडिंग्स पूरी हो जाती है तो फैसला लिख दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री फूलचन्द बाफना : अधिकतम समय तो निर्धारित होना चाहिए चाहे आप 10 साल रखें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो भी नियम बनते हैं वे यहां बनते हैं उनमें अगर ऐसा प्रावधान कर देते तो ऐसा हो जाता। आप उस वक्त एमेंडमेंट कर देते तो हो जाता।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली): 10 वर्ष से मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग उन पर काश्त करते चले जा रहे हैं क्या यह बात सही है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गत वर्ष जब गोचर भूमि के मामले सामने आये तो उसी वक्त राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया था कि कोई भी व्यक्ति यदि गोचर भूमि पर कब्जा करे तो उसको वहां से हटा दिया जाय और उसकी फसल को नष्ट कर दिया जाय। कुछ मामले हुए भी ऐसे हैं जिनमें फसल को खराब किया गया है। लेकिन अब मैं इस सदन के सम्मुख घोषणा करता हूं कि जो व्यक्ति गोचर भूमि पर कब्जा नाजायज तरीके से करेगा तो गांव वालों से कह दिया गया है कि उसको कब्जा नहीं करने दें और उसकी फसल को बाढ़ दी जाय इसमें राजाज्ञा की जरूरत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के लिए खड़े होने पर) आर्डर प्लीज ! प्रश्नकर्ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : राजाज्ञा तो सरकार ने भी गत वर्ष जारी की थी कि नाजायज कब्जा करने वाले की फसल को बाढ़ दी जाय....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना : प्रश्न 72 के भाग (3) का जवाब नहीं दिया गया है। उसमें लिखा है "चालू गोचर भूमियों में खेती किये जाने के कहां कहां के कितने मामले कब कब से चल रहे हैं......"इसका उत्तर नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कब कब से चल रहे हैं इसका जवाब तो नहीं है मेरे पास शायद इस उत्तर में हो, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि....

श्री पृथ्वीसिंह : तो इसका उत्तर रिजर्व कर दिया जाय और दुबारा इसका उत्तर दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गोचर भूमि वैसे कॉम्यूनिटी की चीज है, वह गांव की है। उसमें मवेशी चराने का उनका अधिकार है। उसके ऊपर कोई नाजायज कब्जा कर लेता है तो बहुत बुरी बात है इसलिए हमारा यह प्रयत्न रहेगा–गत वर्ष तो हमने देरी से हुक्म जारी किया, लेकिन इस वर्ष तो मैं समझता हूं कि इसी सदन में घोषणा करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने चाहे कितने ही अरसे से कब्जा कर रखा हो लेकिन अगर वह गोचर भूमि है तो मैं कहता हूं कि उसका कब्जा उस पर नहीं रहने दिया जायगा। यदि कोई कब्जा करे तो उसके खिलाफ बहुत जल्दी शीघ्र कार्यवाही की जायगी और उससे वह जमीन छुड़वाई जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके खिलाफ तो कार्यवाही की जायगी लेकिन इतने साल से उसका कब्जा रहा तो आपकी रेवेन्यू ओथोरिटीज चुप क्यों बैठी रही। इधर तो आपने राजाज्ञा देदी कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, लेकिन आप उनके ऊपर पैनल्टी क्यों नहीं लगाते हैं?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो इस मायने में आज्ञाएं व नियम जारी हुए हैं उनको छपवा दिया गया है। उनमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अगर कोई लहतलाली करेगा इस बारे में तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या यह सही है कि कोटा के अन्दर गोचर भूमि को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कुछ व्यक्तियों के खाते में सेटलमेंट विभाग ने बान्ध दी है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यह अलग से प्रश्न है ।

प्रश्नकर्ता । आर्डर प्लीज !

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन सप्लीमेन्ट्री पूछ लूं छोटे छोटे हैं ।

एक तो यह है कि मामले कब से चल रहे हैं उसका उत्तर कब तक दे दिया जायगा । आज नहीं तो दो-तीन रोज में कभी भी दिला सकते हैं ।

दूसरा यह है कि यह जो सूची आपने मुझे दी है इसके साथ संलग्न करके उसमें देसूरी तहसील के 250 मामले पेंडिंग पड़े हैं और दूसरी तहसीलों के 1-2 ही हैं तो क्या देसूरी तहसील में कोई प्रशासन का काम नहीं कर रहा है ?

श्री अध्यक्ष : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के बोलने पर) आर्डर प्लीज ! जवाब आने दें ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हजारों की तादाद में ऐसे मामले हैं जिन्होंने गोचर भूमि पर कब्जा कर लिया है उनके लिए यह सूचना एकत्रित करना कि कौन कौन सी तारीख से चल रहे हैं तो सैकड़ों मामलों की लिस्ट मुकम्मिल होना मैं समझता हूं कि किसी तरह भी उचित नहीं होगा । आप कोई स्पेसिफिक केस बताएं तो उसका उत्तर मंगाकर आपको दे दूंगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चरागाह मैदान हो जाय जिससे यह मालूम पड़ जाय कि चरागाह इस जगह है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है और सदन के माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहुत एजीटेटेड हैं वह इसलिए हैं कि राज्य सरकार ने पहले एक आज्ञा जारी की थी कि जिन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उनकी फसल को बाढ़ दिया जाय । उसके बाद उस आर्डर में एमेंडमेन्ट कर दिया गया । फिर 91 के तहत नोटिसेज दिये गये और लोगों को बेदखल किया गया उसके बाद उसमें एमेंडमेंट कर दिया कि इस तारीख तक जो अनअथोराइज्ड आक्युपेशन हैं उनको रेग्युलेराइज कर दिया जायगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सदन में इस अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करके इस प्रकार की नीति की घोषणा की जाय कि हमारी यह नीति है और उस नीति में 1 या दो साल जो सरकार की मन्शा हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाय जिससे लोगों को जानकरी हो जाय कि अनधिकृत कब्जों के बारे में सरकार की क्या नीति है । गोचर भूमि को सेटलमेंट वालों ने खाते में बान्ध दिया है। तो इस सम्बन्ध में कोई निश्चित वक्तव्य सरकार की ओर से आना चाहिए जिससे किसानों के सम्बन्ध में नीति निश्चित हो जाय और उसमें कोई परिवर्तन या संशोधन आगे आने वाले एक साल या दो साल तक न हो ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इस सम्बन्ध में जो तरमीमें हुई हैं उन सरक्यूलर्स को छपवा दिया गया है और उसकी एक एक प्रति माननीय सदस्यों को भी प्रस्तुत कर दूंगा और इस सदन में प्रस्तुत कर दूंगा । उसके

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पश्चात्, माननीय सदस्य उसको पढ़ लें और आवश्यकता होगी तो इस सम्बन्ध में बात कर लेंगे और उसको कम्प्लीट कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर प्लीज ! माननीय मंत्री महोदय, आपने यह अभी कहा एक प्रश्न के उत्तर में कि गांव वालों से कह दिया है कि वे संगठित होकर कब्जा ले लें। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह राजाज्ञा आपने प्रसारित कर दी है या कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसमें राजाज्ञा का प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगर कर रहे हैं तो क्या ऐसा भी संकेत है कि अगर कुछ रेसिस्टेन्स हो तो पुलिस को संकेत कर दिया गया है कि वह इन्टरप्शन न करे इन मामलों में ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : इससे तो कई कत्ल हो जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के खड़े होने पर) मिस्टर बाढ़दार, आर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस तरह से तो आप रिश्वतखोरों के लिए भी कह दें कि उनके खिलाफ भी जनता इनिशियेटिव लेकर उनका मुकाबला करें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रोपर्टी पर कोई व्यक्ति मदाखलत करता है तो कानूनी अधिकार है कि मदाखलत को हटा दें। उसी तरह से चरागाहों पर जो कि कोम्यूनिटी की प्रोपर्टी है उस पर अगर कोई मवेशी चरा देता है तो वह कोई जुर्म नहीं करता है । अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें पुलिस इन्टरफियरेन्स की जरूरत पड़े तो बकायदा अदालत में मुकद्दमा दर्ज होता है। अगर रेसिस्टेन्स होता है तो अदालत में फसला हो जाता है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री रघुनाथ विश्नोई : कानून हाथ में थोड़े ही ले सकते हैं , यदि ऐसा किया तो कई लोगों का चालान होगा ।....

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, जो परिपत्र जारी किया गया है वह सचमुच सामयिक होगा । एक बात मैं यह बताना चाहता हूं कि चरागाह के मामलों में राजस्व अधिकारी जो घपला और गोल माल करते हैं उसकी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों पर होनी चाहिये । असल बात यह है कि प्रभावशाली व्यक्ति ही अनधिकृत कब्जा करते हैं और वह कब्जा करते हैं राजस्व अधिकारियों के साथ मिल कर। गरीब लोग कब्जा नहीं कर सकते। मेरा निवेदन यह है कि राजस्व अधिकारियों पर जिम्मेदारी डाली जानी चाहिये । गांव वाले लोग बरबाद करें लेकिन सारी जिम्मेदारी राजस्व अधिकारियों पर डालनी चाहिये । उनके सहयोग के बिना कोई अनधिकृत कब्जा कर नहीं सकता ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक दूसरी स्थिति और है। हमारे उधर रेगिस्तानी इलाके में जहां पर गांव आबाद हैं वहां सेटलमेंन्ट के दौरान चरागाह डिक्लेयर किये गये हैं । आबादी की भूमि में विशेष आबादी होते हुए भी

(श्री दौलतराम सारण) आबादी लेण्ड डिक्लेयर नहीं करके चरागाह डिक्लेयर कर दिये हैं जहां पर कुए हैं, खेत हैं, एक ही जगह पानी निकलता है, कुइयां हैं, लोगों के घर हैं वहां पर तहसीलदार ने नोटिस दिये हैं कि यह गोचर की भूमि है यहां से आबादी उठा दो, घर हटा दो। ऐसे नोटिस हजारों की तादाद में दिये गये हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को भी नजरंदाज नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रश्न यह है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री फूलचन्द बाफना : ये मामले कब से चल रहे हैं इस संबंध में जो संलग्न सूची है उसमें दूसरी तहसीलों के गांवों के नाम दिये हैं लेकिन देसूरी तहसील के गांवों के नाम नहीं दिये हैं। यह अधूरा जवाब है इसलिये बाद में पूरी सूची देदी जाय।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में पूरा करदें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही नहीं है कि बहुतसी जमीन जो बंजर, सिवाय चक थी जहां पर पहले चरागाह नहीं थे और जिस पर लोगों के कब्जे थे उसको नये बन्दोबस्त के अंतर्गत गोचर डिक्लेयर किया ऐसी भूमि पर जो लोग काश्त कर रहे थे उसको अब रेग्यूलराइज कर रहे हैं। पिछले सेटलमेन्ट के समय जो गोचर भूमि नहीं थी उसको गोचर भूमि बना दिया क्या इस सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सेटलमेन्ट ओपरेशन कम्पलीट होने के बाद अगर इस संबंध में कोई शिकायत है तो बातचीत की जा सकती है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

एक माननीय सदस्य : मेरे तहसील..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो स्पष्टीकरण पूछा था उसका उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि सर्क्यूलर या राजाज्ञा जो निकली है उसकी प्रति माननीय सदस्यों को दे देंगे। उससे यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं हुए जैसी भावना है तब दूसरा समय दे दिया जायगा सारे प्रश्न के लिये इसलिये इस प्रश्न को यहीं समाप्त करके मैं श्री मूलचन्द डागा से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें।

(कुछ सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन।

पाली में वन विभाग की नर्सरी

73. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या पाली रेल्वे स्टेशन के पास वन विभाग की कोई नर्सरी आदि है यदि हां, तो उस पर सन् 1960 से आज तक प्रत्येक वर्ष कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को उक्त नर्सरी से कितनी कितनी आमदनी हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यदि कोई आमदनी नहीं हुई है तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह, मसूदा):

(1) जी नहीं। वन विभाग की कोई नर्सरी नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (वारां): आवाज नहीं आ रही है।

श्री अध्यक्ष : आवाज शुरू नहीं हुई है।

श्री नारायणसिंह, मसूदा : (2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

एक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्न नहीं उठते ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस सदन में मौन उत्तर देना ठीक है ?

श्री अध्यक्ष : जहां तथ्य नहीं है, मौन ही रहना पड़ता है ।

सरकार की बकाया रकम तथा उसकी वसूली

74. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 31 मार्च, 67 तक राज्य सरकार की कुल बकाया की रकम कितनी है ? विभागानुसार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस सरकारी बकाया की रकम की जल्दी वसूली करने की दृष्टि से क्या कोई विशेष कदम उठाने का सरकार ने निर्णय लिया है ?

(3) 31-3-67 तक सरकारी बकाया की कितनी रकम बट्टे खाते डाली गई है ।

(4) क्या यह सही है कि इस बकाया की राशि में ऐसी राशि भी सम्मिलित है जो सन् 62 से पहले की है ? यदि हां, तो वह कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर): 31 मार्च, 1967 तक राज्य सरकार की कुल बकाया राशि रु० 2,100.68 लाख है विभागानुसार तालिका का मानचित्र संलग्न है।

(2) विभागाध्यक्षों को वसूली के सम्बन्ध में पूर्ण अभिरुचि लेने हेतु और बकाया का 75 प्रतिशत इस वर्ष वसूली करने हेतु तथा अपलेखन योग्य राशि को अपलेखन कराये जाने हेतु लिख दिया गया है।

अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वसूली कार्य में विशेष अभिरुचि लेनेवालों को प्रोत्साहन दिया जायगा । विभागाध्यक्षों एवं सम्बन्धित जिलाधीशों की एक सभा बुलाई जाकर उनसे भी इस कार्य में रुचि लेने हेतु निवेदन किया जायगा···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक नहीं किया ।

श्री मथुरादास माथुर : (3) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(4) जी हां। दिनांक 31-12-62 को बकाया रकम रुपये 8,82,46,587·34 थी।
(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 21 करोड़ 68 लाख रुपयों की बकाया राज्य सरकार की है उसमें से कितनी रकम बट्टे खाते डाली गई इसका कोई आंकड़ा किसी काल का बनाया है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : बट्टे खाते डालने का अधिकार मुख्तलिफ हैड ओफ डिपार्टमेण्ट्स

(श्री मथुरादास माथुर)

को अलग अलग जगहों पर अलग अलग है इसलिये इसे इकट्ठा करने में समय लगेगा इसलिये मैंने कहा कि एकत्रित किया जा रहा है। जब आ जायगा तब सदन के सामने पेश कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकारी रकम की बकाया को बट्टे खाते में डालने का अधिकार विभागाध्यक्षों को है ?

श्री मथुरादास माथुर : अलग अलग रकम के लिये अलग अलग अधिकार हैं। कुछ अधिकार विभागाध्यक्षों को हैं, कुछ गवर्नमेन्ट के मिनिस्टर्स को हैं, कुछ केबिनेट को हैं सबको अलग अलग अधिकार हैं। आपने इकट्ठी जानकारी चाही है इसलिये सब को पूछ कर ही बता सकूंगा। सब डिपार्टमेन्ट्स से जानकारी प्राप्त करने में समय लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केबिनेट स्तर पर कितनी रकम बट्टे खाते डाली गई ?

श्री मथुरादास माथुर : यह आप पूछते तो बता देता। आपने तो टोटल पूछा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल में पूरी बात आती है, कितनी रकम बट्टे खाते डाली गई। डिपार्टमेन्टल हेड्स से सूचना नहीं आई तो सेक्रेटेरियट लेवल पर और केबिनेट लेवल पर कितनी रकम बट्टे खाते डाली यह बतादें।

श्री मथुरादास माथुर : आपका प्रश्न यह था। "31-3-67 तक सरकारी बकाया की कितनी रकम बट्टे खाते डाली गई है"। भिन्न भिन्न अफसरों को अलग अलग रकम बट्टे खाते डालने के अधिकार हैं जिसको 5 रु० का अधिकार है वह भी सरकारी रकम है और जिसको 1 लाख का अधिकार है वह भी सरकारी रकम है। यदि आपका प्रश्न यह होता कि मंत्री मण्डल ने कितनी रकम बट्टे खाते में डाली तो मैं उसकी जानकारी देता आपने टोटल पूछा है इसलिये सब जगह से सूचना आयगी तभी मैं आपके सामने रख सकूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इस मामले में वित्त विभाग को मालूम नहीं है कि कितनी रकम बट्टे खाते में डाली गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : वित्त विभाग को राज्य सरकार करती है वह मालूम है लेकिन आपने जो सूचना चाही है वह इकट्ठी करके ही बता सकता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31-3-67 के आंकड़े मालूम नहीं हैं तो कब के हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हमारे पास सब आंकड़े हैं लेकिन आपका सवाल था उसकी सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बड़े मंत्री का बड़ा सवाल है इसलिये पूछना चाहता हूं कि क्या आपके ध्यान में है कि राज्य सरकार ने रकम को बट्टे खाते में डालने के संबंध में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी ?

श्री मथुरादास माथुर : किस विभाग के लिये ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी रकम के बारे में।

श्री मथुरादास माथुर : राजस्थान सरकार द्वारा अधिकारी नियुक्त करने का प्रश्न नहीं आता। बट्टे खाते में डालने के रूल्स के अंतर्गत अधिकार है। हेड ऑफ डिपार्टमेन्ट को अलग अधिकार है, मंत्री मण्डल को अलग है। कुल कितनी रकम बट्टे खाते डाली सबसे मालूम करके बता सकता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को छूट देना चाहते हैं उसकी रकम को बट्टे खाते डाल देते है....

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार। ऑर्डर प्लीज! प्रश्नकर्ता।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितने रुपये राजस्थान सरकार के डूब रहे हैं आपके द्वारा में मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बट्टे खाते डालने के लिये नियम बने हुए हैं या किन्ही व्यक्तियों की कमेटी बनाई हुई है या ऐसे कोई नियम हैं कि किनसे वसूल किया जायगा या मन में आवें उसको छूट देते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

(12 मध्यान्ह)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, आपने यह कहा कि बट्टे खाते डालने के लिये किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया इसलिये आपके पास में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर० सी० सिन्हा, ओ० एस० डी० फाइनेन्स को क्या इस बात के लिए 1959 में अपोइन्ट किया कि राइट ऑफ करन के लिए वह केसेज को एक्जामिन करें और उसकी गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दें? क्या उस अधिकारी ने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके आधार पर कितनी रकम बट्टे खाते में डाल दी गई थी?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने निवेदन किया कि बट्टे खाते डालने के लिए आपने 31-3-67 तक का पूछा है। इस अधिकारी की नियुक्ति पहले की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो मैंने बताया है। आपको मालूम नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर : आप 31-3-67 तक की जानकारी चाहते हैं?

श्री रामकिशन : 67 तक।

श्री मथुरादास माथुर : 67 तक?

श्री रामानन्द अग्रवाल: 1959 तो 1967 से पहले है।

श्री मथुरादास माथुर : लेटेस्ट बट्टे खाते डालने के बारे में जानकारी हर एक विभाग से लेनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: कितना समय लग जायगा? (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन यह है कि सूचना जो बट्टे खाते डालने की है वह मेरे पास में है,....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन आप 1959 की ही बता दें।

श्री अध्यक्ष: क्वेश्चन बी पोस्टपोन्ड।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आपको यह जानकारी देनी चाहिए कि कितना बट्टे खाते डालने का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मुझे, अध्यक्ष महोदय, इस बात में संकोच नहीं है कि इस क्वेश्चन को स्थगित किया जाय।

श्री श्रवणलाल : कई मिनिस्टरों के केसेज हैं जिनमें बट्टे खाते डाले हैं।

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज!

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करना चहता हूं कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था उसमें ऐसा इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि 21 करोड़ की रकम बट्टे खाते में डूब रही है। स्थिति यह है कि 21 करोड़ की धन-राशि एरियर में हैं, उसके कारण हैं, तीन साल तक कन्टीन्यू फेमीन रहा जिसके कारण लेण्ड-रेवेन्यू की वसूली में कुछ केसेज में रेमीशन मिले ग्रौर कुछ केसेज में वसूली स्थगित की गई। इस धनराशि में दूसरे ग्रांकड़े भी शामिल हैं, सेल्स टैक्स के ग्रांकड़े शामिल हैं, एक्साइज के ग्रांकड़े भी शामिल हैं। इसके ग्रलावा हाई कोर्ट से जो डिग्री हुई ग्रौर रेवेन्यू बोर्ड से ग्रार्डर हुए उसके भी ग्रांकड़े इसमें शामिल हैं। इसमें से जो बेड डेट डिक्लेग्रर किया होगा वह कम ही होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितना होगा।

श्री मथुरादास माथुर : उसके लिए मैंने कहा कि स्क्रूटिनी करने का सवाल हैं।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : ग्रापके पास ग्रांकड़े नहीं हैं..

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज!

श्रीमती शिवकुमारी!

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ग्राप इस प्रश्न को फेमीन के क्वेश्चन से मत जोड़िये। इसमें कार्मांशियल डिपार्टमेंट की भी धनराशि है। 292 की जो बकाया है, इसमें माइन्स की धन-राशि शामिल है, एक्साइज की धन-राशि भी शामिल है जो कि शराब के ठेकेदारों में बकाया है?

श्री मथुरादास माथुर : जोर से बोलने से यह बट्टे खाते का प्रश्न हल नहीं होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोर से बोलने का सवाल नहीं है। ग्राप हाउस में यह इम्प्रेशन क्रियेट करना चाहते हैं कि किसानों में बकाया है। यह मत कहिये।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह 68 लाख की रकम तो शराब के ठेकेदारों में बकाया है ग्रौर 21 करोड़ दूसरे लोगों में बकाया है....

श्री अध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज!

श्री मथुरादास माथुर : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि इसम हरएक डिपार्टमेन्ट की धनराशि है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : में यह भी निवेदन कर हूं कि यह 68 लाख की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रकम शराब के ठेकेदारों से वसूल नहीं होगी क्योंकि चुनाव के समय में यह उनसे वायदा कर दिया था कि रकम बट्टे खाते डाल दी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिनिस्टरों ने कार के लिए पैसा लिया और कार नहीं ली, उनसे भी वसूली नहीं हो रही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन मिनिस्टरों न कार के लिए पैसा लिया वह कार उन्होंने बेच दी है।

एक माननीय सदस्य : चुनाव के वक्त में लोगों में जो बकाया था उसको बट्टे खाते में डाल दिया।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्रीमती शिवकुमारी !

लकड़ी लने व लेजाने की सुविधा

75. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या एक दूसरे फोरेस्ट डिविजन की सरहद पर बसे गांवों को डिविजन की पाबन्दी के बावजद उनके पुराने हकों के तहत दूसरे डिविजन के जंगलों से लकड़ी व झाड़वाड़ लाने की स्वंतन्त्रता है ?

(2) क्या यह सही है कि खानपुर, सूमर, बसार आदि पंचायतों के गांव हमेशा से बारा-पाटी के जंगलों से लकड़ी व झाड़वाड़ प्राप्त करते रहे हैं और उन्हें इस प्रकार यह सुविधाएं अब भी प्राप्त हैं ? यदि हां, तो यहां के लोगों को स्थानीय नाकेदार व रेन्जर द्वारा लकड़ी व झाड़वाड़ जलाने में दिक्कत पैदा करने की क्या वजह है ?

(3) खानपुर तहसील के अलग अलग पंचायत क्षेत्रों के लिए इस साल किन किन स्थानों पर लकड़ी के कूप खोले गये हैं ? मय पंचायतों व कूपों के नाम बताने का कष्ट करें?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): (1). साधारणतया नहीं।

(2) जी नहीं, वर्किंग प्लान बनने से पूर्व खानपुर, बसार आदि पंचायतों को सम्भवतया बारापाटी वन खण्ड (बारां) झाड़वाड़ इत्यादि दिये जाते थे। लेकिन यह व्यवस्था हमेशा के लिय सम्भव नहीं थी क्योंकि ग्रामवासियों को सुविधायें कन्सेशन नियम के तहत प्राप्त हैं और इन नियमों की अनुपालना में वन उपज को देखते हुए उपयुक्त स्थान पर कन्सेशन कूप बनाये जाते हैं। स्थानीय नाकेदार व रेंजर द्वारा दिक्क्त पैदा करने की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) सूची संलग्न है।
(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्रीमती शिवकुमारी साधारणतया नहीं का मतलब क्य यह है कि जिन लोगों को रियासत के समय में कन्सेशन दिये गये थे वह कन्सेशन नियम के तहत कंसिल कर दिये गये हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष: जिन लोगों को रियासत के समय में यह सुविधा थी, साधारणतया नहीं से क्या यह मतलब है कि वह बन्द हो गई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नहीं। रियासतों के वक्त में सुविधा नहीं थी।

कई माननीय सदस्य: सुविधा कैसे नहीं थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: वाह ! वाह !

श्री नारायणसिंह मसूदा : एक विज्ञप्ति जारी की गई है राजस्थान फोरेस्ट एक्ट 1953 की धारा 32 और 76 के अन्दर। जो विज्ञप्ति जारी की गई है इस प्रकार के कन्सेशनस के लिये उसके अन्तर्गत यह सुविधा दी गई है।

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : रियासत के टाइम में यह एरियाज एक ही थे और इनके लिए नजदीकी जंगलों से लेन की सुविधा थी। आप कहते कैसे हैं कि सुविधा नहीं थी ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जी नहीं। यह विज्ञप्ति जारी की गई है, यह डिवीजन उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, टोंक के लिए लागू होती है। उस समय इस प्रकार के कन्सेशन्स देने....

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : विज्ञप्ति के जारी होने के पहले क्या सुविधा थी, यह आपको मालूम है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जो सुविधायें दी हुई थी वह कोई नियमित प्रकार से नहीं थी, वह रिकार्ड अच्छी तरह नहीं की। जो भी सुविधायें थीं उनको नियमित इस आज्ञा से किया गया है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि जो सुविधायें थी उनको नियमित किया गया है ?

श्री जुझारसिंह : यह सुविधायें आज से दो वर्ष पहले भी बोर्डर एरियाज के विलेजेज को मिल रही थीं। 1953 में ही नहीं, पिछले साल और उसके पिछले साल तक लोगों को यह कन्सेशन्स दिये हुए थे कि दूसरे बोर्डर के फोरेस्ट डिविजन से वह लकड़ी ला सकते थे। फिर इस साल यह सुविधा क्यों नहीं है ? जब कि पिछले साल थी और उसके पिछले साल भी थी तो इस साल क्यों नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह जो कन्सेशन्स थे वह रिकार्ड पर 1963-64 और 1965-66 में आ सके। और यह कन्सेशन्स इत्यादि दिये गये। अब ज्यों ज्यों कन्सेशन्स के मातहत काम करने की वजह से कूप्स में लकड़ी वगैरह कम होती जा रही है तो इस प्रकार के यह कन्सेशन्स के मातहत दूसरे कूप्स बना कर कन्सेशन्स निर्धारित किये हैं। इस साल दूसरे कूप्स निर्धारित किये गये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने बताया कि दूसरे डिवीजन से लकड़ी लाने के कन्सेशन की वजह से कूप्स में लकड़ी में कमी आ गई। यह बात नहीं है, बल्कि सत्य तो यह है कि आपने जो वर्किंग प्लान बनाये हैं, वह डी० एफ० ओ० वाइज होने के कारण यह सारा झंझट पैदा हुआ है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : डी० एफ० ओ० ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो वर्किंग प्लान बनाया गया है वह डी० एफ० ओ० वाइज है, इसलिये दिक्कत ज्यादा है। दिक्कत का कारण यह नहीं है कि लकड़ी कम हुई है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: वर्किंग प्लान डी० एफ० ओ० वाइज होने की वजह से दिक्कत नहीं है बल्कि इस वजह से है कि लकड़ी की कमी हुई है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि वर्किंग प्लान फोरेस्ट रूल्स के तहत डिवीजन वाइज बनाये जाते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : यह है। यह डिवीजन वाइज बनाये जाते हैं, जैसा आप कह रहे हैं यह भी कारण हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि बारां पाटी का जंगल हैं, जो डी० एफ० ओ०- बारां के अन्तर्गत आता है उसमें कहीं भी जंगल में लकड़ी की कमी नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कहां ? बारां में ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : बारां-पाटी जहां से खानपुर क्षेत्र के किसान लकड़ी लेकर आते थे और जो अब तक चला आ रहा था। और जिसे वर्किंग प्लान डिवीजन वाइज बना कर डिस्टर्ब किया है, वहां जंगल मे लकड़ी की कमी नहीं है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा: इसकी मैं जानकारी करूंगा

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह जो जंगल हैं, जहां से अभी तक खानपुर क्षेत्र के लोग लकडी लेकर आते थे, यह जंगल मुश्किल से वहां से दो तीन मील दूर पर है। लेकिन जो वर्किंग प्लान के तहत जहां कन्सेशन प्रिजर्व किया है उसके तहत लोगों को दस पन्द्रह मील दूर जाकर लकड़ी लानी पड़ती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि आपके नियम अपनी जगह पर हैं और किसानों की दिक्कत अपनी जगह पर हैं और फोरेस्ट गार्डस और रेन्जर्स को रिश्वत देकर बारां-पाटी के लोग लकड़ी लाते हैं......

श्री अध्यक्ष आर्डर आर्डर ! जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री जुझारसिंह: अभी तक मंत्री महोदय ने फरमाया कि लकड़ी की कमी की वजह से कन्सेशन नहीं मिल रहा है, उन जंगलों से लाने का जिनसे लकड़ी लाया करते थे। अटरू तहसील जो काफी दूर है, वहां से अभी ला रहे हैं जब कि खानपुर का दो मील पर हैं उसमें यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यह कन्सेशन इसलिये बारां फोरेस्ट डिवीजन वालों को मिलता है और झालावाड़ फोरेस्ट डिवीजन वालों को नहीं मिलता है हालां कि उनके मुकाबले में यह ज्यादा नजदीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न रूप में है न ?

श्री जुझारसिंह : मेरा निवेदन है कि लकड़ी की कमी की वजह से मुमानियत हुई है, यह सही नहीं है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : अध्यक्ष महोदय, वर्किंग प्लान के अनुसार कन्सेशन दिया जाता है, कन्सेशन देने पर सूखी

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

लकड़ी वगैरह इकट्ठी की जाती है। इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि सूखी लकड़ी बटोरने की इजाजत दी जाती है तो वे इस कन्सेशन से और भी अधिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हर जंगल में देखा गया है कि इस कन्सेशन के कारण फोरेस्ट्स के अन्दर हर्जाना उठाना पड़ता है। इस प्रश्न को भी देखना पड़ेगा कि कन्सेशन देते हुए भी फोरेस्ट के अन्दर जो इस तरह से हरजाना होता है, वह नहीं हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि यह जो सरकार ने वर्किंग प्लान बनाया है, जिससे किसानों को लकड़ी लाने में दिक्कत हो रही है तो जनहित को दृष्टि में रखते हुए वर्किंग प्लान में जो गलती हुई है उस गलती को सुधारने की सरकार कोशिश करेगी?

श्री नारायणसिंह मसूदा : वर्किंग प्लान में कोई गलती नहीं हुई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलती ही तो है कि इस वर्किंग प्लान के बनाने से किसानों को उनकी जरुरत की लकड़ी नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 76।

शेरों का बाला फीडर का निर्माण कार्य

76. **श्री फतेसिंह** (ब्यावर)

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) शेरों का बाला फीडर (अजमेर जिला) की स्वीकृति कब हुई और कार्य कब प्रारम्भ हुआ? इस पर अब तक कितना रुपया खर्च किया जा चुका है तथा कार्य को सम्पूर्ण कराने में और कितना रुपया खर्च होने की सम्भावना है?

(2) इस फीडर का कार्य कब प्रारम्भ किया गया था और शेरों का बाला का पानी इस फीडर द्वारा किस साल तक जालिया तालाब (फूल सागर) में पहुंचा कर ब्यावर नगर की पेय जल की समस्या हल की जा सकेगी?

(3) इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी?

(4) क्या यह सही है कि ठेकेदार द्वारा यह कार्य जिस तिथि तक पूरा हो जाना चाहिये था उस तिथि तक नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार ने ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लढ्ढा): (1) इस योजना को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। शेरों का बाला बान्ध एवं शेरों का बाला फीडर। बांध की स्वीकृति तारीख 20-1-67 को हुई और कार्य दिनांक 1-2-67 को प्रारम्भ हुआ। दिसम्बर, 1967 तक इस कार्य पर सिंचाई विभाग द्वारा अपने बजट से 44,562 रुपया खर्च किया जा चुका है और इस कार्य के पूरा होने तक अनुमानतः 72,600 रुपया और खर्च होने की सम्भावना है।

(2) दूसरे भाग फीडर का कार्य सन 1964 से अकालराहत कार्यों के

(श्रीरामप्रसाद लड्ढा)

अन्तर्गत राजस्व ऐजेंसी द्वारा प्रारम्भ किया गया। एवं 66–67 में यह कार्य अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत सिचाई विभाग द्वारा करवाया गया। सिचाई विभाग द्वारा किये गये कार्यों पर लगभग 17,000 रुपया खर्च हुआ। इस फीडर के जरिये शेरों के बालों से ग्राम तारागढ़ एवं दांतोला के तालाबों में पानी जायगा। इस बान्ध की क्षमता एवं आमद को देखते हुए आगे पानी पहुंचाना सम्भव नहीं है।

(3) शेरों का बाला बान्ध के लिये राज्य सरकार द्वारा 1,17,200 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी तथा फीडर निर्माण का कार्य प्रारम्भ में श्रमदान फिर राजस्व एजेंसी द्वारा तथा अन्त में सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यो के अन्दर किया गया हैं। कुल मिला कर कितनी स्वीकृति हुई अथवा कितना खर्च हुआ, यह तहकीक तौर पर नहीं कहा जा सकता है।

(4) फीडर का कार्य तो प्रायः समाप्त हो चुका है, लेकिन बान्ध के कार्य की प्रगति धीमी है। ठेकेदारों को इसके लिये तारीख 14-11-67 को नोटिस दे दिया गया है तथा एग्रीमेंट धारा 2 और 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

श्री फतेहसिंह : यह रिजर्वायर को ऊंचा बनाने का कार्य कब तक समाप्त होगा, सरकार क्या इरादा रखती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: 68-69 के आखिर तक पूरा होने की संभावना है।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार को जानकारी है कि इस ठेकेदार ने मजदूरों को मजदूरी अब तक नहीं चुकाई है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अभी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री फतेहसिंह : मैं जानकारी दे रहा हूं कि मजदूरों की दो महिने की मजदूरी बाकी है। क्या सरकार जल्दी से पेमेंट कराने का आदेश जारी करेगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार स्वयं तो पेमेंट नहीं कर सकती, हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है।

श्री फतेहसिंह : यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि जिस ठेकेदार को सरकार ठेका दें, उसको कहे कि वह मजदूरों की पूरी मजदूरी का पेमेंट करे। क्या सरकार इसे अपना उत्तरदायित्व नहीं समझती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री फतेहसिंह : अभी मुझे सप्लीमेंटरीज करने हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य: बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसलिये प्रश्नों का समय बढ़ाना चाहिये।

श्री अध्यक्षः आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य सप्लीमेंटरी कर रहे हैं।

श्री फतेहसिंह: क्या सरकार इस योजना को फीडर को तारागढ़ से आगे फूलसागर तक ले जाने का विचार नहीं रखती?

Page No. 31

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जैसा मैंने निवेदन किया इस बांध की क्षमता इतनी नहीं है। क्षमता बढ़ाई जा सकती है पर आमद नहीं है कि इन दो तालाबों को भर कर फूलसागर पहुंचा सकें। आमद कम होने से फूलसागर तक नहीं पहुंचाया जा सकता।

श्री फतहसिंह : क्या सरकार को जानकारी है कि यह रिजर्वायर और फीडर इसी उद्देश्य से बनाये गये थे कि इनसे पानी फूलसागर पहुंचा कर ब्यावर की पेय जल की समस्या को हल किया जाय?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: जो योजना स्वीकार की है, इसमें यही कार्य है, आमद कम होने से पानी आगे नहीं पहुंचाया जा सकता।

श्री फतहसिंह: क्या यह सही है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य ने इसी उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृत किया था कि इसका पानी जालिया (फूलसागर) तक पहुंचाया जाय और ब्यावर की जल की समस्या को पूरा किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा हमने जो अन्दाज लगाया है उससे यदो तालाब भी पूरे भर जायें तो बड़ी खुशी होगी ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए ।

श्री फतहसिंह : श्रीमान् मुझे एक प्रश्न और करने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्राथमिक पाठशाला, ग्राम मोतीपुरा

20. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नैनवा पंचायत समिति के ग्राम मोतीपुरा की प्राथमिक पाठशाला में कितने छात्र हैं ?

(2) यह प्राथमिक पाठशाला कब से चल रही है ?

(3) यहां पर अध्यापक कौन हैं, और अभी यह क्या काम कर रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि अध्यापक अपने काम से गैर हाजिर हैं ? यदि हां, तो कब से ?

(5) क्या सरकार इस स्कूल को बन्द करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 32 छात्र।

(2) 1960-61 से

(3) श्री मथुरालाल, अध्यापक कार्य कर रहे हैं ।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

फिक्सशन के मामले

21. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के कर्मचारियों (अध्यापकों आदि) के फिक्सेशन के केसेज काफी संख्या में बाकी हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी पंचायत समितियों में कितने कितने केस बाकी हैं?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) कितने कितने केसेज कितने कितने समय से बाकी हैं और बाकी रहने के मुख्य मुख्य कारण क्या हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। वेतन निर्धारण के मामले बाकी हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में देदी गई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय की भेज दी गई है)

पंचायत समिति, लाडनूं में सामान की खरीद

22. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, लाडनूं ने दिनांक 1-1-65 से दिनांक 31 मार्च, 67 तक कितने रुपयों का सामान खरीदा ? सामान का विवरण, आर्डर देने की तारीख, सामान प्राप्त करने की तारीख, पार्टी को पेमेन्ट करने की तारीख, पंचायत समिति की स्वीकृति की तारीख, खरीदने का प्रयोजन, बजट का हेड, प्राप्त होने के बाद कार्य में लेने की तारीख, खरीदने का प्रोसीजर की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) दिनांक 1-1-65 को पंचायत समिति के स्टोर में क्या क्या समान था और दिनांक 31-3-67 को क्या क्या था ? सूचियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) दिनांक 1-1-65 से दिनांक 31 मार्च, 1967 तक पंचायत समिति के स्टोर से किन किन को कब कब कौन कौन सा सामान इश्यू किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) कुल 83,525·08 पैसे का सामान खरीदा गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विस्तृत सूची होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में भेज दीगई।)

ग्राम सेवकों को प्रशिक्षण तथा उनकी नियुक्ति

23. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, उदयपुर में दूसरे सत्र सन् 55 56 में कितने ग्राम सेवकों न प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

(2) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हीं मे से किन किन को सीधा एपाइन्टमेन्ट दिया गया और किन किन को दूसरी प्रकार की ट्रेनिंग में एरनपुरा भजा गया और उनका अपोइन्टमेन्ट कब किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त ग्राम सेवकों म से, जिनको पूरा कोर्स किये बिना ही एपाइन्ट कर दिया था, उनको सेवा म सीनियर माना गया है और जिन्होंने पूरी ट्रेनिंग करके सेवा में ज्वाइन किया है, उनको जूनियर माना गया है, जबकि उनका ट्रेनिंग

(श्री हरजीराम बुरड़क)

के लिए चयन एक साथ ही हुआ था ? यदि हां, तो यह किस आधार पर किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि जिन ग्राम-सेवकों को ट्रेनिंग के बीच में पूरी ट्रेनिंग किये बिना ही ड्यूटी पर लगा दिया था उनको बाद में ट्रेनिंग में लगाया गया और उनको ट्रेनिंग पीरीयड का पूरा वेतन दिया गया ? यदि हां तो जिन्हों ने पूरी ट्रेनिंग करके ज्वाइन किया उनको इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया ?

(5) क्या राज्य सरकार ने इस पर कभी विचार किया है कि इस प्रकार एक साथ के चुने हुए कर्मचारियों में से किसी को दोहरा फायदा अर्थात् सीनियरिटी व ट्रेनिंग पीरीयड की तनख्वाह दोनों दिये गये और किन्हीं को दोनों ही तरफ का नुकसान पहुंचाया गया है? यदि हां, तो अब राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के अव्यवहारिक निर्णय से ग्राम सेवकों के दिमाग पर असर पड़ा है जिससे इस विभाग का कार्य शिथिल पड़ा है यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यवाही की गई हैं?

उत्तर

(1) 113 ग्राम सेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां, राज्य सरकार की तत्कालीन नीति के अनुसार ।

(5) जी हां । दोहरा फायदा नहीं दिया गया ।

(6) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(कृपया परिशिष्ट संख्या 5 देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र, कठूमर में तालाबों से सिंचाई

24. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति, कठूमर द्वारा पुराने तालाबों को गहरा करने के लिए कितनी रकम गत पांच वर्षों में दी गई है ?

(2) गत पांच वर्षों में नये तालाब बनाने के लिए कितनी रकम दी गई है ? वर्षवार विवरण दें तथा रकम किन किन ग्राम पंचायतों को दी गई है ?

(3) क्या इन तालाबों से सिंचाई होती है ?

(4) यदि होती है, तो कितनी भूमि सिंचित होती है ?

(5) सरकार को प्रति वर्ष सिंचाई से कितनी आमदनी होती है ?

उत्तर

(1) 6,915) रु० की रकम दी गई ।

(2) किसी भी पंचायत को कोई रकम नहीं दी गई ।

(3) जी नहीं

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Page No. 34

पंचायत समिति, कठूमर द्वारा सिंचाई कूप निर्माण हेतु दी गई धनराशि

25. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कठूमर पंचायत समिति द्वारा गत पांच वर्षों में कितने सिंचाई के कूप निर्माण कार्य के लिए तकावी दी गई तथा कितने व्यक्तियों को दी गई ?

(2) क्या सभी तकावी प्राप्तकर्ताओं से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion certificate) प्राप्त हो चुके हैं ?

(3) यदि नहीं हुए तो कितनों से और क्यों नहीं हुए ? शेष लोगों से कब तक पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) कुल 269 कूप निर्माण कार्य के लिए 269 व्यक्तियों को तकावी दी गई।

(2) 47 व्यक्तियों ने अभी तक कार्य पूरे नहीं किये हैं।

(3) सिमेन्ट पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण 47 कार्य पूरे नहीं हुए हैं जिन्हें शीघ्र पूरा करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

जिला सवाईमाधोपुर के छात्रावास

26. **श्री श्रवणलाल** (हिण्डौन सु.): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने कितने छात्रावास कहां कहां पर चलाये जा रहे हैं ?

(2) उपरोक्त छात्रावासों में सन् 1962 से 1967 तक कितने छात्र कब से कब तक रहे ?

(3) उपरोक्त छात्रावासों में कितने अनुसूचित जाति व कितने अनुसूचित जन जाति के छात्र हैं और इन छात्रावासों को कितनी कितनी राशि दी जाती है ?

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में इस विभाग की ओर से तीन निम्न स्थानों पर छात्रावास चलाये जा रहे हैं:—

(1) सवाईमाधोपुर।

(2) करौली।

(3) महुवा।

(2)

सत्र	सवाईमाधोपुर	करौली	महुवा
62–63	25	14	24
63–64	25	22	23
64–65	40	36	39
65–66	40	40	39
66–67	40	40	40
67–68	45	39	42

(3) इस सत्र में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की संख्या निम्न प्रकार है:—

जाति	सवाईमाधोपुर	करौली	महुवा
अनुसूचित जाति	9	38	8
अनुसूचित जन जाति	36	1	34

वित्तीय वर्ष 1967-68 में उक्त छात्रावासों के लिये अनुसूचित जाति छात्रावास, करौली के लिये 21,140 रुपये तथा अनुसूचित जन जाति छात्रावास, सवाईमाधोपुर तथा महुवा के लिये 42,340 रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

(12. 16 म० प०)

स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

(1) श्री कृष्ण कुमार गोयल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी ने जोधपुर नगर में दिनांक 16-1-68 को मांला पुत्री कृष्णदास सिंधी, नामक लड़की को कुछ गुन्डे रात्रि में जबरदस्ती उड़ा कर ले जाने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है. ....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उड़ा कर क्या ले गये मरडर कर दिया है......

श्री अध्यक्ष : आगे डाट, डाट..........

चूंकि इस मामले का संबन्ध राज्य में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखने से है अतः मैं इसको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है इसकी सूचना माननीय गृह मंत्री महोदय सदन को देन की कृपा करें।

(2) श्री रामनारायण, श्री शिवनाथ सिंह, श्री सूरजमल एवं श्री मूलचन्द कटेवा ने झुन्झुनू जिले में पिछले करीब 1 माह से बिजली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि चिंडावा से झुन्झुनू व नवलगढ़, सूरजगढ़ से उदयपुर, नवलगढ़ से मंडावा, नीम का थाना से उदयपुर वाटी तथा उदयपुर वाटी से बागोली आदि को जाने वाली सभी लाइनों पर बिजली का वोल्टेज इतना कम आ रहा है कि सिंचाई करना असंभव हो गया है।

इस पर भी मैं चाहूंगा कि माननीय विद्युत मंत्री यथाशीघ्र जानकारी कर वक्तव्य दें।

(3) ग्राम रिडमलसर, तहसील एवं जिला बीकानेर के श्री मोडाराम पुत्र सेहरा राम की तारीख 12-13-67 को तथा बीकानेर शहर में एक व्यक्ति की नवम्बर, 1967 को भूख से मृत्यु हो जाने से संबन्धित एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य विधान सभा ने दी है। उन्होंने स्थगन प्रस्ताव में यह बतलाया है कि सरकारी अधिकारी उन्हें भुखमरी से बचाने में असफल रहे। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः इस स्थगन प्रस्ताव को मैं सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं किन्तु चूंकि इस मामले में दो व्यक्तियों का भूख से मर जाना बतलाया गया है......

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): यह भी लोक महत्व का नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

अतः मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्रीजी इस सम्बन्ध में जानकारी कर सदन को यथाशीघ्र सूचित करने की कृपा करें।

टोकन व तकावी देने से पूर्व अल्प बचत राशि की वसूली सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर वित्त मंत्री का वक्तव्य।

गाड़ियों के टोकन दिये जाने से पूर्व एवं किसानों को तकावी आदि दिये जाने से पूर्व नेशनल सेविंग्ज अथवा स्माल सेविंग्ज की वसूली, के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी अपना स्टेटमेंट देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव रखा गया है कि अल्प बचत आन्दोलन के सिलसिले में राष्ट्रीय अल्प वचत योजना में सरकार द्वारा और सरकारी अधिकारियों द्वारा गाड़ियों के टोकन देते वक्त और किसानों को तकावी देते वक्त उनसे राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत रुपया वसूल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जिससे किसी नागरिक से अल्प बचत के सिलसिले में उनसे जबरदस्ती अल्प वचत का रुपया वसूल किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी योजना के सिलसिले में ज्यादा रुपया जनता से इकट्ठा होकर उसे हमारी योजना में इन्वेस्ट किया जाय जिससे हमारा प्लान सीलिंग ऊंचा हो और हम विकास के काम कर सकें, इसलिये हमारी योजना के अन्दर रिसोर्सेज को रेज करने में स्माल सेविंग का बहुत बड़ा हाथ है। हमारी इन मुख्तलिफ योजनाओं के अन्दर राज्य सरकार ने पूरी पूरी कोशिश की पर मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि दूसरी रियासतों के मुकाबले में 64-65, 65-66-67 में राजस्थान में अल्प बचत योजना के सिलसिले में.....

श्री नाथीसिंह : एक व्यवस्था का प्रश्न है, क्या राजस्व मंत्रीजी को रोज सदन में सोने की अनुमति मिल गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मुझे इस पर एतराज है, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं इस पर ओब्जेक्शन लेता हूं, मेरी आंखों में खरावी होने के कारण मैं आंखें बन्द करके बैठता हूं तो माननीय सदस्य सोचते हैं कि मैं सो रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : आंखों में खराबी है तो चश्मा लगा लो।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय मेरे सीधे सामने बैठे हैं और माननीय सदस्य जिन्होंने सवाल उठाया है, वह पीछे बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि मंत्री सो नहीं रहे हैं, आंख थोड़ी सी मूंदी हुई थी, आंख की तकलीफ की वजह से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार की आंखें खोलना हम विरोधी पक्ष वालों का फर्ज है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन कर रहा था कि गुजरात, मद्रास, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की अल्प-बचत के सिलसिले में जो कुछ भी धनराशि इकट्ठी हुई, अगर उन आंकड़ों को आप देखें तो यह मालूम होगा कि 1963-64 में गुजरात में 9 करोड़ रुपए, मद्रास में 5 करोड़ रुपये, मध्यप्रदेश में 5 करोड़, महाराष्ट्र में 29 करोड़, पंजाब 8 करोड़, पश्चिम बंगाल 22 करोड़, उसके मुकाबले में राजस्थान ने 1,50,00,000 हुए। इसी तरह से अगर 1966-67 के आंकड़ों को आप देखें तो गुजरात में करीब 4 करोड़, मद्रास में 8 करोड़ मध्यप्रदेश में करीब 5 करोड़, महाराष्ट्र में 20 करोड़, पंजाब में 10 करोड़, पश्चिम बंगाल में 14 करोड़, राजस्थान में 2,13,00,032 खास तौर से इस साल में जो कुछ भी हमने धनराशि अपने बजट में अल्प-बचत के जरिए से आइटम रखा था, उसको पूरा करने के लिए और उसके साथ साथ में दूसरी रियासतों के मुकाबले में राजस्थान के बराबर हैं, उनकी सोशल कन्डीशन्स

(श्री मथुरादास माथुर)

को छोड़कर, बाकी कन्डीशन्स हमारी जैसी हैं, इस दिशा में प्रयत्न करना जरूरी था। अतः राज्य सरकार ने इस बात का फैसला किया और अल्प-बचत विभाग का रिओरगेनाइजेशन किया गया। हमने इसके साथ साथ स्माल सेविंगज बोर्ड के अधिकारियों की और कलक्टर्स की कॉन्फरेन्स बुलाई। इसके अलावा नॉन-ऑफीशियल जो हमारे स्माल सेविंग्ज बोर्ड के सदस्य हैं उनसे भी चर्चा की कि यह आंदोलन समाज के हरेक क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिये विद्यार्थियों के अंदर भी यह काम तेजी से शुरू हुआ और आप जानकर खुश होंगे कि हमें इस काम में कामयाबी मिली। जो एडेड संस्थायें हैं उनका प्रोवीडेन्ट फंड का रुपया जमा होने लगा और उसके साथ साथ में हमने एक स्पेशल ऑफीसर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन के यहां पर स्माल सेविंग्ज की तरफ से रखा है जो इस काम को देखता है विद्यार्थियों और शिक्षकों में और उनके द्वारा अल्प-बचत योजनाओं में जो कुछ काम हो रहा है, उसमें बहुत कामयाबी मिली है।

इसके साथ में इस बात का भी प्रयत्न किया और हर जिले में टारगेट्स निर्धारित किए–रूरल एरियाज के अंदर क्या हासिल कर सकते हैं और अर्बन में कितना हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ हर क्षेत्र में हर अधिकारी से अपील की गई है कि वे ज्यादा दिलचस्पी लेकर काम करें, इतना ही नहीं हमारे यहां पर जितने समाज के और लोग हैं, व्यवसायी हैं उद्योगपति हैं, उनसे भी अपील की गई है और लिखित रूप में कम से कम हजारों खत मैंने भेजे हैं कि वे अपने प्रोवीडेन्ट फंड के रुपये स्माल सेविंग्ज में इन्वेस्ट करें क्योंकि जितना रुपया हम इकट्ठा कर पाते हैं, उसका 2|3 राज्य सरकार अपनी योजना में खर्च करने में लगाती है और 1|3 भारत सरकार लेती है। जितना रुपया विथड्रा हो जायगा, उसको काटकर बाकी जो नेट बचेगा वही फिगर गिनी जायगी। इसलिये हमने अपने टारगेट्स रिवाइज किए कि हम करीब 7 करोड़ रुपया इकठ्ठा कर पायें जिसका 2|3 सवा पांच करोड़ के करीब राज्य सरकार को योजना के अन्दर काम करने के लिये मिलेगा।

हमने दूसरे राज्यों के फिगर्स को देखकर 1967-68 के लिए टारगेट्स निर्धारित किए थे, इसके लिए कोशिश की गई। जिलेवार टारगेट्स भी निर्धारित किए गए और उसके साथ साथ में हमने यहां पर दिसम्बर में इस अभियान को तेजी से चलाया। जनवरी में भी तेजी से चलाना चाहते हैं। नॉन-ऑफीशियल जितनी संस्थायें हैं, पंचायत समितियां, जिला परिषदें और नगरपालिकाएं हैं, उनको भी लिखा गया और इसके अंदर कम्पीटीशन हुआ कि जो पहले, दूसरे और तीसरे आते हैं उनको विकास के लिए स्पेशल रुपया इनाम के तौर पर दिया जाता है। रूरल वाटर सप्लाई और नगर पालिकाओं के अंदर भी वह प्रावधान रखा गया, सरकारी अधिकारियों को सर्टीफिकेट्स और स्पेशल रिवार्ड्स का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा नॉन ऑफीशियल एजेन्सीज के अन्दर और एजेन्ट्स मुकर्रर किए गए। पोस्ट ऑफीस वालों से भी मिलकर कोशिश की गई जिससे सीधे तरीके काम हो।

(श्री मथुरादास माथुर)
स्वयंसेवी संस्थाओं को भी खत लिखे गए कि वे सहयोग दें। इतना ही नहीं यह जो कहा गया कि टोकन देते समय या लाइसेन्स देते समय या जो अधिकारी जनता के सम्पर्क में आते हैं, मौके का फायदा उठाते हैं, उनसे कहा जाता है कि अल्प-बचत में रुपया दो, उसके लिए मेरा नम्र निवेदन है कि तो कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है सिर्फ अपील की जाती है। किसानों से भी इस बात की अपील की गई, उनकी खरीफ की फसल अच्छी हुई है, रबी में भी अच्छी उम्मीद है। इसलिए अगर किसानों से इस आंदोलन में धनराशि ली जाय तो अपने आप में राज्य सरकार को रुपया नहीं मिलता है पर बहुत बड़ा समाज का सुधार होता है क्योंकि हमारी कैसीभी बड़ी योजना बन जाय जब तक उस योजना के अंदर जो रुपया इकोनामी के अंदर जनरेट करते हैं, वापस इन्वेस्ट नहीं होता है डेवलपिंग इकोनोमी कभी सेल्फ-जनरेटिंग नहीं बन सकेगी। इसलिये जहां किसान अगर मौसर और शराबखोरी में लाखों रुपया खर्च करे और वह रुपया अगर इस आंदोलन में लड़कों और लड़कीयों के नाम जमा करता है तो ब्याज भी मिलता है और आगे आने वाली पीढ़ी की शिक्षा इत्यादि के लिए रुपया मिल जाता है। इसलिये जरूरी है कि पिछड़े हुए लोगों के लिए यह आंदोलन बहुत तेजी से चलाना चाहिए, यह अपने आप में एक सोश्यल रिफार्म है। इस आधार पर हमने यह स्पेशल कदम उठाया है और जगह जगह पर अधिकारियों को ही नहीं बल्कि नॉन-ऑफिशियल एजेन्सीज से भी निवेदन किया कि वे सहयोग दें। इसलिये यह टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा है, यह उनका ही रुपया है डिपोजिट करने के लिए। इसलिये माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे सहयोग दें, यह राष्ट्र का काम है राष्ट्रीय बचत का काम है। इससे हमारी योजनाओं और विकास का काम होगा। इसके अलावा, इस रुपये की बचत से अगर किसान को और हमारे राजस्थान के निवासियों को यह फीलिंग होगी कि वह भी बहुत बड़े विकास के काम में पारटीसिपेन्ट हैं, सहयोगी हैं, तो उनको भी विश्वास पैदा होगा और वह एक अच्छे नागरिक का अपना कर्त्तव्य अदा कर सकेगा। इसलिये इस आंदोलन के जरिए से जो कुछ रुपया हम ले रहे हैं वह किसान के अंदर एक इन्वेस्टमेंट ऑफ फेथ है और वह महसूस करेगा कि वह इस बड़े काम में हिस्सेदार है जो रुपया बचाएगा वह उसके ही काम आएगा और विकास का काम भी साथ साथ होगा। दूसरे राज्यों ने भी बड़ी रकम इकट्ठी की है। महाराष्ट्र और गुजरात ने इसलिये ज्यादा रकम इकट्ठी की है क्योंकि वे उद्योग के हेडक्वार्टर्स हैं, वहां ज्यादा प्रोवीडेन्ट फंड का रुपया जमा होता है। मगर दूसरी रियासतों में 5·6 करोड़ की बचत हुई है उसके मुकाबले में राजस्थान में दो करोड़ नजर आये तो हमने सोचा कि तेजी से इस ओर प्रयत्नों की आवश्यकता है और हमें करने चाहिये। हम भी चार-पांच करोड़ तक पहुंच सकते हैं। इसलिये योजना बना कर काम तेजी से शुरू किया गया। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह काम हो रहा है उसमें निरुत्साहित न करें। आप हम पूरा सहयोग दें।

श्री अध्यक्ष: आर्थिक सहयोग।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने हुक्म दिया कि इस पर चलो।

श्री मथुरादास माथुर : हमने पंचायत समितियों के लेवल पर मिटिंग बुलायी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारी को हुक्म दे दिया कि वसूली करलो। थानेदार को हुक्म दे दिया कि वसूली कर लो। आप फिर हम से सहयोग चाहते हैं?

श्री मथुरादास माथुर: पंचायत समितियों के प्रधानों, जिला परिषदों क प्रमुखों और अफ़सरों की मिली जुली बैठक बुलायी थी। विधान सभा का अधिवेशन तो नहीं हो रहा था इसलिये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। अब विधान सभा हुई तो यह काम शुरू हो गया। मेरी इच्छा है और मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हम माननीय सदस्यों से सहयोग चाहते हैं।

श्री किशनलाल शाह (नावां): आप यह बतायें कि कम्पलशन उसमें है या नहीं? आपका उपदेश सुन लिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! आर्डर, ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आपने नहीं कहा कि जो लोग यह नहीं करेंगे उनकी पदोन्नति नहीं होगी। उनकी पदोन्नति नहीं की जावेगी और उनकी तनख्वाह रोक ली जावेगी। उनको फोर्स किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। माननीय श्री रामानन्द। आप बाद में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं मौका दूंगा। पहले आप स्टेटमेंट को पूरा हो जाने दीजिये। फिर प्रश्न पैदा होते हैं तो आप पूछ सकते हैं।

श्री किशनलाल शाह : पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य। ऑर्डर।

आपका अधिकार है स्पष्टीकरण लेने का। मैं उस समय बहुत लिबरल रहूंगा।

श्री किशनलाल शाह: सवाल यह है...

(शोर गुल) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। ऑर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करिये।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन नहीं पाये थे मैंने शुरू में ही यह कहा था कि राज्य सरकार....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिक्कत यह है कि उनकी पंचायत समिति में कांग्रेसी सदस्य हैं उन्होंने यह प्रस्ताव पास किया है कि बल पूर्वक वसूली नहीं होनी चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिला परिषद्, अलवर में यह सवाल उठा था तो वहां पर सारे हाउस की तरफ से कहा था कि जबरदस्ती यह वसूली हो रही है उसको रोका जाय। आप पटवारियों के जरिये क्यों वसूली करवा रहे हैं?

Page No. 40

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि आपका स्टेट्मेंट समाप्त हो जाने दीजिये और उसके बाद स्पष्टीकरण के लिये जो कुछ प्रश्न पूछने हों वे आप पूछ सकेंगे और बाद में इन्टरप्शन न इधर का रहेगा और न उधर का रहेगा।

आपने (श्री मथुरादास माथुर) समाप्त कर दिया?

श्री मथुरादास माथुर : नहीं साहब।

श्री मनोहरसिंह महता : एक सूचना का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सूचना का प्रश्न बाद में पैदा होता है। पहले आपका स्टेटमेंट हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है और शुरू में ही मैंने कहा था कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी अफसर को ऐसे आदेश नहीं दिये गये थे जिसकी वजह से जबरदस्ती अल्प बचत योजना अन्तर्गत किसी जगह से कोई धनराशि इकट्ठी करें। मैंने अपना स्टेटमेंट इन्हीं लफ्जों के साथ शुरू किया था और जो एक्टीविटीज कर रहे हैं इसका मुझे फायदा नजर आ रहा है। आप से भी अपील की। जिला परिषदों से कम्पीटिशन करवा रहे हैं, इन्टेन्सिव प्रोग्राम कर रहे हैं, विद्यार्थियों में कर रहे हैं और मेरे सामने कोई शिकायत किसी पंचायत की लिखी हुई नहीं आयी है।

(व्यवधान)

श्री सहदेव : वालेन्टियरली कहां ले रहे हैं, फोर्स करके ले रहे हैं।

(शोर गुल) (अश्राव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मथुरादास माथुर : टारगेट मुकर्रर किये गये हैं। उसके बगैर कोई योजना का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। आप फिजिकल टारगेट मुकर्रर करते हों इसके माने यह नहीं है कि कम्पलशन होता है। कोशिश करके आगे बढ़ायेंगे। कोई कम्पलशन से न हो किन्तु समझाइश से हो और इसके लिये पूरी कोशिश करें यही बात कलेक्टर को मिटिंग में कही गयी। किसी कलेक्टर को नहीं कहा गया कि यदि यह नहीं किया गया, चाहे जबरदस्ती भी तो तुम्हारी तनख्वाह रोक दी जावेगी। किन्तु कलेक्टर को यह कहा गया कि आपको इसमें दिलचस्पी रखनी पड़ेगी। तुम यह नहीं समझ सकते कि यह हमारा काम नहीं है। रुटीन काम की तरह से इसको नहीं लेना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारियों को वसूली के आदेश जारी किये गये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : विलेज लेवल पर पटवारी, विलेज वर्कर, स्कूल मास्टर जो भी इसके लिये एजेन्ट बनना चाहें और भी कोई नॉन-ऑफिशियल एजेन्ट बनना चाहें तो वह बन सकते ह। लेकिन पटवारियों को यह नहीं कहा गया कि जबरदस्ती करो। उनको यह कहा गया कि आगे इसको मुजरा कर सकते हैं लेंड रेवेन्यु की अदायगी के साथ। किसानों के हक में बात की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारियों को यह हुक्म नहीं दिया हुआ है कि दस रुपया नहीं दें तब तक लगान मत लो।

कई माननीय सदस्य : मेरी तहसील में इस प्रकार के हुक्म दिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक चिट्ठी पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सभी स्थान ग्रहण करें।

(शोर गुल) (व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज!

माननीय श्री रामानन्द। आप भी स्थान ग्रहण करें।

(शोरगुल)

ऑर्डर प्लीज!

श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारी लाजमी तौर पर एजेन्ट बनेगा यह गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया। पटवारी ने यह कह दिया कि जब तक दस रुपया न दे दें तब तक लगान नहीं लिया जायगा। मैं एक पटवारी की चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूँ :

"मैंने आज दिनांक 12-1-68 को बुधाराम s/o बिहारी अहीर, सा० बिनोलिया से जमा के पैसे तथा शिक्षा कर के पैसे व भारत गणराज्य अल्प-बचत योजना के पैसे 10 रु० मांगे लेकिन इन्होंने कहा कि मैं शिक्षा कर बाउन्ड के पैसे नहीं दूंगा इसलिये इससे मैं जमा भी नहीं ले रहा हूं।

रामकुमार शर्मा,
पटवारी सर्किल
12-1-68"

यह चिट्ठी मैं सदन की मेज पर रखता हूं। दस रुपये उससे मांगे उसने नहीं दिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय एक माननीय सदस्य की बात सुन रहे हैं

श्री रामानन्द अग्रवाल : रजिस्ट्रियों पर पांच परसेंट लिया जावेगा तब रजिस्ट्री होगी। अल्प-बचत योजना में जिनके पास सरप्लस हैं वे पैसा दें उनसे हमें कोई इनकारी नहीं है, गुरेज नहीं है। लेकिन गरीबों को इस तरीके से मजबूर करना बड़ा भारी अन्याय है लेकिन जो तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो फोर्स और अपरेटस आपके स्टेट के हैं, अगर उसको हाथ में दे देंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि गरीब लोगों को जबरदस्ती लिया जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं आज आपने पटवारी को दिया, कल आप थानेदार को देंगे, फिर आप किसी सिपाही को देंगे। जबरदस्ती का सवाल नहीं है, सवाल यह देखने का है कि वे इस स्थिति में है या नहीं आप कम्पलसन और वालन्टरी को देखें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इसको देखेंगे तो गरीब लोगों पर यह जबरदस्ती लादा जा रहा है। इससे पटवारी को ज्यादा पैसा अपनी जेब में पड़ेगा। वे बान्ड वान्ड कुछ नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जिनके पास सरप्लस पैसा हैं उनसे क्यों नहीं वसूल किया जाता हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री मण्डल के सदस्यों ने इस अल्प-बचत योजना में कितना पैसा देने का निर्णय किया है फिर इस

(श्री रामानन्द अग्रवाल) सदन के माननीय सदस्यों ने अपने 400 रुपये के वेतन में से और जो भत्ता मिलता है उसमें से अल्प-बचत योजना में कितना जमा करा रहे हैं। जो आफिसर्स बैठे हैं, वह कितना पैसा जमा करवाते हैं। एक ऐसे आदमी से जो गरीब हैं, आप वसूल करना चाहते हैं।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हमने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करिये, दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दीजिये।

आर्डर, आर्डर।

(शोरगुल, कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): मुझे यह निवेदन करना है कि अल्प-बचत योजना बहुत अच्छी चीज है। किसान बोहरा से उधार लेने जाता है तो क्या वह कहता है कि कमर में डंडे की मारूंगा? वहां पर पटवारी कहते हैं कि उधार नहीं देंगे जो लगान नहीं लूंगा में आपके पास ऐसी रसीद लाया हूं जो तीन तीन रुपये की है और उन पर 10-10 रुपया वसूल किया गया है। यह रसीदें निंसियाई की हैं। यह गांव कोटड़ी तहसील में है। लोगों के मन में यह धारणा जमी है कि मसाने में गया लकड़ा वापिस नहीं आता है, कब्रिस्तान में गया पत्थर वापिस नहीं आता है और इसी प्रकार राज्य में गया हुआ रुपया भी वापिस नहीं आता है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस राज्य में जमा पैसा भी वापिस नहीं आता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह कोटड़ी तहसील में वसूल हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री बाढ़दार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय आप केवल मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या इस जयपुर में कोई मोटरवाला है जिसको टोकन बनाते वक्त अल्प-बचत के लिये मजबूर न किया हो। क्या आप जयपुर जिले में ऐसा कोई बता सकते हैं। सरकार जब लोन देती है तो क्या किसी एक भी ऐसे व्यक्ति को आपने अल्प-बचत के लिये कहा है। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि हमने किसी को संरक्षण नहीं दिया है। उन लोगों से जबरदस्ती लिया जाय। लेकिन मैं यह सत्य निवेदन करूंगा कि ऐसा इन्सटान्स, अध्यक्ष महोदय नहीं बता सकते हैं। एक तीसरा प्रश्न छोटा सा है कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार, उन अभिभावकों को यह मजबूर किया जाता है कि एक एक बच्चे को कि एक एक रुपया जमा कराओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विचार तो करिये जिसके 8,9 बच्चे हैं, उसको 9 रुपये जमा कराने होंगे। वह बेचारा 150 रु० का अहलकार अपने एक एक बच्चे के

(श्री दुर्गालाल बादवार)

करके 9 रुपये वहां जमा करायेगा। उसकी तनख्वाह का चौथाई हिस्सा ले लिया जाय वह क्या करेगा।

(विरोधी पक्ष की ओर से शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री दुर्गालाल बादवार : में केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय आज इस प्रकार के निर्देश जारी करने के लिये तत्पर हैं। राज्य सरकार के सारे अधिकारियों को यह कहा जाता है कि उन्हें मजबूर करके रुपया लिया जाय।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता। स्थान ग्रहण करें श्री गुप्ता।

एक माननीय सदस्य: दोनों ही गुप्ता हैं साहब।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): जो उनकी नजर में पहले आ जाता है।

श्री अध्यक्ष: बहुत साधारण सवाल है। में समझ गया।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, क्या चेहरों को देखकर समय दिया जा रहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : ट्रान्सलेशन गलत किया गया है। जो अध्यक्ष महोदय से आंखें मिला लें उसी को....

श्री अध्यक्ष : चेहरे का ज्यादा आकर्षण है।

श्री रामकिशन (वेर): अध्यक्ष महोदय, आकर्षण होना, नहीं होना अपमान है। दूसरों के नहीं हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : आपके भी हैं। श्री गुप्ता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : खंडहर बता रहे हैं कि इमारत बुलन्द थी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (वानसूर) : अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव मुझे भी हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि एक रजिस्ट्री करानी थी। तहसीलदार साहब को पेश की। उन्होंने कहा हमने रूल बना रखा है कि 5 प्रतिशत बिना जमा कराये रजिस्ट्री नहीं होगी। उसने रुपये मांगे। अगर रजिस्ट्री करानी है तो दे दो।

में भी उसके साथ था. अध्यक्ष महोदय। उसको 2,000 रुपये की रजिस्ट्री करानी जरूरी थी। उसका कारखाना बन्द था, वह बहुत मजबूर था। माननीय मंत्री महोदय खड़े होकर कहते हैं हम सूचना है, इत्तला है। अगर किसी ऑफिसर को वसूल करना है तो इस प्रकार वसूल करें। इससे यह सरकार नालायक साबित होगी।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। आर्डर।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस तरह की ज्यादती हो रही है। यह सरकार के लिये शोभा की बात नहीं है।

श्री देवदत्त गाड़िया (बारां) : मैं चुनौती देते हुए कहना चाहता हूं कि बारां तहसील के अन्दर 6 गांव हैं। उसमें एक आदमी को 12 हजार की रजिस्ट्री करानी थी। एन० एस० सी० के उस गरीब आदमी को 12 सौ रुपये देने पड़े। वह बार बार रोया, उसकी किसी ने नहीं सुनी बारह सौ रुपय जमा नहीं करवाये तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। आज मैं मंत्री जी को चेलेन्ज के रूप में कहना चाहता हूं कि उनमें किसी को विश्वास नहीं रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक कमेटी का निर्माण करें। उस कमेटी के द्वारा जांच करवायें जिसमें आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं पायेंगे जिसमें एन० एस० सी० के पैसे दिये बिना किसी की भी रजिस्ट्री हो गई हो बन्दूक के लाईसेन्स आदि के लिये लोगों को 11-11 रुपये एन० एस० सी० के जमा कराने पड़ते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिये एक कमेटी नियुक्त कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री सहदेव शर्मा (आमेर) अभी वित्त मंत्री जी ने फरमाया कि कम्पलसन नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने पटवारियों को ऐजेन्ट बनाया है, सरपंचों को एजेन्ट क्यों नहीं बनाया। जिला परिषदों की मिटिंगों में हमने सब जगह उसका विरोध किया है। मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि बचत की बहुत अच्छी बात है। किसान में बचत की भावना जब आयेगी जब आपकी भावना शुद्ध होगी। आपके ऊपर अब उनको भरोसा नहीं रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया है। अब छोड़िये और तथ्य ह क्या?

श्री सहदेव शर्मा : लगान जब लेंगे तब......

श्री अध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जिस भावना के साथ इस अल्प बचत योजना के बारे में बताया और जो आंकड़े प्रस्तुत किये.....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं प्रश्न पूछिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न के रूप में ही कह रहा हूं। जिस उद्देश्य को लेकर यह सब किया गया है वह उद्देश्य पवित्र है। इस संबन्ध में अपने प्रयास अब से ज्यादा तीव्रतर करने पड़ेंगे। मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं जिस तौर तरीके से यह कार्य हो रहा है वह गलत है। आप इस सदन को विश्वास में लीजिये पिछले साल की जो असफलतायें हैं उसका दोष इस तरह से मत मंढ़िये.....

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण ही मांग लीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वित्त मंत्री महोदय क्या यह स्थिति नहीं है कि पिछली बार भी आपके विभाग द्वारा अल्प-बचत अभियान के अन्तर्गत जो कार्य किया उसमें वह असफल रही है आप उस असफलता से खिसियाकर अब नया टारगेट फिक्स करके और रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

क्या आप इस बात के लिये तैयार हैं और सदन के सदस्यों को विश्वास में लेकर दूसरे हमारे संगठन जैसे जिला परिषदें, पंचायत समितियां आदि हैं, सरपंच हैं इन लोगों में इस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाकर उनके जरिये आप इस पवित्र काम के लिये आगे बढ़ेंगे। जब आप पुलिस द्वारा या पटवारी द्वारा इसको वसूल करने के लिये बाध्य करते हैं तब इसका उद्देश्य खत्म हो जाता है। जितने तथ्य सदन के सामने रखे गये उससे साफ है कि आपके ये कर्मचारी वर्ग इस बारे में किस प्रकार से काम करते हैं क्या आप इस बारे में सदन को विश्वास में लेकर सदन की मर्जी के अनुसार इस संबन्ध में कार्य करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद !

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, काफी देर से इस बारे में बहस हो रही है। मुझे यह समझ में नहीं आता जब सरकार को पैसे की आवश्यकता है और पैसा इकट्ठा करना अत्यावश्यक है। जब अकाल पड़ता है दुर्भाग्यवश जिस इलाके से मैं आता हूं वहां इस साल भी अकाल है.....

एक माननीय सदस्य: आप जहां से आयेंगे वहां तो अकाल के सिवाय होगा क्या ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर के इलाके में इस साल भी अकाल है। अकाल जब किसी इलाके में पड़ता है सरकार को उसके लिये करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। अभी गत साल जो अकाल पड़ा था उसमें राहत कार्य खोलने के लिये दस ग्यारह करोड़ रुपया सरकार को व्यय करना पड़ा आखिर यह रुपया आता कहां से है ? टैक्स लगाया जाता है तो उसका विरोध होता है अल्प-बचत के जरिये भी यदि पैसा उगाया जाता है तो उसका विरोध होता है तो फिर पैसा आयेगा कहां से? हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ता है। पानी पीने के लिये मिलता नहीं....

श्री देवीदत्त गाड़िया: यही तो कांग्रेसी शासन की देन है बीस साल हो जाने के बाद भी पानी का इन्तजाम नहीं कर सके। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके यहां चम्बल है उसमें आप डूबकर क्यों नहीं मरते।

श्री देवीदत्त: वह चम्बल है जिसके जरिये आपको विद्युत् मिलता है, अन्न मिलता है। आपके यहां चम्बल का पानी नहीं तो टौंक के पानी में ही डूब मरो।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : चम्बल पर जितना राज्य सरकार ने पैसा खर्च किया उससे जो जमीन सरसब्ज हुई उसी का सब पैसा आ जाय तो उसको ही आप लोग चुका देते तो कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

श्री प्रेमसिंह : चम्बल तो अनाज दे रही है। उसके बिना आप भूखों मर जायं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का जरूर विरोधी हूं कि गरीबों से जबरदस्ती पैसा लिया जाय

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

उनको परेशान किया जाय। जिनका पांच रुपया लगान है उनसे दस रुपया नेशनल सेविंग के नाम पर इकट्ठा किया जाय यह ठीक नहीं मानता। एक भूतपूर्व मंत्री ने बताया कि दो हजार रुपये की रजिस्ट्री पर इतना ैसा लिया गया। उनके समय में भी काफी पैसा लिया जाता था....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कभी इस तरह जबरदस्ती चन्दा वसूल करने के लिये नहीं कहा आप झूठ कहते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपको अब स्मरण नहीं है......

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि मेरे से इस तरह करवाने के लिये कहा जाता तो मैं इस्तीफा देना पसन्द करता लेकिन इस प्रकार के कार्य नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय कृपया शान्त रहिये अपना स्थान ग्रहण करिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप फरमाते हैं एक व्यक्ति रजिस्ट्री कराने गया उसको दो हजार रुपये देने पड़े। जिस व्यक्ति से दो हजार रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिये कहा गया उसकी हैसियत कितनी होगी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दो हजार रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले इससे मैं असहमत नहीं हूं किन्तु जबरदस्ती किसी के साथ क्यों की जाय आपको लेना ही होगा.....

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व मंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय बद्रीप्रसाद जी कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है क्या किसी भूतपूर्व मंत्री को भूतपूर्व मंत्री कह कर पुकारा जा सकता है?

श्री अध्यक्ष : अभी अध्यक्ष महोदय अपने पैरों पर खड़े हैं मैं जब बैठूं आप व्यवस्था का प्रश्न उठा लीजिये। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है....

कई माननीय सदस्य : यह भी बहुत महत्वपूर्ण है......

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्य चाहेंगे उसी तरह आसन को चलना होगा फिर भी मैं निवेदन करना चाहता जहां यह प्रश्न महत्व रखता है उससे पहले का प्रश्न भी इससे कम महत्व का नहीं है और जैसा मैं पाता हूं सदस्य बहुत आतुर हैं इस प्रश्न पर और बोलने के लिये इस संदर्भ में मैं चाहता हू कि इस प्रश्न पर ज्यादा विस्तार से न बोलते हुए, स्पष्टीकरण के रूप में कुछ प्रश्न पूछ लिये जायं तो उचित रहेगा। अतः मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे इस संबन्ध में जो प्रश्न पूछना चाहें वे प्रश्न के रूप में पूछलें ताकि अवशेष समय में अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया जा सके।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के खिलाफ

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हूं किसी से जबरदस्ती दो हजार रुपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेने के लिये कहा जाय में इस बात के खिलाफ हूं। उसको कहा गया कि अगर तुम दो हजार नहीं दोगे तो तुम्हें दस हजार देने होंगे इस नीति के में खिलाफ हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, में इस बारे में यह पूछना चाहता हूं जैसा कुछ दिनों पहले हमारे देश के ऊपर संकट आया था उस समय अपनी केन्द्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने ऐसे आदेश जारी किये जिससे रक्षा कोष में पैसा इकट्ठा किया जा सके और उसके अनुसार किया भी गया। उस पैसों का काफी गबन हुआ उसके बारे में गत सत्र में कई आरोप लगाये गये उसके बारे में क्या एक्शन हुआ?

आज क्या हो रहा है आपकी घोषणाओं से गरीब लोग बड़े तंग किये जा रहे हैं उनसे पटवारी लोग पैसा लेकर के मामूली सा टुकड़ा रसीद का दे देते हैं उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं कि वह पैसा सेफ है या नहीं। बहुत से पटवारी तो उन पैसों को राजकोष में जमा भी नहीं करवाते। इस तरह से पैसा इकट्ठा किया जा रहा है उस पैसे की सुरक्षा का विश्वास नहीं।

गोकुल प्रसाद जी ने कहा सरकार के लिये पैसा प्राप्त करना आवश्यक है, में भी मानता हूं आवश्यक है लेकिन शराब के ठेके की नीलामी के लाखों रुपये जो बकाया है, रोजाना ठेकेदार शराब में पानी मिला मिला कर बेच रहे हैं उनमें लाखों रुपया बकाया है वह क्यों नहीं वसूल हो रहा है। वह क्या तुम्हारे लगते हैं जिनसे आप पैसा वसूल नहीं करते....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आपको सम्माननीय शब्दों का व्यवहार करना चाहिये आप 'माननीय' शब्द नहीं कह सकते तो 'आप' शब्द से पुकार सकते हैं। कुछ तो सम्मानजनक भाषा प्रयोग करिये।

श्री विजयसिंह : मैंने 'तुम' शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिये किया था क्या सरकार यह महसूस करती है कि जिनमें सरकार का बकाया पैसा है वह उगाकर गरीबों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम पर जबरदस्ती नहीं की जायगी। आप यदि वालिन्टियरी बेसिस पर यह कार्य करते हैं तो किसी को एजीटेशन करने की नौबत ही नहीं आयगी। आपको इसके लिये जिला परिषद्, पंचायत समितियें ऐसी संस्थाओं के जरिये यह काम करवाना चाहिये।

(1 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री नरथीसिंह : में दो सवाल पूछना चाहता हूं। क्या वित्त मंत्री यह आश्वासन देने को तैयार हैं कि इस अल्प-बचत योजना में जो जोर जबरदस्ती की जा रही है उसे वे रोकने का प्रबन्ध करेंगे और इसके लिये प्रत्येक इसके एजेन्ट को पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों को और अपने जिले के हेड-क्वार्टरों को एक परिपत्र जारी करेंगे जिसमें यह स्पष्ट करेंगे कि किसी के साथ इस योजना के अन्तर्गत रुपया लेने में जोर

(श्री नत्थीसिंह)

जबरदस्ती नहीं की जावे और किसी की इस तरह की शिकायत मिली तो निश्चित रूप से कड़े से कड़ा दण्ड उसे दिया जावेगा।

दूसरा सवाल मेरा है, क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कोई ऐसी निष्पक्ष एजेन्सी कायम करेंगे कि जोर जबरदस्ती की शिकायत आई तो फौरन एक हफ्ते के अन्दर जांच होकर जोर जबरदस्ती करने वालों को दण्डित किया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसको रेडियो पर अनाउन्स करवा दें।

श्री गोरधन सोनी : मैंने स्वयं ने कहा और कईयों ने अनुभव किया जैसा मैंने जयपुर की घटना के बारे में बताया कि इसमें किस तरह से जोर जबरदस्ती हो रही ह मूंग मोठों के लिये जो वैगन लदान किये जाते हैं प्रति वैगन जिलाधीश द्वारा 150 रु० जबरदस्ती वसूल किये जाते हैं। परमिट नहीं देते इसके बिना मूंग के लिये 3रु० और मोठ के लिये 8 रु० क्विन्टल के हिसाब से लेकर तब परमिट देते हैं क्या यह किसानों के साथ जोर जबरदस्ती और अन्याय नहीं है इस कारण से किसानों को कम भाव मिलता है।

अल्प-बचत योजना लोगों को समझा बुझाकर चलाई जावे, जोर जबरदस्ती करके उनसे पैसा वसूल न किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी तरफ से बद्रीप्रसाद जी ने अपने विचार प्रकट कर दिये।

(अनेकों सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

आॅर्डर प्लीज ! आॅर्डर।

वित्त मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अल्प-बचत-योजना के सिलसिले में जो कुछ........

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि इसमें जोर जबरदस्ती नहीं की जावेगी तो क्या जिन्होंने जोर जबरदस्ती वसूली की है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और आगे के लिये रेडियो पर अनाउन्स ऐलान कर देंगे कि कोई जोर जबरदस्ती न करें।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने सब ने एक आवाज से इस बात को माना है कि यह अच्छी योजना है और अपना सहयोग भी देने की बात कही है और जनता का ज्यादा सहयोग लिये जाने की बात भी कही है यह भी कहा है कि यह आन्दोलन बहुत अच्छा आन्दोलन है, जो विकास में और हमारे यहां के लोगों की अच्छी हालत बनाने में कारगर सिद्ध होगी। इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है कि इसमें रुपये को इकट्ठा करने के लिये जो एजेन्ट मुकर्रर किये जाते हैं उसमें अधिकतर पटवारी हैं, ग्राम सेवक हैं, स्कूल मास्टर हैं साथ साथ में सरपंच भी होने चाहियें यह भी सुझाव आया है। हमारे यहां सरपंच को एजेन्ट मुकर्रर करने के लिये कोई पाबन्दी नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)

कई सरपंच हैं जो आज भी एजेन्ट हैं। पटवारी जो सरकारी नौकर होता है विलेज लेवल पर इसलिये उसको एजेन्ट बनाने के लिये सरकार की आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये राज्य सरकार ने इस काम को बड़े पैमाने पर करने की योजना बनाई टारगेट मुकर्रर किये इसलिये आज्ञा दी गई और राजस्थान में ही नहीं हिन्दुस्तान में कई दूसरी स्टेटों में पटवारी को एजेन्ट बनाने के लिये इजाजत दी है। महाराष्ट्र में हमने लिखा पढ़ी करके पूछा था। उन्होंने पटवारी को नियुक्त किया है और उसे इजाजत दी है। 20 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। विलेज के फंकशनरीज तीन हैं। इन तीनों का सहयोग नहीं लें तो यह काम बहुत बड़े पैमाने पर चलाने में कठिनाई होगी।

श्री दौलतराम सारण : सूचना का एक सवाल है उपाध्यक्ष महोदय। आप क्या यह उचित समझते हैं कि एक पटवारी जो लगान वसूल करता है और जो टैक्स वसूल करता है वह अधिकारी अल्प-बचत के लिये चेष्टा करे और उसको व्यक्तिगत मुनाफा हो इसलिये ज्यादा दिलचस्पी ले ? क्या आप यह नहीं मानते कि इससे जोर जबरदस्ती पैदा होगी और भ्रष्टाचार भी पैदा होगा।

दूसरा सवाल यह है कि वह जो लगान वसूली का नोटिस जाता है उस पर ही पटवारी या दूसरा अधिकारी ऐन्ट्री करके भेज दे कि दस रुपया अल्प-बचत में लिया जावेगा और फिर इस तरह का कलेक्शन किया जावे, क्या इसको आप उचित मानते हैं, जबरदस्ती नहीं मानते ?

श्री मथुरादास माथुर : सभी आ चुके हैं प्रश्न बहस में। मैंने उन सबको सुन लिया है।

मेरा निवेदन है कि पटवारी को इजाजत दी गई महाराष्ट्र में और उसी को देखकर हमने भी इजाजत दी है। वहां यह काम होता है इस बात को प्रयोग करके उन्होंने देखा है।

अब यह शुरू में मैंने कह दिया है कि इसकी वसूली में जबरदस्ती न हो।

अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि इसके लिये पटवारी पर ही भरोसा नहीं किया है इसमें नॉन-आफीशियल का भी कोआपरेशन लिया है। पंचायतें पंचायत समितियां, जिला परिषदें और म्युनिसिपैलिटियां कर रही हैं। चुने हुए लोग सहयोग दे रहे हैं।

अब प्रश्न यह पैदा हो जाता है कि यह जो कुछ माननीय सदस्यों ने तीन चार जगह की इन्स्टान्सेज देकर बताया कि अलवर में पटवारी ने चिट्ठी लिखी। पटवारी ने चिट्ठी किसको लिखी क्या लिखी इसका निर्णय करना मुश्किल है फिर भी मैं माननीय सदस्य जो कहते हैं तो उसको ज्यादा वक्त देता हूं। यह भी कहा गया कि रजिस्ट्रेशन में रुपया इसका वसूल किया गया। अब इसके लिये कहा गया कि इस तरह का सरक्यूलर सरकार जारी करे और उसमें लिखा जावे तो यह सरक्यूलर बेमानी है। फिर भी राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह का सरक्यूलर निकाल दिया जावेगा। और वह सभी हमारे कलेक्टर, नॉन-आफीशियल एजेन्सीज हैं जो हमारे यहां के पटवारी हैं उनको भेज दिया जावेगा कि कोई जबरदस्ती करके नहीं लिया जावे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पटवारी एजेन्सी नहीं हो सकती।

विरोधी पक्ष के अनेक सदस्य (एक साथ खड़े होकर) : पटवारी बिल्कुल होना ही नहीं चाहिये।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं माननीय वित्त मंत्रीजी के सामने यह प्रोपोजल रखना चाहता हूं।

(1) पटवारी को आप फौरन एजेन्ट बनाना बन्द करदें। उसको एजेन्ट न बनावें।

(2) आप विरोधी पक्ष के लोगों के साथ बैठकर बात करें, मीटिंग करें और उसमें फिर निर्णय करें किस एजेन्सी का इस्तेमाल इसमें होना चाहिये। सरकारी एजेन्सी इसमें नहीं होनी चाहिये।

अगर यह आपको प्रोपोजल मन्जूर हो तो तब तो ठीक हैं वरना हम यह समझेंगे कि आप जोर जबरदस्ती से वसूली करना चाहते हैं और इस को जबर्दस्ती से लोगों पर लादना चाहते हैं। हमारा और जनता का सहयोग आप इसमें नहीं लेना चाहते।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

(पटवारी नहीं होना चाहिये की आवाज)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! ऑर्डर।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह चर्चा को अलाऊ नहीं किया जा सकता।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : गरीब के लिये पैसा ज्यादा कीमती है। उपाध्यक्ष महोदय, आप गुरुजी बैंगन खावें औरों को परमोद बतावें। मकराना में पटवारी ने सौ रुपया वसूल कर लिया। पैसा लिया। जमा नहीं कराया। कलेक्टर साहब बैठे थे खुद ने उनको सस्पेंड कराया है। कलेक्टर साहब के सामने डीडवाना में सस्पेंड कराया है।

श्री किशनलाल शाह : अल्प-बचत योजना के नाम पर धन संग्रह भ्रष्टाचारियों की तोंद बढ़ाने के लिये है।

योजना के लिये कहते हैं धनाभाव है।

श्री विजयसिंह : यह माथुर साहब की तोंद में जाता है क्या?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रक्खा उनको उत्तर दे रहा हूं। जो अच्छे सुझाव होंगे मैं उनकी कदर करूंगा। मगर यह जो पीछे से आवाज आ रही है जो सुनाई नहीं देती उनके लिये मजबूर हूं, कुछ कह नहीं सकता।

(शोरगुल-अश्रव्य)

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों को जैसा मैंने शुरू में कहा फिर कहता हूं कि इस आन्दोलन के महत्व को विचार करके सहयोग दें और जो अभी कहा गया कि हम विरोधी दल के साथ बात करें। मैं सभी माननीय सदस्यों के साथ बातचीत करूंगा।

(श्री मथुरादास माथुर)

मेरा अभिप्राय और राज्य सरकार का मतलब यही है कि इस योजना से लाभ मिले और इस में आप और हम सब एक हैं कि इस स्माल सेविंग के जरिये से जितना भी इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा हो, जो इकोनोमी में जनरेशन पैसे का हुआ है वह रिइन्वेस्टमेंट होगा तभी भला होगा देश का।

अब सवाल यह रह गया कि सरकारी अफसरों ने ज्यादती जबर्दस्ती की है तो मैं उन सबको देखूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा आइडियोलोजिकल मतभेद नहीं है इसलिये इसमें आपका सबका सहयोग होना चाहिये और इसको नॉन-ऑफीशियल और ऑफीशियल दोनों मिलकर करें। तो कोई मतभेद नहीं है। कई जबरदस्ती के इन्सटान्स हुए हैं या जो इन्सटान्स बताये गये हैं या लोगों को भ्रम है कि जोर जबरदस्ती हो रही है तो उसको दूर करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है। कोई जबरदस्ती नहीं है और यह वालेन्टरी है और वालन्टरीली ही इस काम को करें। यह टार्गेट मार्च तक का है। अभी जनवरी खत्म हो रही है और इसके बाद फरवरी और मार्च का ही टाइम बाकी है और अगले साल के लिए जो टार्गेट मुकर्रर किये गये हैं वह हो चुके हैं आगे के लिए किसको एजेन्ट मुकर्रर किया जाये किस को नहीं उसके बारे में आपसे बैठकर तय कर लिया जायेगा ताकि आगे के लिये जो कदम उठाया जाये उसमें आपका सहयोग हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप पटवारी को तो एजेन्ट से तुरन्त हटा लीजिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी के द्वारा जो उत्तर दिया गया है उसमें कई भ्रमात्मक बातें हैं। सबसे पहले तो मैं यह समझता हूं कि आखिरकार आपकी योजना है वह जनता के लिए है। जनता योजना के लिये नहीं है।

Plan is for the people and not the people for the plan.

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज का जो समय निर्धारित किया है इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये वह अनुपयुक्त है। माननीय वित्त मंत्री जी भी स्वयं यह अनुभव करते होंगे लेकिन क्योंकि सरकार की नीति को जिद् के साथ उनको निभाना है, कार्यान्वित करना है इसलिये आत्मा के विपरीत वह अपने विचार इस सदन के समक्ष जो रख रहे हैं वह भी बिल्कुल कृत्रिम और मजबूर होकर के वह कर रहे हैं। महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया। इस समय को उन्होंने निर्धारित किया कि अल्प-बचत योजना के लिए यह समय उपयुक्त है। मैं यह समझता हूं कि यह बिल्कुल समय अनुपयुक्त है। राजस्थान के अन्दर तीन-तीन दुष्काल पड़े हैं। हमारे वहां पहाड़ों के अन्दर हमारे क्षेत्र के अन्दर फलासिया, लसाड़िया, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जहां आदिवासी रहते हैं उनके ऊपर भी दबाव डालकर जबरदस्ती यह लिया जा रहा है अल्प-बचत योजना के नाम पर। यह तो एक वालेन्टरी मूवमेंट है, स्वेच्छा से होना

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

चाहिये लेकिन मुझे उपाध्यक्ष महोदय इसकी भी बड़ी भारी आशंका है कलेक्टर्स वगैरह से भी मंत्री महोदय मिले होंगे। कलेक्टर्स ने भी मंत्री महोदय को यह कहा होगा कि यह समय ठीक नहीं है और लोग खुशी से नहीं देंगे। थोड़ा सा मेजर ऑफ कम्पलसन होना चाहिये और मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री जी ने कहा होगा कि लगे लगे छू और नजर अन्दाज करेंगे नहीं तो उन्होंने कहा कि बिना कम्पलसन के तो कुछ नहीं कर सकते और योजना आपकी बिल्कुल असफल हो जायेगी। तो मेरे ख्याल में माननीय वित्त मंत्री जी का यह आश्वासन कि सभी डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को यह आदेश दे देंगे, यह सरकार तो उपाध्यक्ष महोदय आदेश भेजने को बिल्कुल आदी हो रही है लेकिन वह आदेश बिल्कुल थोथे और कागजों पर ही होते रहते हैं उसके दर्शन करें या बाबा गंगू के पैर छूकर उनकी पूजा करें। अगर गवर्नमेन्ट है तो आपके आदेशों का पालन कराने के लिये आपमें क्षमता होनी चाहिये। वह क्षमता भी हवा में मेरे ख्याल में एवोपरेट हो गयी। मेरे ख्याल में महाराष्ट्र का आप उदाहरण देते हैं तो महाराष्ट्र तो एक खुशहाल देश है महाराष्ट्र के अन्दर इतने दुष्काल भी नहीं पड़े हैं और अल्प-बचत योजना में तो उदाहरण ऐसे हैं कि न तो ग्राम सेवक, न सरपंच, न पंचायत समिति के प्रधान, यह तो सरकारी कर्मचारियों के द्वारा ही अल्प-बचत योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और पटवारी लिट्रेली वास्तविक रूप से छोटे मोटे हिटलर बनकर वहां पर काम कर रहे हैं। मैं एक क्षण के लिये भी नहीं मान सकता कि पटवारी जिस रूप से दबाव डालकर, डराकर और अल्प-बचत योजना के पैसे छीन रहे हैं, लूट रहे हैं और लोगों का शोषण कर रहे हैं इस संबंध में उनको कोई न कोई आशा अवश्य हो, न कि यह हो कि आगे बढ़ो कोई हर्ज नहीं। जनता जाये जहन्नुम में हमारा काम बिल्कुल उल्लू सीधा होना चाहिए-यह तो मत करो। ऐसी व्यवस्था तो यहां पर खड़े होकर आश्वासन देने से नहीं होगी। वास्तविक रूप से अल्प-बचत योजना का जो सिद्धान्त है, अल्प बचत योजना के जो माने हैं उसके अनुसार जनता के सामने कर्मचारियों को जाकर विनम्र होकर, समझाइश कराकर जिनके पास में पैसा है उनसे लें और बेचारे आदिवासियों के पास खाने के लिये तो है नहीं, माइलो खाकर तो उन्होंने तीन साल गुजारे और अल्प-बचत योजना तो आपकी अक्ल का अजीर्ण हो गयी है। यही मेरा कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! इस पर चर्चा समाप्त हुई।

माननीय श्री अमृतलाल जी यादव।

श्री नाथूराम बागीडोरा : संक्षेप में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं....

(व्यवधान)

यह सही बात है कि कुछ लोग जिनके पास हैं वह देने के लिए तैयार हैं लेकिन जिनकी हालत खराब है वह इसको नहीं दे सकते....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम बागीडोरा : गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों से आप लीजिए, बड़ों से लिया जाये लेकिन गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए मेरा कहना है कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हर तहसील में इसको रोका जाये.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको कब तक दबाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। श्री अमृतलाल जी यादव....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इस पर चर्चा समाप्त की जा चुकी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्त करने की घोषणा कर उसको आप समाप्त कर सकते हैं लेकिन यह ऐसा मसला है कि जिसके लिये सारे मेम्बरान एजीटेटेड हैं। आप बता दें कि एक भी मेम्बर ने खड़े होकर इसका समर्थन किया है क्या ? उसी उद्देश्य से हमने स्थगन का प्रस्ताव रखा है और आप देखते रहे हैं कि माननीय सदस्यों की क्या भावनायें हैं। हर जगह से आवाज आ रही है कि इसके लिए जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धान्त से कोई असहमति प्रकट नहीं करता कि योजना के लिए पैसा चाहिए लेकिन सवाल इस बात का है कि वित्त मंत्री जी ने जो आरग्यूमेन्ट्स प्रस्तुत किये....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। इतना लम्बा भाषण न दें। श्री अमृतलाल जी यादव

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अत्यन्त महत्व का मामला है। अमृतलाल जी यादव क्या बोलेंगे वह कोई अहम मसला नहीं है। कोई अधि-सूचना सदन की मेज पर रखेंगे या क्या आप यह चाहते हैं कि अमृतलाल जी सब कूद जायें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्यों ने विचार बहुत ही विस्तार से रख दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा मैं तो बोला ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव नहीं है मंत्री महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था उस पर कोई सूचना लेना चाहते थे तो उस समय ले सकते थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय कैसे लेता मेरा तो नम्बर ही अब आया है। आपकी नजर तो उधर रहती है इधर रहती नहीं है। महारावल साहब ने कहा कि मैं बोल लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है। आप भी इस बात से एजीटेटेड होंगे। आपके इलाके के लोग, आपके निर्वाचन क्षेत्र के लोग शिकायत नहीं करते हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : आप जाते ही नहीं हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप जाते नहीं हों यह बात दूसरी है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐसा मसला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात थोड़े में कह दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने जो ये आंकड़े रखे हैं यह 63-64 के हैं जिनमें गुजरात ने 9 करोड़, बंगाल ने 28 करोड़, महाराष्ट्र ने 29 करोड़ और राजस्थान ने 1 करोड़ इकट्ठे किये हैं। इसलिए आपके सामने बड़ा धर्मसंकट है। यह राजस्थान सरकार की गिरी हुई शाख का कारण है। लोगों को आज आप पर भरोसा नहीं रहा, लोगों का आप में विश्वास नहीं रहा। और वह विश्वास इसलिए नहीं रहा कि जो सुरक्षा कोष की धनराशि थी चाहे वह उदयपुर के मुताल्लिक हो चाहे झुन्झुनू के मुताल्लिक हो इन सारी चीजों का दुरुपयोग हुआ है और राजस्थान सरकार ने सुरक्षा कोष का हिसाब जनता के सामने नहीं रखा है। इसी कारण राजस्थान अल्प-बचत योजना में राजस्थान का आदमी कन्ट्रीब्यूट करने को तैयार नहीं हो रहा है। अगर सही तरीके से राजस्थान अल्प-बचत योजना में पैसा इकट्ठा करना है तो राजस्थान में डिफेन्स फण्ड में जितना पैसा और जितना सोना इकट्ठा हुआ है उसका हिसाब सार्वजनिक रूप से राजस्थान सरकार प्रकाशित करें और उसके बाद लोग उसको देखेंगे। राजस्थान सरकार पर कोई भरोसा जनता को नहीं है.........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इस पर कोई भाषण नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर चले जायं हम ?

श्री उपाध्यक्ष : वह आप जो उचित समझें वह करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो ठीक समझते हैं वही तो कर रहे हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : पाइंट आफ आर्डर, सर। आपके रूलिंग के खिलाफ भाषण दे रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट कर रहा हूं। शासन के व्यवहार के प्रति तो विरोध प्रकट नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नियमों के अन्दर ही आप कर सकते हैं। यह नहीं है कि जब आपका विचार हो गया उस व्यक्त कर दी। जब एक बार चर्चा समाप्त ही कर दी गई है उसके बाद में इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सदन में चर्चा कर रहा हूं। उसको रेग्युलेट करने का काम आपका है। जब तक सदन में चर्चा चलेगी तब तक चर्चा चलेगी और चर्चा समाप्त नहीं होगी। यह सवाल राजस्थान के दो करोड़ किसानों का है। हर मामले में टोकन के मामले में इस तरह की जोर जबरदस्ती.........

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको आदेश देता हूं कि आप भाषण समाप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं कर रहा हूं..

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार कर रही है। सरकार जितना जोर जबरदस्ती से पैसा वसूल कर रही है........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जबरदस्ती से वसूल कर रही है। मैं समझता हूं कि यह घोर अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार के..........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आचरण से सरकार विरोधी दल को मजबूर करेगी कि वे उसका विरोध करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आसन के प्रति असम्मान प्रकट नहीं करता हूं..

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अवहेलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि इसका मुल्क की करोड़ों जनता का ताल्लुक है........

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन के प्रति सम्मान रखते हुए......

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहुत से अवसर आयेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह निवेदन करना चाहता हूं कि बन्धुओं, नये पटवारी के बारे में आदेश जारी करेंगे और जनता से जोर जबरदस्ती पैसा वसूल करने के बारे में पटवारी को एजेन्ट बनाये रखेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं सरकार की इस जोर जबरदस्ती के बारे में सभी बन्धुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करें

(स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के सदस्यों ने बहिर्गमन किया)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव !

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, सब तरह के सवाल पूछे गये लेकिन उनका कोई जवाब नहीं और उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया कि पटवारी को एजेन्ट नहीं बनायेंगे। यह भी आश्वासन नहीं दिया कि पटवारी जनता से जो जबरदस्ती से पैसा वसूल नहीं करेगी। इसलिए हम भी इस सदन से बहिर्गमन करते हैं और बाहर आपको इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि आप जबरदस्ती से पैसा वसूल नहीं कर सकें। मैं और मेरा दल आपकी इस हिटलरशाना नीति के विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

(समाजवादी दल ने बहिर्गमन किया)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सरकार के सामने एक बात सामान्य रखी थी और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सहयोग की बात कही थी। हमने इस बात की मांग रखी थी कि आप पटवारी को एजेन्ट मुकर्रर न करें क्योंकि उससे जोर जबरदस्ती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुक नहीं सकती। लेकिन आप विभिन्न विरोधी दलों की इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि आप पटवारी को हटाने के लिए तैयार नहीं हैं। पटवारी को एजेन्सी से हटाने को तैयार नहीं हैं......

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप जबरदस्ती से....

श्री उपाध्यक्ष: आपको बाहर पधारना है तो आप खुशी से पधार सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल। हर गांव में हम आपका इस बात के लिए विरोध करेंगे और हर तहसील में करेंगे और अगर आपके पटवारी ने पैसा वसूल किया तो उसको वहां ताकत से रोकेंगे। आपने अगर ताकत से वसूल करने की कोशिश की तो उसको रोका जायगा। इसके विरोध में आन्दोलन छेड़ा जायगा। आपके इस तरीके का हम विरोध करते हैं और सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(साम्यवादी दल द्वारा बहिर्गमन)

श्री दौलतराम सारण: उपाध्यक्ष महोदय, पटवारी अलग नहीं होता है और जोर जबरदस्ती से पैसा वसूल करना चाहते हैं इसलिए इसके विरोध में हम बहिर्गमन करते हैं।

(जनता पार्टी द्वारा बहिर्गमन)

श्री मनोहरसिंह मेहता: (मांडलगढ़): पटवारियों के जुल्मों को हम आंखों से देख चुके हैं कि जहां 10 आना लगान का लगता है वहां भी उससे 10 रु० सदन की सेज पर रखे गये पत्र लिये जाते हैं। इसलिये अगर पटवारी को इस कार्य से अलग नहीं किया जाता है तो मैं यहां से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री मनोहरसिंह मेहता द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामचन्द्र आर्य: मैं सरकार की इस नीति की घोर निन्दा करता हूं कि जनता पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। पटवारी गांवों के अन्दर जबरदस्ती लोगों को लूट रहे हैं....

(सरकारी पक्ष की ओर से शोर के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य: इसलिए मैं भी बहिर्गमन करता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा बहिर्गमन)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल यादव !

श्री अमृतलाल यादव (परिवहन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मोटर वाहन अधिनियम, 1963 की धारा 133 (3) के अन्तर्गत ग्रह (ख-1) विभाग की निम्नांकित अधि-सूचानाएं सदन की मेज पर रखूंगा जिनके द्वारा राजस्थान मोटर गाड़ी नियम, 1951 में संशोधन किये गये हैं:-

(1) अधि-सूचना संख्या एफ० 1 (2)/2/उच०/(बी-गृ० 1)/63, दिनांक सितम्बर, 1967।

(2) अधि-सूचना संख्या एफ० 1 (9) (37) एच०/बी-1 /66, दिनांक 24 अक्टूबर, 1967।

(बहिर्गमन करने वाले माननीय सदस्य पुनः आ गये)

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी !

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम, 248 (1) के अन्तर्गत नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं जो कि एक प्रश्न से सम्बन्ध रखती है। कल हम लोगों ने विरोधी पक्ष के जितने भी दल हैं उनके नेताओं की ओर से माननीय अध्यक्ष से यह मांग की गई थी कि कल जो राजस्थान दलित वर्ग संघ के मामलात में जो यहां पर प्रश्न उठा था जिसमें यह प्रश्न आया था कि एक माननीय सदस्य ने जो कि इस वक्त मंत्री मंडल के सदस्य भी हैं, श्री अमृतलालजी यादव ने बी-13 के अन्दर में अपने गैराज में दफ्तर रखकर उसका किराया सरकार से वसूल कर लिया, उसके सम्बन्ध में यह मांग की गई थी कि उनके रेकार्ड्स वगैरह को इसी वक्त में फौरन जब्त किया जाय क्योंकि हमें सन्देह होता है कि रेकार्ड्स को बदला जायगा और उसके अन्दर दूसरी रसीदें शामिल कर दी जायेंगी और उस रेकार्ड्स को पूरा बदल दिया जायगा। हमें इसकी सूचना मिलनी चाहिए कि इस सम्बन्ध में अध्यक्ष ने क्या व्यवस्था की? क्या उन्होंने इन तमाम कागजात को जब्त कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया ताकि बदलाव नहीं किया जा सके, ताकि रसीदों को नष्ट नहीं किया जा सके, ताकि सबूतों को खत्म न किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज! उसके सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली गई है। और भी अधिक जानकारी चाहें तो माननीय अध्यक्ष से उनके चैम्बर में मिल सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह तो मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि कागजात लेलेंगे, लेकिन लिये गये हैं या नहीं? उन कागजातों पर कब्जा किया गया है या नहीं? माननीय अध्यक्ष ने तो सरकार से कहा था और समाज-कल्याण मंत्री से कहा था और समाज-कल्याण मंत्री ने कहा था कि ले लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष जानकारी दे देंगे। आप कृपया उनसे मिलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन के अन्दर मिलनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी पूछा है। उसकी सूचना मिल गई तो आपको दे देंगे।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित है। कल मैं सदन में मौजूद नहीं था इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और सब बातों का फैसला हो जायगा लेकिन

(श्री अमृतलाल यादव)
में यह सूचना देना चाहता हूं कि कोई किराया नहीं लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो 10 रु० माहवार किराया लगाया गया है ······

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज! इससे सम्बन्धित नहीं है। यह विचारणीय विषय नहीं है इस समय आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। जब समय आयेगा तो उस पर विचार होगा।

श्री रूपसिंह!

श्री गिरधारीलाल व्यास : इनको शर्म आनी चाहिए छोटे प्रश्न उठाते हैं।

श्री श्रवणलाल : जो भी कोई हों, मैं पूछना चाहूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह राजवी (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, अधीनस्थ विधान संबन्धी····

श्री श्रवणलाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ ओर्डर सर।····

श्री रामानन्द अग्रवाल : बी-13 में दफ्तर था या नहीं?

श्री श्रवणलाल : व्यवस्था का सवाल है। मैं यह जानना चाहता हूं····

श्री उपाध्यक्ष : कौन से नियम के तहत प्रश्न उठाना चाहते हैं?

श्री श्रवणलाल : प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के आधार पर मैं **व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।**

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न होना चाहिए। कहिये।

श्री श्रवणलाल : मैं जानना चाहता हूं कि अभी जिन माननीय सदस्यों को बोलने की इजाजत दी है क्या यह इजाजत निंदा प्रस्ताव के संबंध में बोलने के लिये दी गई है?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। वे प्रतिवेदन रख रहे हैं।

राजवी श्री रूपसिंह (सभापति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 14वें, 15वें और 16वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। जब यह विधान सभा सत्र में नहीं थी उस समय ये प्रतिवेदन अध्यक्ष महोदय को उपस्थापित किये गये थे तथा प्रक्रिया और नियमावली के नियम 205 के अधीन अध्यक्ष महोदय द्वारा इनके प्रकाशन, वितरण तथा प्रचालन के आदेश दिये गये थे।

श्री उपाध्यक्ष : अब सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायगा।

श्री रामकिशन : इस पर तो बहस चल ही रही थी। अभी तो बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री श्रवणलाल : मेरा भाषण हो रहा था कि सदन समाप्त हो गया था इसलिये मेरा भाषण आज कंटिन्यू रखा जाय और मुझे बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण समाप्त हुआ, उसके बाद, सदन की बैठक स्थगित हुई थी।

Page No. 59

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सदन के सामने है उस पर कल दिन भर बहस हुई...

श्री हीराभाई : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था के प्रश्न बहुत ज्यादा उठाये जाते हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जिस नियम के अन्दर आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं उसको साथ में रख कर उठावें।

श्री हीराभाई : मैं इसलिये उपस्थित करना चाहता हूं कि मुझे स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी गई थी। पिछले तीन साल का लगान और तकावी किसानों से वसूल करते हैं उसके लिये आदेश दिया था कि इसका जवाब आज देंगे या कल देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आज यह सूची में नहीं है।

श्री रामकिशन : कल आसन की तरफ से व्यवस्था दी गई थी कि कल जवाब दिया जायगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है लोगों के लगातार तार आ रहे हैं इसलिये निश्चित बताया जाय कि जवाब कब दिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर आज देने की बात नहीं थी, सुविधानुसार देने की बात थी। राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी उत्तर दिया जाय।

श्री हीराभाई : उत्तर आज दें या कल दें। वसूल होने के बाद क्या उत्तर देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): जहां तक रेवेन्यू का ताल्लुक है, मैं सूचना देना चाहता हूं रेवेन्यू की वसूली, बाढ़ग्रस्त एरिया है....

श्री हीराभाई : बाढ़ग्रस्त का प्रश्न नहीं है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां स्थिति खराब है वहां पर 1 साल का लगान वसूल करेंगे 4 साल का नहीं करेंगे।...

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : स्टेटमेंट देने की बात है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे का सवाल नहीं है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : भरतपुर का जवाब मेरे पास तैयार है और जहां तक बांसवाड़ा का सवाल है उसका जवाब मैं परसों दे दूंगा...

श्री हीराभाई : वहां पर खूनखराबी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : कल दे दिया जायगा।

श्री श्रवणलाल : खान के मजदूरों के बारे में मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था वहां के सब इन्सपेक्टर ने झोंपड़ियों से मजदूरों को बेदखल कर दिया 450 मजदूर पड़े हैं उनके विषय में स्थगन प्रस्ताव है आपके द्वारा आज्ञा दी गई थी कि कल जवाब दिया जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि इसका जवाब दिया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न यहां की सरकार से संबंधित नहीं है माइनिंग

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)
लेबर का यह प्रश्न सेन्ट्रल गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता है ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : जिस प्रश्न का जवाब देने के लिये सक्षम नहीं हैं उसका उपाय नहीं है ।

श्री श्रवणलाल : यह गम्भीर मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! बहुत से गंभीर हो सकते हैं लेकिन यहां पर उन्हीं के बारे में विचार हो सकता है जिसका संबंध राज्य सरकार से है।

श्री श्रवणलाल : क्या खान ठेकेदार को दी गई है वह राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिये अलग प्रश्न पूछिये। माननीय वित्त मंत्री।

निंदा प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वादविवाद

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव विरोधी दल के नेता माननीय लक्ष्मणसिंहजी और मुख्तलिफ पार्टियों के नेताओं ने सदन के सामने रखा और सदन में इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों, जिनकी संख्या 17 थी, ने इस डिबेट में हिस्सा लिया। उन सब तकरीरों को और उनके अंदर जितने भी वैधानिक और कानूनी दलीलें थीं उनको मैंने सुना है और पढ़ा है। प्रस्ताव अपने आप में महत्व का बन जाता है जबकि सदन के माननीय सदस्य और नेतागण इस प्रस्ताव पर अपनी तवज्जह देते हैं। मैंने और राज्य सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया है ।

यह बात ठीक है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गत अधिवेशन में राज्यपाल महोदय ने इस बात की घोषणा की थी कि छोटी जोतवालों को लगान की छूट दी जायगी और यह बात भी ठीक है कि मैंने वित्त मंत्री के नाते अपना बयान देते हुए सदन के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि इस साल खरीफ की लगान में छूट देने से राज्य सरकार को 75 लाख रुपयों की छूट देनी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ने पिछले सत्र के बाद इसके ऊपर कार्यवाही करके आंकड़े बनाये तो उसमें करीब 1 करोड़ 36 लाख रुपयों की छूट छोटी जोतवालों को देने का अनुमान बताया। छोटी जोतवालों को छूट देने का हमने जो प्रावधान बजट में रखा और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिस बात का एलान किया था उसके अनुसार रबी और खरीफ की पूरी छूट दी जाती है तो वह धनराशि 1 करोड़ 36 लाख रुपयों की होगी और खरीफ की छूट का हिस्सा 75 लाख का होगा जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में कहा था, वही आंकड़ा इस हिस्से में आता है । इससे, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान, के पर केपिटा, जो हमारा टैनेन्ट है, को छः और सात रुपये की छूट मिलती है। छः से सात रुपये तक की छूट हर किसान को, पर कैपिटा कल्टीवेटर को मिलती है। इसके साथ साथ जो छोटी जोतोंवाले रकबे वाले काश्तकार हैं जो इस छूट में आते हैं उनकी संख्या 24,97,173

(श्री मथुरादास माथुर)

होती है। उपाध्यक्ष महोदय, और उसका पूरा क्षेत्रफल 2 करोड़ 23 लाख एकड़ होता है। यह जो.....

श्री रामकिशन : क्या कह रहे हैं?

श्री मथुरादास माथुर : 2करोड़ 23 लाख!

श्री रामकिशन : अनइकानामिक होल्डिंग्स, अनार्थिक जोत?

श्री मथुरादास माथुर : उसका एरिया होता है यह सब आंकड़े मैंने आपके सामने.....

श्री रामकिशन : 2 करोड़ 23 लाख...

श्री मथुरादास माथुर : एकड़ !

यह सब आंकड़ मैंने आपके सामने इसलिये रखे हैं कि जो समस्या इस सदन के सामने रखी गई है, इस समस्या के कई पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इसका ऐलान हो चुका है, दूसरे यह कि बजट के अन्दर और बजट के आंकड़ों के अन्दर और एप्रोप्रियेशन बिल के समय में इस 75 लाख की धनराशि का मुजरा दिया जा चुका था यह सब होने के बाद राज्य सरकार का जो कुछ निर्णय है, वह लेती हैं या नहीं लेती है, जो भी राज्य सरकार का निर्णय है वह राज्य सरकार का निर्णय क्यों है—इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ऐलान को करने के बाद और बजट के ऊपर सदन से एप्रूवल लेने के बाद, इसके ऊपर चिन्तन किया। वैसे सारे अहम मसलों पर चिन्तन और पुनर्चिन्तन होता ही रहता है। हमने ही नहीं, हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ प्रान्तों की सरकारों ने भी इसके ऊपर चिन्तन किया है। कई सरकारों ने इसके बारे में घोषणायें की थीं, छोटी थीं, बड़ी थीं अथवा कम या ज्यादा थीं। उत्तरप्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल और अपने मद्रास—यह सब मुख्तलिफ दो चार हिन्दुस्तान के जितने प्रान्त हैं, उनमें से आधे से कम प्रान्तों में इस तरह की घोषणायें हुईं। उन घोषणाओं के बाद में उनमें से कहीं पर तो घोषणा रह गई, कहीं घोषणा को अमली जामा पहनाया गया, कहीं कम अमली जामा पहनाया गया और कहीं जितनी घोषणा थी उतनी को अमली जामा पहनाया गया। आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस बारे में जो व्यक्तिगत विचार हैं और सरकार के विचार हैं इसको लेकर जो कुछ भी वहां पर गुजर रहा है वह आपके और हमारे सामने है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री हीराभाई : वह अन्याय कोलेक है, इसको लेकर नहीं।

श्री मथुरादास माथुर : थोड़ा सब्र रखिये।

राज्य सरकार ने इस पर पुनर्विचार क्या किया—मैं वह आपके सामने यहां रखना चाहता हूं। और पुनर्विचार करने के बाद राज्य सरकार का निर्णय क्या है—यह आपके सामने रखना चाहता हूं। और राज्य सरकार का निर्णय इस समय क्या है, फाइनल—वह आपके सामने रखना चाहता हूं। राज्य सरकार ने जब इसको

(श्री मथुरादास माथुर)

पूरी तरह अमली जामा पहनाने . . कदम उठाने की कोशिश की उस वक्त कई मुद्दे सामने आये जिन पर विचार करना आवश्य— — — हर सरकार को विचार करना पड़ता है, अब उसके बाद में निर्णय क्या लिया जाय—यह अलग से प्रश्न विचार करने का है। अब छोटी जोतों पर लगान की छूट की हमारी घोषणा से कोई संतोष और उत्साह की काश्तकारों की प्रतिक्रिया नहीं आई। कई इलाकों में यह अनुभव हुआ—यह पाइन्ट अर्ज कर रहा हूं, हो सकता है हमारे और आपके दृष्टिकोणों में मत-भेद हों। देखने में जो आपका दृष्टिकोण है और जो आब्जेक्टिव स्टडी आपकी है, हो सकता है वह अलग हो। हमने यह अनुभव किया कि इस प्रकार लगान की छूट से छोटी जोतों के काश्तकारों में कोई संतोष व उत्साह की प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। दूसरी बात, राजस्थान के अधिकतर भागों में ऐसी छोटी जोतों के किसानों की यह भावना पाई गई कि उनके खेत का जमीन का लगान जमा करना वह अपना अधिकार मानते हैं और खेत का जमीन का लगान जमा कराने की क्रिया को वह भूमि पर अपने अधिकार को स्थापित करने का अपना सबूत मानते हैं। इस प्रकार का रिएक्शन कई जगहों में नजर आया. . . .

श्री नत्थीसिंह : यह रिएक्शन आपके मानस को स्वीकार हो गया?

श्री मथुरादास माथुर : सुनिये। मानस को स्वीकार क्यों हुआ वह अब कहूंगा।

श्री नत्थीसिंह : आपके मानस को स्वीकार हो गया?

श्री मथुरादास माथुर : सुनिये ! मैं अपनी बात कह रहा हूं कि यह फीलिंग कई किसानों में है। कई दफा सुधार की बात होती है तो किसी हरिजन को कहते हैं कि इस कुर्सी पर बैठो, बड़े बनो तो बहुत से नहीं बैठेंगे।

श्री नत्थीसिंह : आप यही चाहेंगे कि वह बैठे नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप दूसरों को क्यों पेनेलाइज करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर : मेरी पूरी बात सुन लें।

यह फीलिंग भी किसानों में है अब यह फीलिंग आया चाहे वह कन्जरवेटिव किसान हैं या चाहे प्रोग्रेसिव किसान हैं. . . .

श्री दौलतराम सारण : यह भावना कौनसे क्षेत्र के किसानों में पाई गई ?

श्री मथुरादास माथुर : हर क्षेत्र में, चूरू क्षेत्र में भी यही पाई गई।

श्री दौलतराम सारण : चूरू क्षेत्र में नहीं पाई गई। यह गलत है। मैं चैलेंज करता हूं। यह कत्तई गलत है।

श्री हीराभाई : यह गलत आरोप लगाते हैं।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रतिष्ठा का सवाल है। मंत्री महोदय यह कहते हैं कि किसानों में यह फीलिंग पाई गई। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौनसे किसान सम्मेलन में किन किसानों ने ऐसी इच्छायें जाहिर की हैं। आपको सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए। आप अपने

(श्री नत्थीसिंह)

को भले ही गुमराह करें लेकिन इस सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप गुमराह मत होइये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अन्तर्यामी बन कर साइकोलोजिकल रीडिंग आपने किसा ों की की है – वह हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कदम उठा रहे हैं वह निवेदन कर दें ।

श्री रामकिशन : यह बतादें कि इस घोषणा को कायम रखेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री रामानन्द अग्रवाल : वालिन्टियरी रख लें।

श्री मथुरादास माथुर : पुनर्विचार क्यों किया, इसके लिए मैंने बताया कि ये फेक्ट्स सामने आये । अब ये फेक्ट्स हैं, मैं नहीं कहता कि ये सब फेक्ट्स करेक्ट हैं । मैंने कहा कि ये मुद्दे विचार के लिए आये...

श्री दौलतराम सारण : चूरू के लिए उदाहरण आप गलत देते हैं और वेबुनियाद देते हैं ।

श्री रामकिशन : मजाक में देते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : यहां मजाक नहीं चलता है ।

श्री मथुरादास माथुर : उस वक्त राज्य की आय पर कितना असर होगा यह जांच होकर राजस्व मण्डल से सरकार के पास आंकड़े पूरी तौर से आ गये थे जो मैंने शुरू में प्रस्तुत कर दिये हैं। उसके साथ में उस वक्त राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति थी और जो डेवलपमेंट हो पाया था वह भी हमारे सामने था। यह मुद्दे देख कर उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हुई क्योंकि इन पर राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकी थी और राज्य सरकार उन पर निर्णय लेकर फैसला नहीं कर सकी थी । इसके अलावा जो सरक्यूलर हमारे यहां से राजस्व विभाग से निकला है उस को आप देखें। जो सरक्यूलर अभी लेटेस्ट इसके बारे में निकला है उसको भी देखें । उसमें कहा गया है:

"किन्तु इस विषय पर राज्य सरकार के पास पुनः प्रस्ताव विचाराधीन है।"

मैंने आगे बात कही वह नहीं पढ़ रहा हूं । मगर इसमें है पुनः प्रस्ताव विचाराधीन है। फिर है :

"अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त आज्ञा को फिलहाल स्थगित माना जाकर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आने वाले काश्तकारों से भी लगान की वसूली की जावे, तथा इस प्रकार के काश्तकारों से वसूल होने वाली रकम का हिसाब अलग रखा जाय जिसके लिए आवश्यक आदेश बाद में दिये जाएंगे ।"

श्री नत्थीसिंह : कब आदेश होने वाले हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : 5 दिसम्बर, 67 को निकला यह सरक्यूलर। यह सरक्यूलर इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इस सरक्यूलर में यह बात साफ है कि राज्य सरकार का निर्णय साफ था। राज्य सरकार ने दो तीन बातें कही हैं--एक तो पुनः प्रस्ताव विचाराधीन हैं। दूसरी बात यह कि फिलहाल स्थगित माना जाकर, और तीसरी बात यह कि रकम का हिसाब अलग रखा जाय जिसके लिए आवश्यक आदेश बाद में दिये जाएंगे ।

(श्री मथुरादास माथुर)

अब यह रिजोल्यूशन है और जो प्रस्ताव रख कर यहां दलीलें दी गई हैं वे भी ठीक हैं अपने आपमें। लेकिन जो सरक्यूलर निकला है जिसकी वजह से वसूली हुई है, उसमें तीन बातें कही गई हैं और साफ साफ कही हैं–वह यह कही—इसके बारे में पुनः प्रस्ताव विचाराधीन हैं, दूसरे यह कि फिलहाल स्थगित माना जाना चाहिए और उसके बाद है कि रकम का हिसाब अलग रखा जाना चाहिए। और चौथी बात कही है कि इसके बारे में आवश्यक आदेश दे दिये जायेंगे। अब वह आवश्यक आदेश देना बाकी है..

श्री हीराभाई : तो क्या ड्रामा था? वित्त मंत्री ने क्या ड्रामा किया था जो राज्यपाल ने घोषणा की थी।

श्री मथुरादास माथुर : पहले सरक्यूलर का सेन्स भी वही था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह बताइये, कौनसी तारीख का है।

श्री मथुरादास माथुर : 22 मई, 67 का। यह है:

"जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है, उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी, उनसे आगामी खरीफ की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जावे।"

यह पहला है। उसके बाद में दूसरा सरक्यूलर यह निकला। उसके बाद जो मुद्दे थे, जिनके कारण राज्य सरकार पुर्नविचार करने को मजबूर हुई, वह रखें। उसके बाद राजस्व मण्डल ने आंकड़े रखे–वह आपके सामने रख दिये। यह हालात और राजस्थान की वित्तीय स्थिति के बेकग्राउन्ड को देख कर यह सरक्यूलर निकाला। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह प्रस्ताव सदन के सामने आया, उसके पहले हमारे मंत्रिमण्डल ने इसके ऊपर विचार किया और विचार कर रहा था। मेरा निवेदन यह है कि इस सरक्यूलर को मैंने इसलिये आपके सामने रखा कि गवर्नमेंट ने फाइनल इस बात का फैसला कभी नहीं किया कि इसको वसूल नहीं किया जाना चाहिए...

श्री हीराभाई : आज तक किया ?

श्री मथुरादास माथुर : यह जो सरक्यूलर निकला, यह मैंने पढ़ कर सुनाया, जो राजस्व मण्डल से आंकड़े आये वह मैंने बता दिये और जो बाद में सरक्यूलर निकला वह मैंने पढ़ कर सुनाया.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राज्यपाल महोदय से क्यों घोषणा ऐसी कराई ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं उस पर आ रहा हूं। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिला है।

श्री रामकिशन : जवाब देने का मिला है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: जवाब देने का मिला है।

श्री मथुरादास माथुर : ठीक है, जुरिसडिक्शन के ऊपर है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने सब बातों को देख कर फाइनल फैसला किया है वह इस प्रकार है। राज्य सरकार ने इस

(श्री मथुरादास माथुर)
बात का फैसला किया है। मैं अपना फैसला और राज्य सरकार का फैसला आपके सामने रख रहा हूं...."

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक दफा और कहिये, फाइनल फैसला लेने का निर्णय किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : फाइनल ही कह रहा हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दिल पर हाथ रख कर कहिये कि फाइनल फैसला है।

श्री नत्थीसिंह : पुनर्विचार करने का अधिकार तो रखते हैं ।

श्री रामकिशन : क्या फाइनल है, सुन लें ।

श्री मथुरादास माथुर : (हंस कर) विरोधी दल के माननीय नेता.....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हंसी आ गई।

श्री मथुरादास माथुर : के बारे में मैं कुछ नहीं कहता । मैं इस उम्र में दिल पर हाथ रख कर कहूं ऐसी आवश्यकता नहीं समझता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी तो साठी और बुद्धि नाठी । लेकिन शायद मंत्री महोदय का दिल और बुद्धि अपूर्ण है ही ।

श्री मथुरादास माथुर : बात यह है । मैं नहीं कहना चाहता, जैसा आपने कहा—साठी बुद्धि नाठी । लेकिन हम अभी भी आपको काबिल समझते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, इस राज्य सरकार का यह फैसला है कि जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में घोषणा की गई थी और जो बजट के अन्दर 75 लाख की खरीफ की वसूली में छूट करने की बात थी, राज्य सरकार उस पर कायम रहेगी।

(करतल ध्वनि)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मतलब ?

श्री रामकिशन : यह कुछ नहीं है। विशेष बात नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और रकम का पेमेन्ट?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सीधी भाषा में मतलब तो बताइये ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं तो सीधी भाषा बोलता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोलिये तो।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री मथुरादास माथुर: राज्यपाल ने जो अपने अभिभाषण में घोषणा की थी उस घोषणा पर राज्य सरकार कायम है और वह कायम रहेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कायम ही गलत है ।

श्री मथुरादास माथुर : कायम है, इस वक्त के लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, इस स्टेटमेंट के बाद स्वाभाविक है यह प्रश्न पूछा जाय—जिन लोगों से लगान की वसूली हो चुकी उसका क्या होगा । स्वाभाविक है यह प्रश्न । राज्य सरकार का यह निर्णय है कि जिन लोगों से करीब 75 पर्सेन्ट से भी ज्यादा लगान वसूल हो चुका "....

श्री सहदेव शर्मा : सेन्ट पर्सेन्ट !

श्री मथुरादास माथुर : सेन्ट पर्सेन्ट जो वसूली हो चुकी है, और जिनसे रह गई है वह वसूल हो जायगी। मैं मानता हूं, जो लगान वसूल हो जायगा या धनराशि जिन किसानों से इस खरीफ में वसूल कर ली जाय उनको वापिस लौटा दिया जायगा। (करतल ध्वनि) उसको वापिस लौटाने के लिए, दो किश्तों में वापिस लौटाई जायगी....

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई हर्ज नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : एक अगली साल..

श्री नत्थीसिंह: दोनों ही ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अल्प-बचत रसीद तो नहीं काटेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : वह मामला और है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी नीयत पर विश्वास नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: हमारी नीयत तो अच्छी थी लेकिन आपको देख कर नीयत बदल जाती है।

श्री रामकिशन : आपकी तबीयत बड़ी जल्दी बदल जाती है किसी को देख कर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने आदेश दे दिया है कि वसूली बन्द हो जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय, मैं सचेत कर रहा हूं कि हर किसी को देख कर तबीयत बदलेंगे तो दिक्कत हो जायगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस उम्र में तो इस रोमांस को छोड़दें।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा निवेदन है कि दो किश्तों में उस रकम को वापिस लौटा दिया जायगा। एक अगले साल और एक उसके बाद जो साल आएगा उसमें उनको लौटा दिया जाएगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार उसका इण्ट्रेस्ट देगी ?

श्री रामकिशन : सुनो तो सही। समझ नहीं आ रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव से सम्बन्ध है मेरा खयाल है कि सरकार ने सदन के इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के विचारों को सुनकर और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्यों के विचारों को सुनकर यह फैसला लिया है, मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावक महोदय अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब ले लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : सारे प्रस्ताव में जो बात कही गई है और जिस भावना से कही गयी है, राज्य सरकार उसकी कद्र करती है और सभी माननीय सदस्यों को इसके लिये धन्यवाद देती है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल.......

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : वसूली बन्दी के आदेश कब हो जायेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : क्या जिनसे वसूली नहीं की गयी है, वह वसूली अब बन्द हो जाएगी ?

(श्री नत्थीसिंह)

नम्बर दो, आपने बहुत चतुरता के साथ कहा है इसलिए में यह साफ कराना चाहता हूं, आपने कहा कि राज्य सरकार उस घोषणा पर कायम है लेकिन आपने इसके साथ 75 लाख और जोड़ा है जबकि उन्होंने कहा था कि इस खरीफ अनार्थिक जोतों पर लगान माफ होगा। यह हमेशा के लिए है केवल एक फसल के लिए नहीं है। क्या आप यह कह सकते हैं कि इस खरीफ से हमेशा के लिए अनार्थिक जोतों के लिए लगान माफ हो गया है?

श्री रामकिशन : यह बता दें कि क्या हमेशा के लिए माफ है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस साल तो खरीफ से वसूल हो चुका है और लगान कुछ बाकी है तो वह हो जायगा। इस खरीफ के जितने भी छोटी जोतों के काश्तकार छूट के एण्टाइटिल्ड हैं, उनकी कुल धनराशि 75 लाख है। 75 लाख का एस्टीमेट है। 75 लाख 80 लाख जितना भी रुपया है, हर एक किसान का वह रुपया वापिस दो किश्तों में करने का जो मैंने निवेदन किया हैं, वह कर दिया जाएगा।

श्री नत्थीसिंह : आयन्दा तो वसूली नहीं होगी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : लगान मुक्त रहेंगे अनार्थिक जोत वाले ?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक इस प्रश्न से सम्बन्ध है, आपका जो प्रस्ताव है, आप प्रस्ताव को पढ़ लीजिये, उसमें है। राज्पाल महोदय के अभिभाषण में जो घोषणा की है, जो बजट में मैंने घोषणा की है—उससे मतलब है। आगे की नीति के बारे में कि यह नीति रहेगी या दूसरी होगी। राज्य सरकार मौके पर आप के सामने आयेगी। क्योंकि, सदन को विश्वास में लिये बिना कोई काम नहीं हो सकता ।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय, ने जो घोषणा की थी, वह एक फसल के लिए नहीं की थी। उन्होंने कहा था, वित्त मन्त्रीजी, कि किसानों को इस खरीफ की फसल से अनार्थिक जोतों से लगान से मुक्त किया जाता है। अब आप चुपचाप यह चाहते हैं कि यह हो जाये, वह हो जाये। और फिर कहते हैं—आप काश्तकारों का भला चाहते हैं ।

श्री रामकिशन : इस में साफ कहा है—

श्री नत्थीसिंह : इसमें साफ कहा है। यह कहा है कि,

"छोटे काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967, को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, की धारा 53(1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूतम कृषिभूमि निर्धारित की गई है, उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी, उनसे अब भूराज्व नहीं लिया जावेगा ।"

अब यह कब से लागू होगा इसके लिए आगे कहा है,

"यह निर्णय आगामी खरीफ की फसल से लागू होगा। अन्य छोटे काश्तकारों को किस सीमा तक और राहत दी जा सकती है, उनको राहत देने से राज्य सरकार की आय में जो कमी होगी उसको कैसे पूरा किया जाय, इन प्रश्नों पर विचार करने के

(श्री नत्थीसिंह)

लिये राज्य सरकार एक समिति नियुक्त कर रही है ।"

तो जहां तक छोटी जोतों का सवाल है, उसके लिए इन पंक्तियों में साफ कर दिया है कि हमेशा के लिए लगान मुक्त हो जाएगा । अब प्रश्न यह है कि उनसे ऊपर वालों को छूट दी जाएगी, या नहीं । इसके लिए इसमें साफ कहा है कि एक सीमा बनाई जाएगी । अब आप गोलमाल शब्दों में कुछ भी कह दें । वित्त मन्त्री जी, मैं तो आप को शब्दों का जादूगर मानता हूं । लेकिन, आप पकड़ में भी जल्दी आ जाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आपने आधी कही है, उसको पूरी तौर से कहिए कि आप अपने फैसले के ऊपर अटल हैं । वैसे तो बात करने के लिए अभी दूसरी बात कह सकते हैं लेकिन यह नहीं कह सकते कि इस खरीफ का लगान माफ कर दिया जैसे कि कोई काश्तकारों पर एहसान कर दिया । लेकिन आगे इसे वसूल करेंगे तो फिर वही बात आएगी जो कि गलत बात है । इसलिए आप की जो मंशा है उसको अभी साफ करें और मैं नहीं समझ पाता कि इस हाउस को आप क्यों सस्पेंस में रखना चाहते हैं । सीधी सादी सी बात है कि जो भी आप के मन में है, वह कह दें । हां या नहीं में ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, (श्री मथुरादास माथुर के खड़ा होने पर) आप साथ ही जवाब दे देना बाद में । यह जो राज्यपाल ने निर्णय घोषित किया था, वह क्या गवर्नमेंट का निर्णय नहीं था ? आप ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया था वह लिखा ही होगा । वह निर्णय क्या था ? वह आप पढ़ कर बतायें । वह क्या इस फसल के लिए निर्णय था ? जो आप ने केबिनेट में निर्णय लिया और राज्यपाल के मुंह से जिसकी घोषणा कराई क्योंकि आपने केबिनेट में डिसीजन लिया था अतः उसको पढ़कर बतायें । उससे मालूम हो जाएगा कि या तो राज्यपाल महोदय गलत शब्द कह गये हैं या फिर राज्यपाल महोदय के मुंह से गलत शब्द कहलाये गये हैं । यह जो भूल सरकार कर चुकी है, उसको राज्य सरकार झूठ सिद्ध करना चाहती है।

केबिनेट के उस निर्णय को आप पढ़ कर सुनाइये, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपकी केबिनेट ने जो निर्णय लिया जो फैसला किया वह यह था कि अलाभकारी जोतों पर से हमेशा के लिये लगान माफ किया जाता है । आपकी केबिनेट के उस निर्णय को राज्यपाल महोदय को कन्वे किया, उसके आधार पर राज्यपाल महोदय ने यहां सदन में यह घोषणा की थी । इस लिये राज्यपाल महोदय ने कोई एम्बिग्युअस भाषण नही दिया है, उन्होंने वही भाषण दिया है जो आपकी केबिनेट ने निर्णय लिया हैं । वित्त मन्त्री महोदय, आप एक निर्णय केबिनेट में लेते हैं और अपने उस निर्णय की घोषणा स्टेट के हेड से करवाते हैं, फिर उनकी पोजिशन को गिराते हैं, उनकी पोजिशन को गलत करवाते हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन कर दूं, इन आपत्तियों का उत्तर दे दें । दो वक्ताओं ने प्रकाश डाला राज्यपाल महोदय की घोषणा के बारे में, मेरे ख्याल से राज्यपाल महोदय की घोषणा कैटेगोरिकली एम्बिग्युअस है और इसमें कोई शक या सन्देह नहीं है । माननीय वित्त मंत्री जी बाल की खाल निकालना चाहें तो

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनको अधिकार हैं। उन्होंने जो कहा, उस कथन के अनुसार वे धन्यवाद के पात्र नहीं हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता था, मेरे मुंह से धन्यवाद निकला पर फिर उन्होंने वे ही अफलातूनी बातें शुरू कर दीं, जो कहा उसके विपरीत आचरण करना, जैसा मैंने कल कहा के थूक कर उसको चाटना है। आपको जो कुछ कहना है साफ साफ कहिये। या तो आप हमको यह कहिये कि जो राज्यपाल महोदय ने घोषणा की है, उसको हम दो साल, 4 साल या 5 साल तक निभायेंगे..

श्री रामकिशन : हमेशा के लिये घोषणा की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप जो कुछ कह रहे हैं वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के आश्वासन के विपरीत है, यह काश्तकारों के साथ गद्दारी है, विश्वासघात है। आपकी नीति मुझे अपवित्र मालूम होती है आपको जो कुछ कहना है दृढ़ रूप से, साफ तौर से कहिये कि हमने जो लगान छोड़ा है वह केवल खरीफ के लिये छोड़ा है, रबी के लिये नहीं छोड़ा है, जो आपको कहना है साफ कहिये, आपके मन के अन्दर कुछ और है और आप कहते कुछ और हैं। माननीय सदस्य जो उधर बैठे हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप अपने मन को क्यों मारते हैं यह जो गद्दारी काश्तकारों के साथ हो रही है, यह मेरे ख्याल से अत्याचार और विश्वासघात की पराकाष्ठा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से पुर जोर शब्दों में निवेदन करता हूं कि आप दिल खोल कर हमें कान्फिडेन्स में लेकर सच्ची बात सदन के सामने रखिये, इधर उधर की टालमटोल की वात मत करिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारे वित्त मंत्री जी कानून के प्रकाण्ड पण्डित हैं और कानून की बातें वह करते हैं। इस प्रश्न पर जिस प्रकार की भाषा का वे प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण किसानों में बड़ा भारी सन्देह रहेगा...

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कहें सीधे सादे शब्दों में कह दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप जो कहना चाहते हैं सीधे शब्दों में कह दीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सीधे ही कह रहा हूं।

जैसे कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि अलाभकारी जोतों पर लगान नहीं लगेगा, कभी भी लगान नहीं लगेगा, तो जिस प्रकार राज्यपाल महोदय ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी उसी प्रकार हम वित्त मंत्री जी से चाहेंगे कि वे स्पष्ट शब्दों में कह दें कि भविष्य में कभी अलाभकारी जोतों पर किसानों से लगान नहीं लिया जायगा, जिससे कि किसानों को विश्वास हो जाय। इतना उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिये ताकि विधान सभा के सदस्यों को और राजस्थान के किसानों को व राजस्थान की जनता को अच्छी तरह से मालूम हो जाय।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री रामकिशन शर्मा : वेदान्त की बात मत करो, स्पष्ट बात कहो।

श्री मथुरादास माथुर : नहीं वेदान्त की बात नहीं।

(श्री मथुरादास माथुर)

जहांतक इस क्रोप से सम्बन्ध हैं मेरा बयान साफ हैं। आगे के लिये जब तक राजस्थान सरकार दूसरा निर्णय लेकर सदन के सामने नहीं आ जाती है, पूर्व निर्णय कायम रहता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिर तो विधान सभा दूसरी ही आयेगी।

श्री नत्थीसिंह : वापिस तो करेंगे दो किश्तों में, पर जहां वसूली नहीं हुई है, वहां वसूली क्यों करते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 10 पर्सेंट ही अगर वसूली बाकी है तो वह वसूली बन्द कर दीजिये, जिनसे वसूली बाकी है, उनसे वसूली क्यों कर रहे हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री): जहां तक वसूली का सम्बन्ध है मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से जिलों से 75 पर्सेन्ट वसूली हो गई है।

दूसरी बात यह है कि इस वसूली से हमको भी सारे फिगर्स का ज्ञान हो जायगा। किसका कितना रुपया होता है, इसलिये आपको निवेदन कर दिया।

श्री नत्थीसिंह : वह तो असेसमेंट कर लिया आपने।

श्री दौलतराम सारण: वह तो सब रेकार्ड है।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वसूली की कानूनी हैसियत क्या रहेगी जब यह घोषणा कर दी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द, आर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : यह किसानों के साथ जुल्म है, कांग्रेस में बैठे हो धोली टोपी लगाकर, बांसवाड़ा में जाइये, वहां आदिवासियों की क्या हालत है····

(शोरगुल)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसके लिये राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 93 में लीगल पोजिशन है....

श्री नाथूराम : हमको एडजस्ट नहीं करते, क्या गवर्नमेंट चलाते हैं····

(शोरगुल)

आपने कभी देखा है कि वहां गरीबों की क्या हालत है, हरिजन मंत्री बने बैठे हैं····

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनको बोलने दीजिये····

श्री नाथूराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह सरासर अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिन लोगों में से हम चुनकर आये हैं उनकी आवाज हम बराबर रखेंगे, उन आदिवासियों का आप क्या हित करते हैं, तीन साल से वे लोग दुष्काल में पड़े हुए हैं तीन साल से उनकी स्थिति बुरी है···

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

मुझे बड़ा दुख हो रहा है.....

श्री नाथूराम : करोड़ों रुपया लोगों में बकाया है, क्यों नहीं उनसे वसूल करते

(श्री नाथूराम)

हैं, 70 लाख रुपया शराब के ठेकेदारों का बकाया है, क्यों नहीं वसूल करते हैं, काश्तकारों पर जुल्म करते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव रखा था, उनमें से एक कुछ कहना चाहें...

श्री नाथूराम : खून चूसते हैं काश्तकारों का........

(शोरगुल)

तुम भी बदल जाओगे ऐसा अन्याय करोगे तो, मुझे क्या कहते हो....

(शोर गुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको मिनिस्टर नहीं बनाते तो छोड़ जाते, इनको मिनिस्टर नहीं बनाया तो भी किसानों के लिये लड़ रहे हैं।

श्री नाथूराम : आपको मंत्री नहीं बनाया होता तो उधर बैठते।

श्री उपाध्यक्ष : आप तय कर लें जितने भी प्रस्ताव रखने वाले हैं उनमें से सिर्फ एक ही बोलेंगे।

श्री रामकिशन : हमारे वित्त मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, वह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा निराशा हुई, वह इसलिए हुई, कि अगर वित्त मंत्रीजी साफ तौर पर कहते हैं कि हमारे इरादे केवल....

श्री नाथूराम : (राजस्व मंत्री से) आप झांसे दे रहे हैं, शांति क्यों करूं ?

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, इनको समय दिया जाय।

श्री हीराभाई : मंत्रीजी एक आदिवासी सदस्य को डांट देते हैं, यह हम सहन नहीं करेंगे। कोई भी आदिवासी सदस्य है तो मंत्रीजी उनको डांट देते हैं।

श्री जय नारायण सालोदिया : यह एक माननीय सदस्य का अपमान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने सदन के सामने जिस तरह से एक माननीय सदस्य के साथ दुर्व्यहार किया है, वह उनके अधिकारों का हनन है, मंत्रीजी को माफी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। उनको एक सदस्य के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री राम किशन : अभी माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है इस प्रस्ताव का, उसका मुझ पर व्यक्तिगत तौर पर और कांग्रेस के सभी समझदार और गरीब सदस्यों के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। मुझे उनके अंदरूनी संघर्ष से कुछ लेना देना नहीं ह लेकिन अफसोस इस बात का है कि राजस्थान के वित्त मंत्रीजी, जो काफी चतुर और विद्वान हैं, उन्होंने लचर दलीलें देकर इस प्रस्ताव को समाप्त करने की कोशिश की है। वित्त मंत्रीजी फरमाते हैं कि हमारे निर्णय बदलने में जो परिस्थितियां सहायक थीं, जिन परिस्थितियों की वजह से निर्णय पर पुर्नविचार करना पड़ा उनमें से एक यह भी था कि किसान प्रोत्साहित नहीं हुए। दूसरा कारण बतलाते हैं कि किसानों के अंदर आस्था नहीं रह गई कि जमीनों

(श्री रामकिशन)
पर उनका स्वामित्व रहेगा। जो मंत्री रूस और पूर्वी और पश्चिमी यूरोप घुमकर आए हैं वह अगर कहता है कि किसान प्रोत्साहित नहीं थे तो इससे पता लग जाता है की राजस्थान की तमाम जमीन 3,19,00,000 एकड़ पर खेती होती है और वित्त मंत्री फरमाते हैं कि उसमें से 2,24,00,000 एकड़ जमीन अनार्थिक जोत में निकल जाती है, अगर इतने किसानों के परिवारों में लगान की छूट की रोशनी जाती और भारत और राजस्थान के अंदर बड़ा चमत्कार होता तो लोग महसूस करते हैं कि राजाओं के राज और कांग्रेसी समाजवाद में क्या मौलिक अंतर है। जहां तक विकास का काम है, यह तो जो भी दुनियां में सरकारें आती हैं सब करती हैं, कोई नई चीज नहीं है। अंग्रेजों ने भी विकास का काम किया था लेकिन जो वित्त मंत्रीजी ने कहा है कि उससे किसान प्रोत्साहित नहीं हुए, वह इसी बात से साबित हो जाता है कि राजस्थान कि जितनी जमीन हैं, उसमें 3।4 जमीन का लगान माफ होना था। दूसरी बात राजस्थान के तमाम खातेदार–40 लाख खातेदारों में से 25 लाख खातेदारों का लगान माफ हुआ और फिर भी किसान अगर प्रोत्साहित नहीं हुए तो मेरी समझ में नही आता कि कांग्रेस के कौनसे कदम से किसान प्रोत्साहित होने वाले हैं। तो यह बात साफ हो गई कि किसान प्रोत्साहित थे।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सवाल है कि इसमें स्वामित्व के अधिकार, किसान के जाते रहते, तो जो दुनिया के सभी प्रगतिशील देश हैं, जहां दूसरे तरह के टैक्सेज लगे हुए हैं, वहां लगान को समाप्त कर दिया है तो मेरी समझ में नहीं आता कि राजस्थान के किसानों का स्वामित्व कैसे समाप्त होता है। मैंने बतलाया कि उड़ीसा और बिहार जहां पूरी तरह से लगान को समाप्त कर दिया है 15 बीघा का ही नहीं, पूरी लगान को समाप्त करके दूसरे ढंग का लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, तो जो भावना बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नहीं पनपी, तो किस तरह से वित्त मंत्रीजी को पता लग गया कि राजस्थान के किसानों में पनपी है। अगर वह साफ तौर से कहते कि हमने वायदा किया और परिस्थिति आई इसलिए मुकर गए तो हम बुरा नहीं मानते। जहां 20 वायदे करके मुकर गए, इक्कीसवां यह भी सही। इसलिए निराशा हुई। तो मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह मंत्री मंडल के लोगों से दुबारा सलाह करें, सरकार प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाए, अर्थ का अनर्थ न लगाए कि हमने केवल खरीफ के लिए कहा था। आप कह सकते हैं कि निर्णय बदल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने ऐसे नहीं कहा था।

श्री रामकिशन : आप राज्यपाल के बयान का दूसरा अर्थ लगाते हैं। उसमें स्पष्ट था कि अबके बाद अनार्थिक जोतों पर से लगान समाप्त कर दिया जायगा और वित्त मंत्री ने कहा कि इस निर्णय पर सरकार ने पुर्नविचार किया। हर सरकार को पुर्नविचार का अधिकार है लेकिन यह जो प्रश्न है, कोई निर्णय का प्रश्न नहीं। इस पर सन् 1926 से विचार हुआ था नेहरूजी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, भारत सरकार के अर्थशास्त्रियों ने

(श्री रामकिशन)

इस पर विचार किया था। 40 वर्ष के विचार विमर्श के बाद यह बात शुरू हुई थी। अगर आप कहते हैं कि आप नेहरूजी से ज्यादा विचारक हैं तो मैं आप की बुद्धि को दाद दूंगा। लेकिन इस प्रश्न पर एक बार नहीं अनेक बार कांग्रेस सम्मेलनों में कराची से लगातार आवडी तक यह मांग की गई कि अनार्थिक जोतों को माफ किया जाय, यह समाजवादी कदम है। अगर आप कहते हैं कि इससे किसानों के स्वामित्व के अधिकार नहीं रहेंगे तो इसका एक तरीका हो सकता है। सभी अनार्थिक जोतों की लगान माफ की जाय, उसके बाद टोकिन के रूप में एक पैसा लिया जाय और खातेदारी के अधिकार रखे जायं। हमने कई तरह के मामलों में ऐसा किया है, टोकिन रेंट लेते हैं, उस तरह से टोकिन एन्ट्री बना सकते हैं। असल प्रश्न यह है कि सरकार के मन में इस बात को करने के लिये साहस नहीं है। उन्होंने जो असली सवाल बताया है वह है राजस्व का। वित्त मंत्री ने बताया कि राजस्व की 9 करोड़ की लगान में से 1,36,00,000 का घाटा होता है। राज्य का बजट एक अरब तक पहुंच गया है अब आगे बजट पर एक अरब बीस करोड़ के आसपास से कम नहीं होगा। जिस तरह से प्लान की पोजीशन है, हालांकि प्लान को आपने स्थगित किया, उसका कोई महत्व नहीं रहा उसके बावजूद आपका तर्क मानलिया तो भी केवल 100 पैसे में से 1 पैसे की माफी का सवाल है। अब आप कहें कि यह एक पैसा कहां से आये तो उसके लिए एक बार नहीं अनेक बार सदन में सुझाव दिए गए। हम नहीं कहते हैं कि लगान हमेशा के लिए खतम की जाय। लगान की छूट से जितना आपको घाटा होगा, वह बड़ी जोत वालों से अपने आप वसूल हो जायगा। जो कम कमाते हैं वह नहीं दें, जो ज्यादा कमाते हैं वे दें।

श्री मथुरादास माथुर : जो कुछ मैंने कहा है उसके बाद और दलीलों की आवश्यकता नहीं रहती। उसके बाद में राज्य सरकार ने यदि पुन: निर्णय किया तो वह चीज भी आपके सामने आएगी। इसलिये आज के दिन वह स्थिति रही जो राज्यपाल ने अभी अपने अभिभाषण में कही है। उसके बाद में सरकार ने पोलिसी स्टेटमेंट दिया है, उस पर चल रहे हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री रामानन्द अग्रवाल : 5-9-67 का सर्क्यूलर कैंसिल करो।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर यह निवेदन करूंगा माननीय वित्त मंत्रीजी और सरकारी पक्ष के दूसरे माननीय सदस्यों से कि उनके मन में जो बात है उसको स्पष्ट रूप से सामने आने में क्या दिक्कत है। यदि आपके मन की बात स्पष्ट रूप से आयेगी तो सदन भी आपका सहयोग करेगा। आपका मन और हमके संस्कार मिल गये तो काम आसान हो जावेगा। अब तक क्या होता था सरकारी प्रस्ताव आया और हमने उसका विरोध किया। इसमें दूसरी स्थिति हो गयी है। विरोधी दल आपको हर तरह

(श्री रामकिशन)

से इसमें सहयोग देना चाहता हूं। आधे मिनिट के लिये चेम्बर में चलें, आप इसको देखिये तो सही कि निर्णय इस प्रकार नहीं बदले जाते हैं। आप यह सोचते होंगे कि एक करोड़ कहां से आयेगा। जमीन पर टैक्स लगाया जा सकता है, पक्के मकानों पर टैक्स लगाया जासकता है। बीस हजार से ऊपर के मकानों पर टैक्स लगाया जा सकता है। यह तो केवल आपके मन का सवाल है। आपको स्पष्ट रूप से घोषणा करनी चाहिये कि हम लगान वसूल नहीं कर रहे हैं और जो लगान वसूल किया गयाहै उसको वापिस कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय ने अनार्थिक जोत के लिये जो बात कही, वही बात है। हमारे मन के अन्दर आपके क्रम से जो संशय पैदा हुआ है उसको आपको दूर कर देना चाहिए। गांवों में यह बात फैल चुकी है कि लगान नहीं देना है भरतपुर में तो 15 परसेन्ट वसूली भी नहीं हुई है आप 75 परसेन्ट वसूली की बात करते हैं। लोग समझते हैं कि गवर्नर से कोई बड़े अधिकारी नहीं हैं। वे सबसे बड़े राज्य के अधिकारी हैं। उन्होंने जो बात कह दी वह सही है। उनका हुक्म छपा हुआ निकल गया। क्या लोग लगान नहीं देंगे तो आप डंडे चलवायेंगे? गवर्नर के सम्मान की आपको कद्र करनी चाहिये। मैं वित्त मंत्रीजी से और सरकारी पक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप इस पर कायम रहिये। रेगिस्तानी इलाकों की जोत के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ही था। छोटे लोग हैं उनको हम क्या सुविधायें दे सकते हैं उस पर हम विचार करते। यह तो सर्वसम्मत निर्णय था। कांग्रेस के उन सदस्यों के द्वारा ही हिन्दुस्तान का निर्माण हुआ है। आप अपने मन की बात कहो। राज्य से तुम कहीं विहीन नहीं होने वाले हो। कांग्रेस के सभी सदस्यों का केवल मौखिक समर्थन है। मन से समर्थन नहीं है। कर्म और वाणी दोनों को मिलाकार करिये। कर्म से कुछ और हो और वाणी से कुछ और निकले तो वातावरण दूसरा ही हो जाता है। सरकार यदि अपने रुख में परिवर्तन नहीं करे तो वे निश्चित रूप से अपनी मन की भावना के अनुसार इस प्रस्ताव पर वोट दें जिससे सही रास्ता किसान को दिखा सकें। आजादी के बीस वर्ष के बाद कम से कम वाणी और कर्म से तो यह समानता ला सकें। 15 बीघा का ही सवाल नहीं है। गांवों में समानता का सवाल आवेगा तो शहरों में भी आमदनी पर सीलिंग लगाना पड़ेगा। 1,500 से ऊपर की आमदनी पर कुछ करना होगा। 75 लाख या 1 करोड़ का नुक्सान हो रहा है इसको इस रूप में न देखें। कांग्रेस के दब्ब पिछड़े और छोटे वर्ग से आये सदस्य जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया और गरीबी में ही कांग्रेस के राज्य में मौत के नजदीक पहुंच रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हुई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्लेरीफिकेशन के लिये कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं भी बोल लिया था। मैं ज्यादा बोलने का इच्छुक नहीं हूं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने जो कुछ बात कहीं उनका मैं समर्थन करता हूं। मैं केवल मात्र उधर के सम्माननीय सदस्यों से यह कहूंगा कि यह सरकार बहाल रहे, मुबारिक हो लेकिन आप अपने मन की भावना व्यक्त नहीं कर और मौन धारण करके बैठे हुए हैं, दर असल में क्या आप यह ठीक समझते हैं कि अनार्थिक जोत पर लगान सरकार ले रही है, राज्यपाल महोदय की घोषणा के विपरीत जो आचरण कर रही है वह सब उचित है? आप कांग्रेस में रहें, कांग्रेस सरकार बरकरार रहे, मुबारिक रहे, केवल इतना तो साहस मित्रों, सम्माननीय सदस्यों आपमें होना चाहिए जिस प्रकार एक सम्माननीय सदस्य ने खड़े होकर कहा, आप भी अपनी सच्ची भावना खड़े होकर कहें। आप कहेंगे तो वित्त मंत्री एक दम झुकेंगे। यह जनता का सवाल है।

श्री मूलचन्द डागा : बिराजो आप।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जनता में कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, स्वतन्त्र पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और सब पार्टीज हैं। जनता के हित में आप कुछ कहिये। नहीं तो यह माननीय वित्त मंत्रीजी जो कुछ कर रहे हैं वह सब अत्याचार के रूप में होगा। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से क्लेरिफिकेशन के रूप में यह जानना चाहूंगा कि मेरा क्षेत्र अकाल घोषित क्षेत्र है, वहां छोटे 2 किसानों पर अत्याचार के द्वारा लगान वसूल किया जा रहा है यह तो, मेरे ख्याल से, कानून की अवहेलना और अत्याचार की पराकाष्ठा है। इस बारे में क्लेरिफिकेशन आने तो दीजिये। आपकी नीति केवल मात्र टैक्स लगाने की है। आप यह कहते हैं कि आपकी भावना के विपरीत काश्तकार लगान देना चाहते हैं। तो माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कितने आवेदन-पत्र आये, आप यह तो कृपा कर बतायें? यह भी बतायें कि यह भावना किस काश्तकार ने व्यक्त की? कम से कम जबरन भी आवेदन-पत्र लिखाकर सदन के समक्ष तो आवेदन-पत्रों को रखिये तब भी हमको कुछ हद तक तसल्ली हो, विश्वास हो। नहीं तो आपकी नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं, दगाबाज नीति है, धोखेबाज नीति है और काश्तकारों के प्रति गद्दार नीति है। मैं मेरे प्रस्ताव को हरगिज भी हटाने के लिये तैयार नहीं हूं।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है। आगे भाषण की मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप स्थान ग्रहण करिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी मिल जाय कि गवर्नमेन्ट का स्टेण्ड क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री मूलचन्द डागा ने

(श्री उपाध्यक्ष)
रखा और उसको वे वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं क्या सदन की अनुमति है कि उनको अपना प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गयी।

(सरकारी पक्ष द्वारा करतलध्वनी)

श्री मूलचन्द डागा : मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : कहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिजोल्यूशन का मूवर था और इस सदन में माननीय सदस्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण से.......

श्री उपाध्यक्ष : आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं इसलिये इजाजत दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मूवर को अपना उत्तर देने का अधिकार होता है।

श्री उपाध्यक्ष : केवल एक को होता है सब को नहीं। प्रस्ताव के पक्ष में बोल लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऐसा रूल नहीं है।

फिर भी समय को देखते हुए उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं करना चाहता। एक संशय रह गया है यदि वह दूर हो जाय तो प्रस्ताव वापिस लेने की सोच सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रस्ताव बना रहेगा। आपके प्रस्ताव वापिस लेने से स्थिति में फर्क नहीं आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहता हूं नम्बर 1 की गवर्नमेंट यह कहती है कि राज्यपाल महोदय के भाषण में की गई घोषणा को पूरा करने की नीति तय करली है तो क्या गवर्नमेंट जितनी वसूली बकाया रहती है उसको एक दम आज ही बन्द करने के आदेश जारी कर रही है? क्योंकि उसका लोजिकल कान्क्ल्यूजन है.......इसलिये आदर्श जारी करें। गलती हो गई है उस पर पुनः विचार करें। उसको सुधारें। एम्बीगुअस आप इस पोजीशन को बतायें। आप उसको फौरन बन्द करें उस बात को हम मान सकते हैं, विचार कर सकते हैं। वापिस कर सकते हैं, उसके बारे में हम क्या कहें लेकिन आपकी नीयत खराब है। इसको फौरन बन्द करने की बात है दूसरी बात आप यह घोषणा करें कि जिस तरह राज्यपाल महोदय ने अनार्थिक जोतों पर लगान मुक्त करने के लिये घोषणा की थी वह पूरी हो और आपका कोई इरादा आयन्दा भी लगाने का नहीं है। अन-एम्बीगुअस डिक्लेअर करें। आज किसकी सरकार है; कल किसकी होगी और क्या होगा, यह चीज नहीं है आज की पोजीशन आपकी क्या है इन दोनों प्रश्नों पर आप स्टेन्ड लें।

श्री उपाध्यक्ष : किस पोजीशन पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आयन्दा के बारे में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर। जवाब नहीं दे रहे हैं प्रश्न का?

(शोरगुल)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर । ऑर्डर । ऑर्डर प्लीज ! आसन अपने पैरों पर है।

(दोनों पक्षों की ओर से भंयकर शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य। ऑर्डर ऑर्डर। मैं कुछ नहीं सुनने पा रहा हूं। आप 5.6 एक साथ बोल रहे हैं। इसलिये मजबूरी है। ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस की इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिये। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं साहब।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इन प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं। मगर चूंकि माननीय सदस्य फिर मेरे से उत्तर चाहते हैं तो वह इस प्रकार है:-

1. आपने यह पूछा है कि राज्य सरकार की नीति आगे के लिये क्या होगी। उसका उत्तर मैं दे चुका हूं। जब तक नीति में परिवर्तन नहीं हो जाय तब तक जो पहले निर्धारित की है वह चालू रहेगी। दूसरे आपने मुझे पूछा है कि वह सरक्यूलर जो राजस्व विभाग से निकला है उसको विथड्रा करलें। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि अब करीब 75 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है, इसलिये इसको वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिये वह वसूली होगी और होने के बाद उसकी स्थिति क्या है फिर उसकी अदायगी। ....

(विरोधी पक्ष की ओर से शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर।

(दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल)

श्री देवीदत्त गाड़िया : औरंगजेब की तरह.....

श्री उपाध्यक्ष : श्री गाड़िया जी। ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर।

(भंयकर शोरगुल दोनों पक्षों की ओर से)

आसन अपने पैरों पर है ।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री लक्ष्मणसिंह, श्री रामकिशन, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री नरथीसिंह और श्री जय नारायण सालोदिया ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। जो उसके पक्ष में हैं वे हां कहें।

(हां की अवाज)

जो विपक्ष में हैं वे ना कहें ।

(ना की अवाज)

एक माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मेरा ऐसा अनुमान है कि ना पक्ष जीता।

(दोनों पक्षों की ओर से शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : डिविज़न प्लीज।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : दरवाजा बन्द कर दिया जाय। प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री लक्ष्मणसिंह, श्री रामकिशन, श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री नरश्रीसिंह, श्री विजयसिंह रावत और श्री जय नारायण सालोदिया ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय। जो पक्ष में हों वे हां कहें।

(हां की आवाज)

जो विपक्ष में हो ना कहें।

(ना की आवाज)

(भयंकर शोरगुल दोनों पक्षों की ओर से)

मेरा अनुमान है ना पक्ष जीता। जो माननीय सदस्य हां पक्ष में हैं वे हां पक्ष की लोबी में जायेंगे और जो माननीय सदस्य ना पक्ष में हैं वे ना पक्ष की लोबी में जायेंगे।

(मत विभाजन)
ना पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1	श्री अब्दुल हादी
2	श्री अमीनुद्दीन अहमद
3	श्री अमीलाल यादव
4	श्री अमृतलाल यादव
5	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिडावा)
6	श्री कल्याणमल
7	श्रीमती कान्ता कथूरिया
8	श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा)
9	श्री खेतसिंह राठौड़
10	श्री गंगाराम चौधरी
11	श्री गणेशलाल
12	श्री गामा फताजी
13	श्री गिरधारीलाल व्यास
14	सरदार श्री गुरदीपसिंह
15	श्री गुलाबसिंह शक्तावत
16	श्री गोकुलचन्द
17	श्री गोकुलप्रसाद शर्मा
18	श्रीमती गौरी पूनियां
19	श्री छुट्टनलाल
20	श्री जगन्नाथ
21	श्री जयकृष्ण शर्मा
22	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
23	श्री जवाहरमल
24	श्री जसराज
25	श्री जेपाराम
26	श्री दामोदरलाल व्यास
27	श्री दीपचन्द छंगाणी
28	श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा)
29	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
30	राव श्री धीरसिंह
31	श्री नथमल चोहला
32	श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन)
33	श्री नाथूराम
34	राव श्री नारायणसिंह मसूदा
35	श्री परसराम मदेरणा
36	श्री पुखराज कालानी
37	श्री पृथ्वीराज पटेल
38	श्री प्रद्युम्नसिंह

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
39	श्रीमती प्रभा मिश्रा	68	श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
40	श्री बनवारी लाल	69	श्री रामकुमार (सपोटरा)
41	श्री बरकतुल्ला खां	70	श्री रामचरण
42	श्री बलवन्त	71	श्री रामदेवसिंह
43	श्री विरधीचन्द्र जैन	72	श्री रामनारायण
44	श्री विशम्भरनाथ जोशी	73	श्री रामप्रसाद लड्ढा
45	श्री बीरबल	74	श्री राजवी रूपसिंह
46	श्री बृजसुन्दर शर्मा	75	श्री रोशनलाल
47	श्री बृजप्रकाश गोयल	76	श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत
48	श्री भीखाभाई	77	श्री ललितसिंह
49	श्री भीमसेन	78	श्री विद्यासागर
50	श्री भूरालाल	79	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
51	श्री मजलिस खां	80	श्री शंकरलाल (जैतारण)
52	श्री मथुरादास माथुर	81	श्री शिवचरण माथुर
53	श्रीमती मदन कौर	82	चौधरी श्री शिवचरणसिंह
54	श्री मदनसिंह (सिरोही)	83	श्री शिवनाथसिंह
55	श्री मनफूल राम	84	श्री शीशराम पूनिया
56	चौधरी श्री मनफूलसिंह	85	श्री शोभाराम
57	श्री महेन्द्रकुमार	86	श्री श्रीनिवास शारदा
58	श्री माधोसिंह	87	श्री श्रीराम रावत
59	श्री मुल्कराज	88	मास्टर श्री समर्थलाल
60	श्री मूलचन्द डागा	89	श्री सांवरमल बासोतिया
61	श्री मूलचन्द कटेवा	90	श्रीमती सुमित्रा
62	श्री मोतीलाल	91	श्री सूरजमल
63	श्री मोहनलाल मोदी	92	श्री हंसराज आर्य
64	श्री मोहम्मद उस्मान	93	श्री हरिदेव जोशी
65	श्री रघुनाथ विश्नोई	94	श्री हरिसिंह
66	श्री रणजीत सिंह	95	श्री हीरालाल देवपुरा
67	श्री रतनलाल रोत	96	श्री हुकमसिंह

Page No. 80

हां पक्ष

विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
1	श्री आइदानसिंह	28	श्री बृजवल्लभ बोहरा
2	श्री आदित्येन्द्र	29	श्री भगवानदास इसरदास शास्त्री
3	श्री आलमअली खां	30	कुं० श्री महेन्द्रसिंह हाडा
4	श्री ओमदत्त भाटी	31	श्री महेन्द्रसिंह पंवार
5	श्री कन्हैयालाल (बस्सी)	32	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
6	श्री किशनलाल शाह (नावां)	33	श्री मेघराज
7	प्रो० श्री केदारनाथ	34	श्री रामकिशन
8	महाराजा श्री केसरीसिंह हाडा	35	श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर)
9	डा० श्री गंगासहाय	36	श्री रामप्रसाद बोहरा
10	श्री गोरधन सोनी	37	श्री रामानन्द अग्रवाल
11	श्री चुन्नीलाल जेलिया (खंडार)	38	श्री रावत राम
12	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)	39	श्री लक्ष्मण तानीवाल
13	श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)	40	महारावल श्री लक्ष्मणसिंह
14	राजकुमार श्री दिग्विजयसिंह	41	श्री लाभचन्द वैद
15	श्री देवीदत्त गाडिया	42	श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद)
16	श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी)	43	ठाकुर श्री विजयसिंह (मकराना)
17	श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)	44	श्री विट्ठल भाई
18	श्री दौलतराम (देसूरी)	45	श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा
19	श्री नत्थीसिंह	46	श्री श्रवणलाल
20	श्री नाथूदास	47	श्री सहदेव शर्मा
21	श्री नाथूलाल करौल	48	कुं० श्री सुरेन्द्रसिंह
22	श्री परसराम गंगाराम	49	श्री सुवालाल चौधरी
23	श्री प्रेमसिंह सिंघवी	50	श्री हरजीराम बुरड़क
24	मेजर श्री फतेह सिंह	51	श्री हरिवल्लभ शर्मा
25	श्री फूलचन्द बाफना	52	श्री हीराभाई
26	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता		
27	श्री बालसिंह सोठा		

(3 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! प्लीज़ कृपया ध्यान ग्रहण करें ।

(श्री उपाध्यक्ष)

विभाजन का रिजल्ट इस प्रकार है:

हां पक्ष–52

ना पक्ष–96

(प्रस्ताव गिर गया)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, में इस परिणाम को चुनौती देता हूं क्योंकि यह स्वेच्छा के आधार पर मतदान नहीं हुआ है।

(शोरगुल–व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण कर।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि अभी सदन में वादविवाद के समय बागीडोरा से आने वाले माननीय सदस्य श्री नाथूरामजी विरोध में वोट देना चाहते थे लेकिन राज्य के गृह मंत्री अपनी शक्ति और पुलिस के भय से उन्हें उठाकर ले गये हैं ...

(व्यवधान)

हमने विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है इसलिये पहले उसका फैसला होना चाहिये कि उसका क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज ! कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है और वह विशेषाधिकार का प्रस्ताव उसी संबंध में है कि इस सदन में माननीय सदस्य को बिना उनकी इच्छा के और भय दिखाकर जो कि नहीं किया जाना चाहिये उनको उठाकर ले गये और वह माननीय सदस्य इस समय यहां क्या कहते हैं क्या नहीं वह प्रश्न नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! वह माननीय सदस्य खुद यहां सदन में उपस्थित हैं और अगर उनके ऊपर इस प्रकार का कुछ किया गया है तो वह खुद ही कह सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाल यह है कि क्या इस प्रकार का इस सदन के अन्दर किया जा सकता है......

श्री नाथूराम बागीडोरा : जनता की सही आवाज को मैं यहां पर रखता हूं।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है और उसकी सूचना भी समय पर दी है । प्रश्न यह है कि आया माननीय दामोदरलाल जी ने इस सदन की मर्यादा को भंग किया है या नहीं किया है..

श्री उपाध्यक्ष : इसका नियमानुसार आप नोटिस दीजिए ।

श्री रामकिशन व श्री रामानन्द अग्रवाल : हम उसका नोटिस दे चुके हैं। इमीडियेटली लिया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कल व्यवस्था दे दी जायेगी ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद–विरोधी पक्ष के नेता ।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आपने अभी जो व्यवस्था दी कि विरोधी दल के नेता राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वादविवाद होने जा रहा है उस पर अपना भाषण शुरू करें तो वह अपना भाषण शुरू करें उससे पूर्व मैं निवेदन करूंगा कि उस समय जो मैंने उनके भाषण का अनुमोदन किया था उस समय मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ था इसलिये । मुझे समय दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! उस दिन समय इसलिये बढ़ाया गया था कि आप अपने भाषण को समाप्त कर सकें । उस दिन आपने भाषण समाप्त कर लिया वह समाप्त किया हुआ ही समझा जायेगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समाप्त नहीं किया। मैंने उस रोज भी आपसे अर्ज किया था कि मेरा भाषण समाप्त नहीं हुआ है और मुझे बोलने का समय मिलना चाहिये क्योंकि मेरे सारे पाइन्ट्स अनुमोदन प्रस्ताव पर पूरी तरह से नहीं आ सके इसलिये कुछ पोइन्ट्स और बाकी हैं और थोड़ा समय मुझे दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपत्ति उस दिन आपने उठाई थी और उसी दिन व्यवस्था दे दी गयी थी। इसके अलावा आगे बहुत से अवसर आयेंगे जब आप अपनी बात कह सकेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह तो मेरे भाषण में बिल्कुल साफ बताया हुआ है । थोड़ा सा समय दिया जाय। अनुमोदन करने वाले को पूरा समय दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इस पर आपने आपत्ति की थी और उसका फैसला उसी दिन कर दिया गया था और आगे समय नहीं देने के बारे में भी स्पष्ट कह दिया गया था ।

विरोधी पक्ष के नेता

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने धारा 119 के तहत एक मोशन मूव किया था उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को दिया होगा । यह इसका समय नहीं है, आप बाद में इसके बारे में मालूम कर लीजिए । या....

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये जो समस्या उसमें पोज की गयी थी वह यह है कि गंगानगर जिले में जमीन की नीलामी करने के आर्डर्स कर दिये गये है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! इसका मतलब यह है कि जब कभी आप चाहें बिना नियमों का ख्याल किये और बिना समय का ख्याल किये कभी भी उसको उठा सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार उठाया है..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल 119 के तहत उस प्रस्ताव.....

श्री उपाध्यक्ष : उस समय आप पूछ लेते कि उसको एडमिट कर लिया है या नहीं । यह कोई समय नहीं है । यह कोई

(श्री उपाध्यक्ष)
उपर्युक्त समय नहीं है कि एडमिट कर लें या नहीं ।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज ! विरोधी पक्ष के नेता ।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, उस प्रस्ताव पर सबसे प्रथम वादविवाद होना चाहिए । भूमिहीन किसान और दूसरों के साथ अन्याय है । इसलिये इस पर पहले विचार होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! नियमानुसार व्यवस्था दे दी जायेगी। इस समय कुछ नहीं होगा। केवल बहस चलेगी ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज ही इस पर विचार होना चाहिए । सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले इसको पेश किया गया था इसलिए सबसे पहले इस पर विचार होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नत्थीसिंह : व्यवस्था का प्रश्न पहले ही चल रहा है । एक के बाद दूसरा नहीं आ सकता ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : रूल 15 में यह प्रावधान है कि ऐसे दिन या दिनों में या किसी दिन के भाग में, सदन, किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत तथा अन्य सदस्य द्वारा अनुमोदित धन्यवाद प्रस्ताव पर ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसलिये जो अनुमोदन मैंने किया है जब मेरा अनुमोदन पूरा समाप्त नहीं हुआ ऐसी अवस्था में वादविवाद का जो प्रस्ताव है वह आगे नहीं चल सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि वह धन्यवाद का प्रस्ताव जो रखा गया है उसको समाप्त करने की इजाजत दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने यही सूचना दी कि उस दिन भी आपने प्रश्न उठाया था उस समय निर्णय दे दिया गया था कि आज ही समाप्त हो गया और 10 मिनट का समय इसलिये बढ़ाया गया था। इसलिये आज समय नहीं दिया जा सकता। आपका भाषण उस दिन समाप्त हो गया और उसके अलावा और भी अवसर मिलेंगे जब आप बोल सकते हैं। यहां के नियमों के अनुसार समय दिया गया था और उसी के अनुसार समाप्त हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नियमों में बिल्कुल स्पष्ट है कि अनुमोदन के समय में जो भाषण होगा वह पूरा किया जायेगा और पूरा नहीं हुआ इसलिये उसमें समय मिलना आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका कहना है कि पूरा नहीं हुआ और आसन सोचता है कि उस दिन पूरा हो गया । इस बात पर विचार करके निर्णय दे दिया गया था।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अब नहीं मानें तो आपकी मर्जी

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के नेता।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 20 वर्षों के कांग्रेस के शासन में खुशहाली नहीं आई। खुशहाली की जगह पर भूखमरी आई, भ्रष्टाचार, पक्षपात और मंहगाई आई। मंहगाई इस हद तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आई कि शायद पहले युगयुगान्तरों में इतनी गगनचुम्बी मंहगाई नहीं हुई। इसके अतिरिक्त देश जो आजादी के पेश्तर ऋण मुक्त था वह महान ऋणी और दिवालिया दिन ब दिन होता जा रहा है। जिस प्रकार तुलसीदासजी के शब्दों में "रावण को अपने मत कथा भाई" उसी प्रकार सम्माननीय प्रस्तावक महोदय और सम्माननीय अनुमोदक महोदय जो इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे उनके द्वारा 'थोथी और खोटी कांग्रेस के शासन के सम्बन्ध में जो प्रशंसा के पुल बान्धे गये उससे मैं असहमत होने में विवश हूं।

अध्यक्ष महोदय, (उपाध्यक्ष) चुनावों के पश्चात् जो एक बुरी प्रक्रिया देश व्याप्ति रूप में दृष्टिगोचर हुई, एक फिनामेना जो हमने देखा उस सम्बन्ध में सर्व प्रथम मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा।

जो फिनामेना, जो प्रक्रिया हमें दृष्टिगोचर हुई वह दल बदल नीति के संबंध में हुई। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश में समाज का बिल्कुल नैतिक अधःपतन हो चुका है। कहा गया है कि यथा राज्य तथा प्रजा। मेरे ख्याल में यह शासन रुढ़ दल की प्रक्रिया जो पैदा की हुई है यह देश के लिए बहुत अहितकारक है। मैं यह मानता हूं कि देश में दल बदल की नीति जो कई लोगों ने अपनाई है वैसी ही राजस्थान में दल बदल की नीति अपनाई गई। मैं स संबंध में राष्ट्रपति शासन कब हुआ, क्यों हुआ इस बारे में विशेष तौर से विवेचना नहीं करना चाहूंगा। मैं यह मानता हूं कि सबसे अधिक दल बदल मेरे ही स्वतन्त्र पक्ष के दल में हुआ। मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। इस बात से मुझे शर्मिन्दा होना पड़ता है और इससे मेरे दल को हानि भी हुई और जो हानि मेरे दल को हुई उसका लाभ कांग्रेस को पहुंचा उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, श्री मोहनलालजी सुखाड़िया को मैं मुबारिकबादी दूंगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि जनतन्त्र के सिद्धान्तों के ऊपर आधारित है। डेमोक्रेसी इज वोवन आउट ऑफ सर्टेन मोरल्स। अगर इस सिद्धान्त को बिल्कुल ही साफ दर किनार रख दिया जाय या बन्द कर दें या हुकमत कायम रखने के लिये एनकेनप्रकारेण ईमानदारी के सिद्धान्तों का त्याग कर दिया जाय, मेरे ख्याल से वह जनतन्त्र के लिये एक भद्दी और अशोभनीय चीज होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की हवा जो देश के अन्दर आगई है वह आवेगी पकड़ेगी तो मेरे ख्याल में जनतन्त्र का मखोलसा हो जायगा। लोगों का जनतन्त्र में विश्वास टूट जायगा। और जनतन्त्र जो देश के लिये मैं समझता हूं आवश्यक और हितकारक शासन प्रणाली है वह अगर खत्म होती है तो फिर उसके बाद एशिया के अन्य देशों में और अफ्रीका के अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है वह यदि यहां पर होगा तो मेरे ख्याल में देश के लिए परम दुर्भाग्य का अवसर उत्पन्न होगा। हमें अपना आर्थिक दिवालियापन तो दृष्टिगोचर हुआ किन्तु आज हम देख रहे हैं कि राजनैतिक दिवालियापन भी हममें आगया

(श्री महारावल लक्ष्मणसिंह)

हैं। पोलिटिकल बैंकरप्सी जहां पर पैदा होती है वहां जनतन्त्र नहीं चल सकता है।

इसका इलाज क्या है। मेरे ख्याल से इसका इलाज होना परमावश्यक है। इसका इलाज, मैं समझता हूं, कानून के द्वारा नहीं हो सकता है। कानून है लेकिन कानून के बावजूद चोरी, छिनाली, दूसरे कत्ल, व्यभिचार, नशाबन्दी वह रुक नहीं सकते। एक हद तक कानून इसके अन्दर रोक पैदा कर सकता है, किन्तु मैं यह मानता हूं कि जब तक विविध दलों के आधार पर कोई आचारसंहिता का नहीं निर्माण होगा तब तक यह अवसरवादी दल बदल की नीति बन्द नहीं हो सकती। मुझे इसमें तनिक मात्र भी सरोकार नहीं है कि किस की सरकार बनेगी, मैं चाहता था कि राजस्थान में अकांग्रेसी सरकार बने किन्तु किस की सरकार बने किसकी नहीं बने उससे यह परे चीज है। मैं तो यह समझता हूं कि अगर इस सिद्धान्त को लेकर हम आगे चलें तो जनतन्त्र में सर्वोपरिहित जो हमारे लिए है वह देशहित है।

(3.17 म. प.)

(श्री निरंजनाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

उस देशहित के पश्चात समाज के लिए हितकर हो, उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए और निर्भीकता से ऐसी कोई चीज हो तो उसका समर्थन करना चाहिए। उसके बाद, पार्टी दल और व्यक्ति। आज मैं समझता हूं कि व्यक्ति विशेष की महत्वकांक्षाएं इतनी ऊंची उठ गई हैं कि देश का हित, समाज का हित गोण दृष्टिगोचर होता है। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाय, और मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस दल जो सबसे बड़ा दल हिन्दुस्तान के अन्दर और राजस्थान के अन्दर है वह इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाये, कोई उपाय ढूंढे, क्योंकि बहुत से दल परिवर्तन के ऐसे भी इन्सटान्सेज, उदाहरण हो सकते हैं कि जो भावना के अनुसार उन्होंने दल बदला हो, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन अशिक्षित, कम शिक्षित, गरीब अवसरवादी लोगों को पैसे का प्रलोभन देकर, पुलिस के दबाव में आकर या कर्मचारियों के प्रभाव में आकर दल बदल करते हैं, मेरे ख्याल में यह जनतन्त्र का अपमान है, जनतन्त्र की मखौल की पराकाष्ठा है। और कांग्रेस पार्टी ही जो सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों को पाने वाली है वही अगर सत्य की हिंसा कर अपनी हुकूमत को एनकनप्रकारेण इस देश के अन्दर कायम रखना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में यह देश के लिए अत्यन्त अहितकर होगा। मैं समय रहते हुए आपको पहले से ही इस सम्बन्ध में चेतावनी देकर मेरी मांग को यहां एक बार फिर सदन के फ्लोर पर, इस सदन के अन्दर दोहराऊंगा कि कोई न कोई इस सम्बन्ध में आचारसंहिता, कन्वेन्शन बनाना परमाश्यक है। कानून बनायें, कानून मेरे ख्याल में इसमें विशेष सुविधाजनक नहीं होगा। आचारसंहिता के संबंध में मैंने कांग्रस दल के सामने यह सुझाव रखा है जिसके बारे में वह गम्भीरता से विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय, 21 जुलाई को यह विधान सभा विसर्जित हुई। उसके पश्चात् वैधानिक रूप से कांग्रेस दल की राजस्थान सरकार को, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रीजी को यह अधिकार था कि वे 6 महीनों

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

के पश्चात् दूसरी विधान सभा को बुलावें में यह समझता हूं कि वैधानिक अधिकार एक चीज है, मैं यह मानता हूं कि उनको वैधानिक अधिकार है लेकिन इस अवकाश का पूरा लाभ कांग्रेस दल ने और राजस्थान की सरकार ने उठाया । मैं समझता हूं यह अशोभनीय प्रक्रिया है इसका समर्थन मैं नहीं कर सकता । बार बार यदि इसी प्रकार हुआ तो जनतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठेगा । मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वस्थ परंपराओं के अनुसार विधान सभा का सत्र तीन दफा साल में बुलाया जाय । यदि तीन दफा यह नहीं बुलाया जाता है तो कम से कम दो बार बुलाया जाय लेकिन इतने लंबे अर्से तक नहीं बुलाना वैधानिक अधिकार है उससे पूर्ण लाभ लेना इससे स्पष्ट होता है कि आपके दल की जो स्थिति है वह स्वस्थ नहीं है ।

पिछले सत्र का विसर्जन होने के समय तारीख 21 जुलाई को जो इस विधान सभा के अन्दर नजारा हुआ उसका मुझे पूर्णतया ध्यान है । मैं आसन के प्रति हमेशा आदर की भावना रखता हूं लेकिन जिस रूप से ताबड़ तोड़ रूप से विधान सभा का सत्र बंद कर दिया गया, प्रोसीडिंग्ज खत्म करदी गई उसके संबंध में मैं खेद प्रकट किये बिना नहीं रह सकता ।

अध्यक्ष महोदय, दल परिवर्तन के संबंध में मैं जो कुछ निवेदन करना चाहता था वह कर चुका लेकिन इसके साथ साथ यह भी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के सम्माननीय सदस्यों ने दल परिवर्तन का विरोध कोटा डिविजन में यदि उन्होंने प्रदर्शन के जरिये किया था तो भी सरकार ने दमन नीति अपनाई । इस हद तक दमन नीति अपनाई गई कि सदन के दो सम्मान्नीय सदस्यों को हिरासत में लिया गया । मैं इसका भी विरोध किये बिना नहीं रह सकता ।

अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में इतना विस्तृत मंत्रि मंडल शायद किसी भी राज्य में नहीं होगा जितना राजस्थान में आज है । 184 सदस्यों की विधान सभा में 36 मंत्री और उप-मंत्री, भूत और जिन्द होकर जनता के ऊपर छाये हुए हैं । आज राजस्थान के अंदर दुष्काल के कारण लोग भूखों मर रहे हैं, मंहगाई गगनचुम्बन तक पहुंच रही है और यहां के मुख्य मंत्री यह सोच रहे हैं कि उनकी सत्ता, उनकी हुकमत और उनकी कुर्सी को कायम रखने के लिये येनकैन-प्रकारेण कायम रखा जाय और इसलिये जितनों को भी हो सके मंत्री, उप-मंत्री का पद दिया जाय और पद लोलुपता के कारण सत्ता को बनाये रखा जाय । मैं समझता हूं इस बारे में भी कोई न कोई आचार संहिता होनी चाहिये और विधान सभा में न्यूमरिकल स्ट्रेन्थ के आधार पर अधिक मंत्री कायम नहीं हों इस बारे में कोई रुकावट कन्वेन्शन के द्वारा होनी चाहिये, नहीं तो, मेरे ख्याल से आज जितने मंत्री बने हैं, 4-6 मंत्री और भी बनें और इस आपा-धापी, लूट-पाट से मेरे ख्याल से जनतंत्र को हानि होती है, जनतंत्र पर कुठाराघात होता है । जनता की गाढी कमाई जो टैक्सों के द्वारा वसूल की जाती है उसका दुरुपयोग होता है । इसका मैं विरोध किये बिना नहीं रह सकता ।

आज राजस्थान में मित्तव्ययता परम आवश्यक है । मित्तव्ययता के बजाय हम देख रहे हैं कि फिजूल खर्ची बढती जा रही है । राजस्थान सरकार से मैं यह निवेदन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करूंगा कि मितव्ययता के ऊपर ध्यान देना परम आवश्यक है। केवल मात्र टैक्सेज से आमदनी बढ़ाकर फिजूल रूप से खर्च करने की प्रक्रिया बहुत बुरी है। मितव्ययता के द्वारा मेरे ख्याल से आप राज्य में खुशहाली और शान्ति ला सकते हैं।

मैंने कल ही निवेदन किया था कि राजस्थान के ऊपर सवा चार सौ करोड़ रुपयों का कर्जा है। राजस्थान का निर्माण हुआ उस वक्त 17 करोड़ रुपयों की सालाना आमदनी थी उसको बढ़ा कर 125 करोड़ तक ले आये उसके उपरान्त भी आपकी टैक्स नीति जरूरत से अधिक बढ़ती जा रही है। यह भारत सरकार की प्रतिष्ठा पर और राजस्थान सरकार की प्रतिष्ठा पर और भारत के स्तर पर कोई प्रशंसनीय टैक्स नीति नहीं है! आपने तेल पर टैक्स लगाया है, आपने तंबाकू पर टैक्स लगाया है, आपने घासलेट पर टैक्स लगाया है, आपने शक्कर पर टैक्स लगाया है, आपने गुड़ पर टैक्स लगाया है, न मालूम कितने प्रकार के नाना प्रकार के शेष और टैक्स आपने लगाये। और मैं यह भी कहे बिना नहीं रहूंगा कि महिलाओं के सुहाग की वस्तु चूड़ी हैं और कुंकुम है उस पर भी आपने टैक्स लगाया है। इतने टैक्स लगाने के बावजूद भी आज देश की क्या स्थिति है। 20 वर्ष पहले देश ऋण मुक्त था पर आज 1 खरब 26 अरब का देश पर कर्जा है। क्या आपका शासन सुशासन है, दुशासन है अध्यक्ष महोदय, कटु सत्य कहे बिना मैं नहीं रह सकता चाहे वह कितना ही मेरे सामने बैठने वालों को अप्रिय प्रतीत हो, यह कर्जा है, इस कर्जे का सूद केवल मात्र ५ अरब रुपया होता है। 5 अरब रुपये सूद आपके कर्जे का है और एक पवित्र आश्वासन भूतपूर्व राजाओं को देने के बावजूद प्रिविपर्स उनसे छीनने पर आमादा हो। आपको अधिकार है बहुमत के आधार पर करने का लेकिन बहुमत की प्रतिष्ठा 275 परिवारों को बरबाद करने में खर्च करना यह डेमोक्रेसी नहीं है टिरैनी है। जब अरबों रुपये व्याज पर खर्च होते हैं तो 5 करोड़ रुपये प्रिविपर्स से बचा कर क्या मितव्ययता कर लेंगे। 5 अरब रुपये सालाना ऋण पर सूद है तो आप स्वयं विचार करें कि क्या यह ठोस मितव्ययता का कदम है या विश्वासघात का, पवित्र आश्वासन के विश्वासघात का कदम है, यह सोचने की बात है। मैं इस बारे में विशेष नहीं कहना चाहता।

चुनाव के पश्चात् चुनाव याचिकाओं के संबंध में भी मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। श्री नाथूरामजी मिर्धा ने हमारे सम्मानीय सदस्य श्री गोरधनजी सोनी......

(3.30 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

के विरुद्ध चुनाव याचिका हाई कोर्ट में प्रस्तुत की थी। उसके ऊपर निर्णय हुआ, स्ट्रक्चर्स हाई कोर्ट ने पास किये हैं उनसे स्पष्ट होता है कि कितना भ्रष्टाचार करके, कितना दबाव सरकारी नौकरों पर डाल कर येन-केन प्रकारेण चुनाव जीतने की कोशिश की है। हाई कोर्ट के फैसले के पश्चात् चाहे जो कुछ करें लेकिन इस संबंध में एस.डी.एम. मेड़ता के संबंध में चर्चा किये बिना मैं नहीं रहूंगा। एस. डी. एम., मेड़ता, अनाज, शक्कर की सहकारी समितियों के अधीष्ठाता बने हुए हैं। जब उन्होंने हर तरह से कांग्रेसी आका नाथूरामजी को जिताने की कोशिश

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की तो उस क्षेत्र के लोक सभा के जो सदस्य थे उन्होंने ग्रौर मैंने मुख्य मंत्रीजी का ध्यान उस ग्रोर ग्राकर्षित किया ग्रौर उसके पश्चात् उन सम्मानीय एस. डी. एम. का नागौर तबादला हुग्रा ।

मैं, सभानेत्री महोदया, यह कहे बिना नहीं रह सकता कि ग्रापको चाहिए कि ऐसे लोगों को ग्राप सजा दें ग्रौर एक एक्जाम्पल बनायें तब तो कोई सुधार भी हो, तब तो ग्रापकी निष्पक्षता भी हो । उसकी जगह, उसके विपरीत क्या पाते हैं कि उन लोगों को ग्राप पदोन्नत करते हैं ग्रौर केवल मात्र हमारे विरोध को शान्त करने के लिए लीपा-पोती इस रूप में करते हैं कि उनका स्थानान्तरण हो जाय या स्थानान्तरण नहीं हो–यह मेरे ख्याल में भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा देना या प्रोत्साहन देना है । सम्माननीय सदस्य जो श्री पी. के. चौधरी जो दूदू से ग्राये हैं उनके संबंध में......

श्री भगवानदास शास्त्री : फुलेरा ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फुलेरा से ग्राये हैं उनके सम्बन्ध में जो फैसला हाई कोर्ट का हुग्रा वह भी देखने लायक है ग्रौर उन सदस्य......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (राजस्व मंत्री) : श्री पी. के. चौधरी का मामला सबजुडिस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ग्रपील की है । मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले का जिक्र न करें ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं मानता हूं कि यह सबजुडिस है ग्रौर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है लेकिन एक सदस्य, इस सदन के सदस्य के बारे में जो फैसला हुग्रा है उस पर विचार व्यक्त करने का ग्रधिकार नहीं है–ऐसा मैं नहीं मानता । सुप्रीम कोर्ट में उन सम्मानीय सदस्य के हक में भले ही फैसला हो लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय है...

श्री बृजसुन्दर शर्मा : हाई कोर्ट का निर्णय सेट ग्रसाइड हो जाता है तो बात नहीं रहती है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हाई कोर्ट का निर्णय सेट ग्रसाइड हो जाय तो मैं जाकर हाथ मिलाऊंगा लेकिन हाई कोर्ट का निर्णय ग्रभी है । वह हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे मिलेगा तब भी रहेगा । लेकिन मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि उन सम्माननीय सदस्य को छः साल के लिए चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि जो चुनाव याचिकायें विरोधी दल के बारे में हैं वे धीरे धीरे रिजेक्ट होती जा रही हैं ग्रौर जो चुनाव याचिकायें कांग्रेसजनों के खिलाफ हैं वे शनैः शनैः ग्रागे बढ़ रही हैं । मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि सम्मानीय मुख्य मंत्री के खिलाफ एक सन् 1962 की याचिका है जो ग्रभी तक चल रही है । कैप्टिन हकीकतुल्ला का मामला है, क्या मालूम उसका ग्रन्तोगत्वा परिणाम होगा । इतने लम्बे ग्रर्से तक एक मामले का चलना–मेरे ख्याल में ग्रशोभनीय बात है । सभानेत्री महोदया, हारे हुए कांग्रेसी जनों को हर तरह प्रश्रय ग्रौर प्रोत्साहन मिले–यह एक ग्रस्वस्थ प्रक्रिया है । केन्द्र हारे हुए कांग्रेस-जनों को गवर्नर तक का पद देती है ग्रौर राजस्थान की सरकार, यह देखा गया है, कांग्रेस के हारे हुए सदस्यों को, माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा को स्टेट रोडवेज कारपोरेशन का ग्रध्यक्ष बना दिया, दूसरे हारे हुए सदस्य श्री रामकिशोर जी व्यास

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

को सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जयपुर का अध्यक्ष बना दिया। तीसरे हारे हुए कांग्रेसी सज्जन पंकज पंचोली जो हारे हुए सदस्य थे, को सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ भूतपूर्व वित्त मंत्री माननीय श्री बालकृष्ण जी कौल को राजस्थान वित्त निगम का अध्यक्ष बना दिया। यह परम्परा अच्छी नहीं है। यह बुरी परम्परा है। इसका हम विरोध किये बिना नहीं रह सकते। सभानेत्री महोदया, मैं नहीं चाहता कि व्यक्तिगत किसी के ऊपर मैं किसी प्रकार का आक्षेप करूं किन्तु अब मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता कि जो सादड़ी का सोना काण्ड था उस सम्बन्ध म इस सदन के सम्माननीय सदस्यों के द्वारा मेमोरेन्डम पेश किया, प्रधान मंत्री तक वह मेमोरेन्डम गया, उस मेमोरेन्डम पर मैंने दस्तखत नहीं किये किन्तु उस मेमोरेन्डम पर किसी तरह लीपापोती हुई, खूबसूरती से वहां पर लोक सभा के अन्दर चर्चा होने के बावजूद भी इस पर लीपापोती करके इस काण्ड के मामले को डिस्पोज आँफ किया गया। उसके ऊपर मैं मेरे विचार इस सदन के समक्ष व्यक्त करूंगा। आखिरकार सोना गोदावत का जब्त हुआ उस सोने से स्वर्गीय प्रधान-मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को नहीं तोला गया। आखिरकार वह सोना कहां गया। मुझे यह आशंका है कि अपनी कुर्सी कायम रखने के लिए उस सोने से सौदागिरी करके और लोगों को इधर उधर तोड़ मरोड़ करके खरीदा गया और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा—यह कर दिया है इस तरह अपनी सरकार को कायम रखने के लिए राजस्थान के मुख्य-मंत्री ने किया। वह सन् 1954 से लगातार 1967 तक मुख्यमंत्री थे, और अब वह फिर पांच वर्ष तक के लिए मुख्यमंत्री बने रहें, इस मन्शा से उन्होंने इस सोने का दुरुपयोग किया। इसकी मुझे आशंका है। मैं मानता हूं कि सारे भारतवर्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, इस तोड़ फोड़ की नीति में मेरे ख्याल में उनमें से श्री मोहनलाल सुखाड़िया जितने गुरू और उस्ताद हैं (हिअर, हिअर) ऐसा शायद कोई भी नहीं है····

श्री शंकर लाल: मानते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा और यह मांग करता हूं कि लोक आयुक्त का होना परमावश्यक है। लोक सभा में भी इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है। भारत सरकार ने भी लोक आयुक्त के सिद्धान्त को आवश्यक समझ करके और माना है। उत्तर प्रदेश के अन्दर मुख्यमंत्री ने भी लोक आयुक्त की स्थापना के सम्बन्ध में एक विधेयक सदन के समक्ष लाने के लिए आश्वासन दिया है। यह आवश्यक है कि चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो—उनके आचरण के सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एम. एल. एज., चेअरमेन और म्यूनीसिपेलिटीज, चेयरमैन जिला परिषद्—इन सबके आचरण के सम्बन्ध में जांच की व्यवस्था होने से, मेरे ख्याल में, राजस्थान में शासन की इज्जत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अभी ही मैंने सुना है, उनकी अनुपस्थिति में, मैं कुछ कहूं तो भी मुझ ठीक नहीं लगता, लेकिन मैंने सुना है—मुख्य मंत्री जी ने अभी कुछ दिन पूर्व लाख रुपये में 62 बीघा जमीन बड़ी के तालाब के पछोर में खरीदी है उन्होंने अंगूर लगाये, उन्होंने मकान बनाये,·····

एक माननीय सदस्य: गरीब हैं भई !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: और वह कितना वेल्थ टैक्स देते हैं- इसका भी पता नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वह हर तरह से जलील होते हैं और टैक्स देते हैं। और मंत्री महोदय मौज करें और आपाधापी के अन्दर अपना हिसाब तक नहीं दें–यह कहां तक न्यायसंगत है–इस पर आपको विचार करना चाहिए। सभानेत्री महोदया, इलेक्शन के सम्बन्ध में एक दो उदाहरण में आपके सामने भी निवेदन करना चाहूंगा। मुख्य-मंत्री जी के एक कृपा पात्र ठेकेदार हैं, उनका नाम हेमनदास, वह उदयपुर के हैं, उनको एक प्रचुर मात्रा में दस वर्ष के पहले के ठेके का पेमेन्ट दिया है, दिसम्बर, 66 और जनवरी, 67 में हुआ, वह ठेका 1952, 53 और 54 के काम से संबंधित है। तो एक उसका उदाहरण यह है कि जो पेमेन्ट हुआ है वह दूसरे किसी अन्य ठेकेदार को नहीं हुआ है, केवल मात्र इन ठेकेदार को हुआ है। इस संबंध में आपकी आज्ञा से, सभानेत्री महोदया, जो एक आवेदन-पत्र राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया है उसके कुछ अंश सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाना चाहूंगा।

एक अंश में यह लिखा गया है :

गत सन 1958 तक निर्माण कार्य की लेबर रेट आइटम रेट पर होनी और वह रेट ऑल लीड एण्ड लिफ्ट होती थी। राज्य सरकार स्वयं अपना एस्टीमेट तय करती है ठेकेदारों को यह छूट अवश्य होती थी कि वह अपनी दरें खुद दें ताकि लीड और लिफ्ट की भुगतान की जटिलतायें पैदा नहीं हों। लीड और लिफ्ट के लाखों रुपयों का भुगतान नवम्बर दिसम्बर, 66 और जनवरी, 67 में अर्थात् ठीक आम चुनावों के पहले राजस्थान सरकार द्वारा किया गया जबकि टेन्डर आल लीड एण्ड लिफ्ट थे। साथ ही ऐसा भुगतान अन्य किसी भी ठेकेदार को टेन्डर की शर्तों का हवाला देते हुए नहीं किया गया। यह तालाबों का नमूना है। हरचन्द तालाब, उदयपुर, यह तालाब 52–53 में तैयार हुआ, आज 14 साल बाद ठेकेदार को लीड और लिफ्ट के नाम पर 54,000) दिया गया। इस कार्य पर किसी तत्कालीन अधिकारी ने कोई सिफारिश नहीं की।

पानी भर जाने के बाद लीड नापने का विभाग ने कौनसा पैमाना इस्तेमाल किया। यह भुगतान 14 वर्षों तक रोका गया था, फर्जी चुकाया गया, इस मामले में जांच अवश्य होनी चाहिये।

खारी से सराडा बांध, भीलवाड़ा डबकाना ये दो तालाब 54-55 में बने, यह कार्य छै, सात ठेकेदारों ने किया लेकिन उनमें से केवल एक ठेकेदार हेमनदास को आज करीब 11, बारह वर्ष बाद इन दोनों तालाबों का करीब डेढ़ लाख रुपया दिया, ये दोनों तालाब बगैर लीड और लिफ्ट के थे, टेन्डर लीड और लिफ्ट के थे। दूसरे ठेकेदारों को यह रुपया नहीं दिया गया और भुगतान कितना नियम सम्मत है यह प्रश्न सामने है।

मेजा लिफ्ट कैनाल, भीलवाड़ा, इस काम के ठेकेदार ने काम 54-55 के अन्दर छोड़ दिया जो विभाग ने ठेकेदार के रिस्क और कास्ट पर पूरा कराया। ठेकेदार हेमनदास में विभाग का सवा लाख रुपया निकलता है वह पी. डी. आर. में दिया हुआ है, जो राशि ठेकेदार के नाम आज मार्च, 67 तक बकाया निकलती है।

प्रश्न है कि जब ठेकेदार को अनेकों कामों का रुपया चुकाया गया है तो यह सवा लाख रुपये की वसूली आज तक क्यों नहीं हो पाई।

(**महारावल श्री लक्ष्मणसिंह**)

यह सब एक ही बात को साबित करता है कि मुख्यमंत्री जी ने येनकेन प्रकारेण उदयपुर में चुनाव जीतने के लिये भरसक प्रयास किया।

सभानेत्री महोदया, चने के परमिट के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। चने का परमिट अभी हजारों आदमियों को दिया गया है, हजारों क्विन्टल चने की निकासी के सम्बन्ध में परमिट सैकड़ों आदमियों को दिये गये हैं और उस हालात में जबकि चना बीज के लिये किसानों को नहीं मिलता है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर-सीमलवाड़ा एरिया में कितने चने के परमिट दिये गये, भीलवाड़ा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने चने के परमिट दिये गये, इस संबंध में भी सरकार से उत्तर आवे उस समय में आशा करता हूं कुछ प्रकाश डाला जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : आपका अभिप्राय बेल्ट एरिया में परमिट देने से है या राजस्थान से बाहर ले जाने के लिये परमिट देने के बारे में है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान से बाहर।

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान से बाहर का एक भी परमिट नहीं दिया गया है। किसी भी व्यापारी को राजस्थान के बाहर का परमिट नहीं दिया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चाहता था कि आपसे यह जवाब मिले। मैं आगे आ रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : हो गये कन्वीन्स्ड।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय सदस्य जो चौरासी क्षेत्र के विराजमान हैं, गंगवा गांव में एक सहकारी समिति चल रही है, उसके वे कर्णधार हैं और वे निकासी कर रहे हैं.....

श्री रतनलाल (चौरासी सु.) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, वह यह है कि माननीय सदस्य महारावल साहब चने की निकासी के बारे में कह रहे हैं, पिछले सेशन में भी इस प्रकार की बात उठाई थी। मेरे गांव में सहकारी समिति की न तो दुकान है न कुछ है। वहां पर एक अन्य व्यापारी ने सस्ते अनाज की दुकान की थी और उससे मेरा कोई ताल्लुक नही है और न चने के बारे में मुझे कुछ ज्ञान है। यह बात बार बार कहते हैं, यह उनकी बात बिल्कुल असत्य है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभानेत्री महोदया, इसकी जांच कराई जाय, माननीय सदस्य डिनाई करते हैं यह उनका अधिकार है। सहकारी समिति अगर बोगस है, उसके आप कर्णधार नहीं हैं तो स्पष्ट हो जायगा...

श्री जयनारायण सालोदिया : सौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज्ज करने चली है। पहले खूब कर लिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उनके लिये शोभनीय व्यवस्था यह है कि वे इस सदन से स्तीफा दें। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि सबसे बड़ी मुनाफाखोर यह सरकार है जो कीमतों को मेनपुलेट करती है। कीमतें बढ़ाती है और व्यापारी को हर तरह से जलील करती है। व्यापारी सेल्स-टैक्स दें, दूसरे टैक्स दें, कोटा, परमिट लाइसेंस लेने में हर तरह से परेशान हों और उस पर भी लेवी लगावे गवर्नमेंट, उस पर तरह तरह के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
बंधारण करे गवर्नमेंट । गवर्नमेंट बिना टैक्स दिये जिस भाव से लेती है और किस भाव से बेचती है, वह भी स्पष्ट दिखाता है कि सबसे बड़ी मुनाफाखोर और भ्रष्टाचारी राजस्थान सरकार है ।

सरकार ने माइलो 1 रुपया किलो के भाव पर बेचा, वह माइलो भी अमेरिका से मुफ्त में प्राप्त किया, उसमें धूल मिला कर बेचा, उस पर भी मुनाफा कमाया, इससे बढ़ कर प्रोफीटीयरिंग, मुनाफाखोरी और क्या हो सकती है । अभी मंत्री महोदय ने कहा कि चना बाहर नहीं जाता, अनाज का ट्रक रेड हैंडेड पकड़ा गया, वह छ सात दिन वहां का वहां रहता है, दर्याफ्तगी होती है, और एक महीने के बाद किसी को सजा नहीं होती है, सब पर लीपा पोती हो जाती है सब रफा दफा हो जाता है ।

राज्यपाल महोदय से कहलाते हैं कि बोर्डर पर पट्रोलिंग होता है, पर वास्तव में उसमें आपाधापी हो रही है बाड़ खेत को खा रही है । जितनी गठरियां सर पर ले कर आम तौर से गुजरात में अनाज ले जाते हैं, जिस तरह अनाज की लेवी वसूल की जाती है उसी तरह से गठरियों वालों से वे लोग लेवी की तरह अनाज लेते हैं, ट्रक के ट्रक रतनपुर से बाहर जाते हैं, उस पर कोई रोक नहीं और आप राज्यपाल महोदय से भाषण करवाते हैं कि बोर्डर पर पेट्रोलिंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है ।

आप इस बारे में वीरतापूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक छान बीन करें, और जो अपराधी हों उनको दण्ड दें । पर दण्ड देने का नाम नहीं, लीपा पोती कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं ।

66 में किसानों पर लेवी लागू करने की घोषणा की, इससे राजस्थान के किसानों में व्याप्त असंतोष फैल गया । हम विरोधी पक्ष के लोगों ने उसका घोर विरोध किया, मेरा दल लेवी के सिद्धान्त को नहीं मानता, हमने मुख्यमंत्री को प्रोटेस्ट किया । आज आपने किसानों की जगह व्यापारी पर लेवी लगाई । लेवी के लिये किसानों को बाधित किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, तहसील हेडक्वार्टर्स पर लेवी जमा कराई जानी चाहिये । लेवी जमा कराने आते हैं तो टालमटोल की जाती है, लेवी जमा नहीं की जाती । एक आदमी की परेशानी को देखें । ग्रेडेशन के समय भी यदि विरोधी पक्ष का व्यापारी होता है तो उसको कम भाव दिया जाता है, चाहे अच्छा माल हो लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी का है तो ग्रेडेशन के समय बाजार भाव से उसको छुट्टी दी जाती है, यह जनता का सवाल है और जनता के अन्दर सभी तरह के लोग हैं । आपको निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए । व्यापारी तहसील में अनाज लाते हैं तो उनसे कहते हैं कि बोरियां भरो, बोरियों को सीओ और गोदाम में अपने खर्च से वह ले जाये । आपको तो बैठे हुए मौज करनी है लेकिन लोगों को परेशान करना, यह दुर्व्यवस्था आपकी लेवी की है । इसका मैं सख्त विरोध करता हूं । आखिरकार लेवी का सिद्धान्त है क्या ? आप कहते हैं कि बफर स्टाक बनाने का, अन्न भंडार बनाने का । मैं समझता हूं कि आप स्टेट ट्रेडिंग इन फूडग्रेन्स करना चाहते हैं, आप स्वयं खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उन खाद्यान्नों का व्यापार आप हाथ में लेकर अनाज की दुर्व्यवस्था

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करना और अनाज को मनमाने भाव में रद्दी सड़े गले अनाज को बेचना, यह मेरे खयाल से मेरे दल के सिद्धान्त के अनुसार प्रगति के नियमों के विपरीत है कि राज्य सब कुछ व्यापार भी अपने हाथ में ले और व्यापार भी नहीं कर सके। यह व्यापारी का पेशा है, उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको व्यापार करने के लिए इजाजत होनी चाहिए और सरकार से जो हो सके उतना ही करना चाहिए। जिसकी सरकार व्यवस्था नहीं कर सकती है उसको क्यों हाथ में लेकर दुर्व्यवस्था फैलाती है ?

गंगानगर जिले के अन्दर बेटरमेंट लेवी के संबंध में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सरकार ने जब बेटरमेंट लेवी वहां पर लगाई उस समय घोषणा की कि पंजाब में जो दरें लागू होंगी वही दरें राजस्थान में लागू होंगी लेकिन जब बेटरमेंट लेवी सरकार ने माफ कर दी तो राजस्थान सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया और पूर्ववत् जो लेवी लागू थी, वह आज भी लागू है, तो आपके आश्वासनों का क्या मूल्य है ?

घग्घर बाढ़ के अन्दर आपने वाटर लेवी लगाई। बाढ़ को आप रोक नहीं सकते, नुकसान होता है तो भी लेवी लगाते हैं, नुकसान होने पर मुआवजा भी नहीं देते हैं, क्या यह सरकार का नियम है ? आप स्वयं विचार कर सकते हैं।

लैंड एलाटमेंट के संबंध में बाहर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। मैंने सुना श्री नाथूराम मिर्धा के गांव वालों से कि उनके रिश्तेदारों को वहां पर लैंड एलाटमेंट किया है और वहां के लोग जो हैं उनकी कुछ भी व्यवस्था नहीं करते। वहां के लोग हैं वे पुराने 10-15 साल से काबिज हैं और एक दो उदाहरण तो ऐसे हैं कि 100 वर्ष से काबिज हैं और आप इस तरह व्याप्त असंतोष फैला रहे हैं। लोग आकर कहते हैं कि हमें निकाल रहे हैं। क्या आप उन सबको शरणार्थी बनाना चाहते हैं ? जो वहां के रहवासी हैं उनको प्राथमिकता दें, उनको विस्थापित करके बाहर के लोगों को बुलाना, यह अन्याय की पराकाष्ठा है।

राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा शांति रही इसके लिए मैं सरकार को बधाई दिए बिना नहीं रह सकता लेकिन उसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस बधाई का रुपये में से यदि 12 आने सरकार पात्र है तो 4 आने जिम्मेदार विरोधी पक्ष के लोग भी हैं। ऐसी व्यवस्था जो राजस्थान के अन्दर है, मैं यही चाहूंगा कि सदा के लिए रहे और आज शांति व व्यवस्था राजस्थान की दूसरे राज्यों की अपेक्षा अच्छी है। निश्चित रूप से मेरा यह अभिमत है कि चुनाव के बाद चाहे जो कुछ भी हुआ, हमें गलियों और गांवों में जाकर तोड़फोड़ नहीं करनी है, जो निर्णय होगा वैधानिक रूप से सदन के अन्दर निर्णय होगा और वह सर्वमान्य होना चाहिये। तो इसी तरह मैं उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से उद्योगपति हैं, वे आज आसाम और बंगाल और बर्मा से विस्थापित होकर इधर आ रहे हैं। आपको केरल का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। केरल सरकार अकांग्रेसी सरकार है और पूंजीवादियों की

Page No. 94

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समर्थक सरकार नहीं है। उसके उपरान्त भी केरल सरकार पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को वहां पर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आव्हान कर रही है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार भी राजस्थानियों को प्राथमिकता दे और उद्योगपतियों को यहां पर बुलाए जो नक्सलबारी, घेराव और तोड़फोड़ से परेशान होकर राजस्थान में आएं उनका आव्हान करके हर तरह से उनको सुविधा दें तो राजस्थान का उद्योग भी आगे बढ़ सकेगा।

योजनाओं के संबंध में आप जो कुछ कहें, आपकी योजनाओं से इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। जहां पर कीमतें बढ़ती हैं वहां पर निश्चित रूप से टैक्स से बचने के लिए 101 हथकंडे पैदा होते हैं। आज टैक्स इवेजन की प्रक्रिया देश में व्याप्त है, वह मेरे ख्याल से आपकी प्लान का कारण है। मेक मनी एनी हाऊ, येनकेन-प्रकारेण पैसा बनाये भ्रष्टाचार के द्वारा, यह भी मेरे ख्याल से इसी इन्फ्लेशन के अन्दर सिद्धान्त निहित है। इसलिये आपको इन्फ्लेशन को रोकना चाहिए। चतुर्थ योजना ऐसी बनानी चाहिए, जैसे मैंने बारबार प्लानिंग बोर्ड मे निवेदन किया था "कट दी कोट एकार्डिंग टू क्लाथ"। अगर इसका कोई विरोध करे तो मुझे इस विरोध की परवाह नहीं। लेकिन हैसियत के उपरांत एक हद तक जा सकते हैं। अगर हैसियत के उपरांत आप सीमा ही नहीं रखें और मनमानी करें तो मेरे ख्याल से इसके दुष्परिणाम निकलेंगे, कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

(3.55 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह प्लान हालीडे का हमारे दल द्वारा बारबार सुझाव रखने के फलस्वरूप आपने इस सिद्धांत को माना है। आप भले ही कहें कि हमने यह सुझाव दिया है लेकिन मैं यह नहीं मानता। अगर आप चतुर्थ योजना को हैसियत के अनुसार रखेंगे अगर ऐसा काम आप अपने हाथ में लेंगे जो आप पूरा कर सकेंगे मेरे ख्याल से, आपकी चतुर्थ योजना आगे बढ़ेगी, वरना पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के समान ही इस योजना की भी दुर्दशा होगी। और अगर ऐसी दुर्दशा हुई तो देश के अन्दर भुखमरी और बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बेईमानी का बोलबाला होगा।

अकाल के संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपने जो कुछ भी किया उससे आपको सबक लेना चाहिए, आपने पानी की तरह पैसा बहाया अगर उसके आधे पैसे का भी सदुपयोग होता तो हजारों मकान बन सकते थे, हजारों कुएं बन सकते थे और हजारों मीलों तक डामर की सड़कें बन सकती थीं लेकिन आपने जगह जगह बेचारे गरीब आदिवासियों के सर पर टोकरों से धूला डलवाएं और मिट्टी पहली बरसात में ही बहकर नदियों के अन्दर चली गई। आपको सबक लेना चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो और जनता के पवित्र धन का दुरुपयोग न हो पाए।

कोआपरेटिव्ज के बारे में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको क्वालिटी पर जाना चाहिए, क्वान्टिटी पर नहीं। जितनी आपकी कोआपरेटिव्ज हैं वे सब

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बोगस है, कागजी है। 63 करोड़ आपने खर्च किया, क्या रिटर्न मिलता है? आप स्वयं सोचें और जिद्द को छोड़ कर स्वस्थ कोआपरेटिव्ज को प्रोत्साहन दें अन्यथा बोगस कोआपरेटिव्ज को मित्तव्ययता के खातिर खास तौर से राजस्थान में आप वाइंड अप करें।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मत्स्य विकास और सूअर विकास का भी उल्लेख था। मैं उसका विरोध नहीं करता। लेकिन आपको यह पता भी है कि होटल्स और रेस्तरां में एक मछली की प्लेट तीन साढ़े तीन रुपये में बिकती है, उपलब्ध होती है तो कितने लोग रेस्तरां और होटल्स में जाकर मछली खावेंगे और सूअर खावेंगे। यह बिल्कुल लाखों रुपयों का अपव्यय, दुरुपयोग किया गया है। मछली उत्पादन हो, स्वागत है। खैर, गरीब को तो नहीं किन्तु मध्यम श्रेणी के वर्ग को तो भूख से कुछ राहत मिले। खेद का विषय है मैं सर्विसेज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता लेकिन मैं यह देखता हूं कि इनका आज ऐसा बोलबाला है खाने पीने के लिये कि हमारे जैसे लोगों के बाहर की बात होती है वहां ये लोग आमलेट, चिकन्स, स्कोच व्हिस्की काम में लेते हैं। वे एक हद तक आपके काबू से बाहर हैं। वे एन्टी सोशियल काम करते हैं। वे प्रगति दिखाते हैं। शायद मंत्री महोदय तन्दुरुस्ती को आगे बढ़ायें तो अच्छी बात है।

श्री जयनारायण व्यास सालोदिया: मंत्री महोदय मछली नहीं खाते वे तो तेल पीते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन के संबंध में यह कहूंगा कि यह अनावश्यक चीज नहीं है। मैं और मेरा दल कभी भी यह चेष्टा नहीं करेंगे कि अनुचित रूप से राजनैतिक क्षेत्र में इससे लाभ उठायें लेकिन आपको भी सोच विचार करके इसके सम्बन्ध में योजना को क्रियान्वित करना चाहिये। कई जगह से शिकायतें आती हैं। तरह तरह शिकायतें आती हैं। इनाम की प्रक्रिया से अनुचित लाभ उठाया जा रहा है और एक दो जगह मैंने देखा सुना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि नसबन्दी को ठोकने के लिये जबरदस्ती डाक्टर ने पकड़ कर सुलाया, लाख चीखने लगा और हा हू हुई तो लोग बाहर आकर खड़े हो गये। ऐसा अभद्र प्रदर्शन सरकार के लिये अशोभनीय है। मैं परिवार नियोजन का विरोध नहीं करता। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। न होना चाहिए। यदि हम जन संख्या पर काबू नहीं पा सकते हैं तो हमारी योजनायें, खुशहाली धरी रह जावेंगी और अराजकता हो जावेगी।

स्माल सेविंग्स (अल्प-बचत) के लिये जो कुछ भी चर्चा हुई उसके लिये कुछ नहीं कहना चाहता किन्तु इतना ही कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी कोर्ट की कुर्सी पर बैठ कर एस. डी. एम. वगैरा यह कहते हैं कि गवाहों और मुल्जिमों से कि अल्प बचत योजना में इतना रुपया दो तब तो तुम्हारी सुनवाई की तारीख मुकर्रर करता हूं नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, सैनिकों के संबंध में जो पेन्शन और अन्य सुविधायें राजस्थान

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार ने दी है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं उसका समर्थन करता हूं। हमारे सैनिकों को संतुष्ट रखना परम आवश्यक है क्योंकि हमारी प्रभुसत्ता हमारी सुरक्षा निति में हित है। सोवेरिनिटी रिसाइड्स इन दी टोटल डिफेन्स पावर ओफ दी स्टेट। यह बिल्कुल निर्विवादित बात है और इनको प्रोत्साहन बराबर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, माही पुल के सबंध में भी राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि चाहे माही नदी पर पुल बने और लसाड़ा पर बने, चाहे भीलवाड़ा पर बने लेकिन किसी तरह बांसवड़ा और उदयपुर डिविजन को जोड़ा जाय, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को जोड़ा जाय ताकि यातायात में जनता को सुविधा मिले, व्यापार आदि में प्रोत्साहन मिले। चार छः महीने तक पुल न होने के कारण डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर अलग अलग हो जाते हैं। माही का ध्यान रख कर कुछ न कुछ इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेंगे ऐसी मेरी आशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सनसनीखेज मामले के सम्बन्ध में भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। एक स्थान है मेहनाल। मेहनालस्थान शायद चित्तौड़ या भीलवाड़ा जिले में है।

एक माननीय सदस्य : चित्तौड़ जिले में है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह । वहां एक परिवार के पांच व्यक्ति मार दिये गये और उनकी लाशें खादरे, नदी के अंदर फेंक दी गयी। पुलिस अब यह कहती है कि खुदकुशी इसका कारण है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, क्या छः महीने या दो तीन वर्ष के बच्चे भी खुदकुशी कर सकते हैं? इसके बारे में आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। मैंने सुना है इस कत्ल में प्रधान और अन्य वरिष्ट नेताओं का भी हाथ है। यदि हाथ भी है या नहीं है तो गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए केवल मात्र मेरा इतना निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदय, कल रात को एक तार मिला। पढ़ने लायक है। सदन के समक्ष पढ़ कर सुनाऊंगा। तार आया है रतनगढ़ से। तार इस प्रकार है:

"18 जनवरी की रात को छापर पुलिस के जमादार नागरमल ने धनराज सुनार को उसके घर पर गिरफ्तार किया और 19 जनवरी को सुबह 8 बजे सिर के बाल कटा कर, काला मुंह करके, गधे पर चढ़ा कर छापर में जलूस निकाला जो सर्वथा अमानुषिक एवं अवैधानिक है। उपर्युक्त काण्ड की जांच की जावे और ऐसे पुलिस कर्मचारी को फौरन बरखास्त किया जाय।"

यदि पुलिस के कर्मचारी गधे पर बिठाते हैं और काला मुंह करते हैं तो यह तो सौ वर्ष पहले राजा लोग किया करते थे। यह किस कानून के अन्तर्गत हुआ यह मुझे आश्चर्य है। मैं यह नहीं मानता कि इसमें जो कुछ लिखा है वह सर्वथा सत्य है। अगर यह सच है तो उस पुलस अफसर को, थानेदार को सस्पेन्ड करके उचित कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री : ये हेरेस करेंगे तब तो पुलिस की वेल्यू बढ़ेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इनकी तो नीति ही हैरेसमेन्ट की है।

डूंगरपुर के सेवा संघ के सम्बन्ध में भी, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट के लिये निवेदन करना चाहूंगा। उदयपुर के सेवा संघ को १॥ लाख रुपया सालाना मिलता है। बीस वर्ष से लगातार १॥ लाख रुपया मिलता आ रहा है। उसका कोई आडिट नहीं, चुने हुए पदाधिकारी नहीं। एक ही व्यक्ति संचालन करते ह। मेरे ख्याल में यह अजनतान्त्रिक प्रक्रिया है। इस का मैं विरोध करता हूं। सरकार को चाहिये कि इस सेवा संघ की व्यवस्था ठीक ढंग से बनाये।

माननीय सदस्य जो राज्यपाल महोदय क अभिभाषण के समर्थन में बोल रहे थे उन्होंने यह कहा कि आदिवासी और हरिजनों के लिये राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ किया और पहले के शासन ने कुछ नहीं किया। पहले का शासन अलग किस्म का था। उसमें कई बुराइयां थीं। लेकिन उसको समाप्त हुए, उपाध्यक्ष महोदय, 20 वर्ष हो गये। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने आदिवासियों के लिये, हरिजनों के लिये, उनके सुधार के लिये, उनके उत्थान के लिये काफी काम किये हैं। किन्तु मैं उनको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज एक, आदिवासी श्री भीखाभाई हैं. वे भी एक राज्य के प्रश्रय से आगे आये, शिक्षित हुए। उसके साथ साथ एक राज्य के प्रश्रय से डा० अम्बेडकर जैसे व्यक्ति आगे आये और शिक्षित हुए। डा० अम्बेडकर का उदाहरण हमारे सामने है। मैं उसे यहां प्रस्तुत करना चाहूंगा। उसके साथ साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि इस ट्वन्टीयथ सेन्चुरी में, बीसवीं शताब्दी में एक भी हरिजन भारतवर्ष में हुआ जो डा० अम्बेडकर की योग्यता रखता हो, जिसने हमारे विधान का निर्माण किया है, जो हमारे विधान का निर्माता रह चुका है। उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस के शासन में एक भी आदिवासी भीखाभाई के मुकाबले बनाया राजस्थान भर में। यह कहना कि हमारे शासन में बुराइयां थीं। उस शासन को 20 वर्ष हो गये। वह शासन खतम हो गया। उस चेप्टर को यहां दोहराना कि आज आदिवासी बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं लेकिन राजस्थान सरकार को यह निवेदन करूंगा कि एक भी दूसरा व्यक्ति उन्होने बनाया, किसी को आगे बढ़ाया, ग्रेज्युएट बनाया, विदेशो में भेजकर शिक्षा दिलवाई। तब तो मैं कहूंगा कि आपने कुछ न कुछ उनके लिये किया वरना उन बेचारों को इधर से उधर तोड़ना, लाखों रुपया इसमें खर्च करना। यह कोई आदिवासियों का उत्थान नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह तो अपनी प्रतिष्ठा बना रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अब सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपके जो पेन्डिग केसेज हैं, चाहे वे कोर्ट में हों, कहीं भी हों उसको आप देखिये। कम से कम पेन्डिग केसेज पुरान कितने हैं, उनको देखिये। अगर कोई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मामला तहसील के अन्दर है, डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है या कोई ज्युडिसियरी के अन्दर अदालत में है। दो दो, तीन तीन साल तक उनकी पेशी नहीं पड़ती है और जिस दिन पेशी पड़ती है न्यायाधीश महोदय अत्यन्त कार्य होने के कारण बाहर चले जाते हैं। इस तरह लोगों को परेशान करना, गवाहों को लाना लेजाना यह तो उपाध्यक्ष महोदय, एक सिम्पल एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। मैं यह मांग करूंगा कि आप कोई न कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म के लिये सिम्पल रिफार्म के लिये, प्रशासन के सुधार के लिये एक समिति बनावें। उसमें सब विविध दलों को आप स्थान दें, चाहें वे 25 हों। चाहें कांग्रेस वाले ज्यादा हों लेकिन सब दलों के एक एक सदस्य को आप बैठायें। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी उस समिति के अध्यक्ष बनें। नहीं तो दो केबीनेट रेन्क के मिनिस्टर्स उसके सदस्य बनें। आप कहेंगे कि मुरार जी भाई की एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कायम हो गई मुरारजी भाई की एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी एक अलग चीज है। यह तो रोज मर्रा के, एवरी डे के धन्धों के संबंध में है। आपको इस पर कोई न कोई निर्णय लेना चाहिये। अमुक अमुक दिन नियत करें कि फलां फलां दिन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर रहें चाहे उस दिन कैसी भी घटना हो, आगजनी हो, या कोई बात हो। यह दूसरी बात है कि अत्यन्त आवश्यक कार्य हो उसके लिये मुझे कुछ नहीं कहना। अमुक अमुक दिनों में उसे अवश्य रहना चाहिये। बहुत से सुझाव दिये जा सकते हैं। जो आपके लिये हितकर हो सकते हैं, जनता के लिये हितकर हो सकते हैं। लेकिन इस बहरी, अन्धी सरकार के लिये कुछ कानों पर असर भी करें। इसके साथ साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि स्वस्थ जनतन्त्र की परम्परा को निभाने के लिये आपको तीन वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा हो एक बार सब लोगों को ट्रांसफर करें। यह तो उपाध्यक्ष महोदय जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा का प्रश्न है। आपके जो छाटे मोटे कर्मचारी हैं वे 5-5 साल, 7-7 साल, 10-10 साल, 15-15 साल उनको एक जगह रखते हैं। उनके स्थानान्तरण की मांग की जाती है। लेकिन बहरे कानों पर कुछ असर नहीं होता है। यह सब वेस्टेड इन्टरेस्ट लिये हुये होते हैं। यह जनतन्त्र का मखौल है, इसका मैं विरोध करता हूं। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमेटी की इस सदन के समक्ष सरकार से मैं मांग करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, चुनावों के पश्चात् जो सरकारें बनी वे पंचरंगी और सतरंगी सरकारें बनीं। केवल तीन सरकारों को छोड़कर एक केरल की सरकार, दूसरी मद्रास की सरकार और तीसरी उड़ीसा की सरकार। चुनावों के परिणामों के घोषणा के आधार पर वास्तविक रूप से बनी। यह सुखाड़िया जी की सरकार है। यह भी मेरा ख्याल है कांग्रेसी सरकार है चाहे वे कांग्रेस के सदस्य दस दस हजार वोटों से हारकर आते हों वह वास्तविक रूप से कांग्रेस की सरकार नहीं है। जिस तरह येनकेनप्रकारेण हुकूमत कायम रखने की चेष्टा की। आज जनता में इससे शान्ति नहीं आ सकती है। मैं समझता हूं इस सरकार का दिनों दिन पापों का घड़ा भरता जा रहा है। इस

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सुखाड़िया ने नदियों को सुखा दिया, जयसमन्द को सुखा दिया, राजसमन्द को सुखा दिया, माही और सोम को सुखा दिया और उपाध्यक्ष महोदय इस सुखाड़िया सरकार ने इन्सानियत को भी सुखा दिया, मनुष्य की भूख को सुखा दिया, बच्चों को भूख के मारे सुखा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, भला ऐसी स्थिति तो है में इस प्रस्ताव का कैसे समर्थन कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझार सिंह।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, प्रश्न यह है कि धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे ह पहले उनको मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : वह ध्यान में है, उनको मौका दिया जायगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय मेरा भी संशोधन है, उसको ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह ।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): मैं राज्यपाल महोदय के भाषण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले राज्यपाल महोदय ने जिन शब्दों में शुरूआत की है उसी की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। राज्यपाल महोदय ने दूसरे पैरे में कहा है कि हमारा देश आज जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है वे सबके ध्यान में है। ऐसे समय में हमें आज अपनी सारी शक्ति, साहस और दूरदर्शिता की अत्यन्त आवश्यकता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सब जिम्मेदार सदस्यों और खास तौर से कांग्रेस के सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं कि आज जिस परिस्थिति से हमारा देश गुजर रहा है और जिस दूरदर्शिता, शक्ति और साहस के बारे में हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने हमारा ध्यान आकर्षित करने को कहा है क्या उसी शक्ति, साहस और दूर्दशिता से हम इस प्रान्त को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं । अगर वास्तव में, सिन्सयरली सोचा जाय तो आज हम खेद से अनुभव कर रहे हैं कि जो प्रान्त में गरीबी, भूखमरी बनी हुई है, उसकी जिम्मेदारी इस कांग्रेस सरकार पर है जिसमें दूरदर्शिता का नाम तक नहीं है। आज जिस प्रकार की सरकार जिसमें 38 मंत्रियों का मंत्रीमंडल है और जो कठपुतलियों की तरह इशारे पर नाचने वाले हैं। कठपुतलियां जिस प्रकार इशारे पर नाचती हैं, उसी प्रकार आज ये मंत्रीमण्डल के लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर नाचते हैं। इन्होंने इतना बड़ा मंत्रीमण्डल बनाकर जो बोझ राजस्थान की जनता पर डाला है, वह बहुत जनता के साथ अन्याय किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इन्होंने इतना बड़ा मंत्रीमण्डल बनाकर दूर्दशिता का काम किया है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता जिनको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं है जो नैतिकता से गिरे हुए हैं ऐसे ऐसे लोग मंत्रीमंडल में बैठे हुए हैं यही इनकी दूरदर्शिता की मिसाल है।

हमारे क्षेत्र के जो सदस्य मंत्री-मंडल में शामिल किये हैं वे जब उस

(श्री जुझारसिंह)

क्षेत्र में जाते हैं तो उनके साथ दो तीन सौ पुलिस के जवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस के घेराव में उनको भेजा जाता है जनता में उनका विरोध होता है तो शक्ति के द्वारा उन लोगों को जनता पर थोपा जाता है क्या यही आपकी दूरदर्शिता है ।

राज्यपाल महोदय ने जो शब्द कहे हैं उनका आशय है कि आज की परिस्थितियों में सभी तरह की गिरावट आयी है, देश में सब प्रकार की खराबियां आगई हैं इसलिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम दूरदर्शिता से काम लें। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है हमारे इन्टरनेशनल बोर्डर पर डिफीकल्टीज हैं इन परिस्थितियों में वास्तव में इस बात की आवश्यकता है कि हम दूरदर्शिता से काम लें । ऐसे आदमियों को हम प्रशासन में लें जिनसे देश को प्रेरणा मिले । उपाध्यक्ष महोदय, 1962 में राजस्थान सरकार ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी का निर्माण श्री हरिश्चन्द्र जी माथुर की अध्यक्षता में किया था उन्होंने इस विषय का दो तीन साल तक अध्ययन करके यह सिफारिश की थी कि मंत्रीमंडल में आठ नौ मंत्रियों से ज्यादा न रखे जायें । उस रिपोर्ट को आये अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं परन्तु आज हम देखते हैं आठ नौ की बजाय 38 मंत्रियों की फौज भरती कर रखी है इससे जनता पर क्या असर पड़ता है । जनता यह समझती है और उनका यह समझना स्वाभाविक है कि सरकार जिम्मेदार सरकार नहीं है। मैं ज्यादा इस बात पर जाना नहीं चाहता कुछ महत्वपूर्ण कोटेशन अर्ज करूंगा जो इस बारे में प्रकाश डालते हैं वे श्री सुभाषचन्द्र बोस जैसे जिम्मेवार व्यक्ति ने 1940 में अपने भाई को पत्र में लिखे हैं उससे हालांकि काफी सदस्य इसकी जानकारी रखते होंगे लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिये मैं कहना चाहता हूं । श्री सुभाष बोस ने अपने भाई को जेल से जो पत्र लिखा था उसमें कहा है यह कांग्रेस जो शासन करने जा रही है जिसका भविष्य 1940 में बहुत उज्वल था जिसके अन्दर उस वक्त बहुत बड़े बड़े आदमी थे । उस समय भी जिस प्रकार की इन्ट्रीगिटी कांग्रेस में चल रही थी उसका उनको बड़ा भारी अनुभव था और उस अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा था वह मैं सदन की जानकारी के लिये प्रस्तुत करना चाहता हूं यह पत्र है 31 अक्टूबर, 1940 का जो सेन्सर्ड है जेल से शरत्चन्द्र बोस को लिखा है:

"The more I think of Congress Politics, the more convinced I feel that in future we should devote more energy and time to fighting the High Command. If power goes into the hands of such mean, vindictive and unscrupulous persons when Swaraj is won, what will happen, to the country ? If we don't fight them now, we shall not be able to prevent power passing into their hands. Another reason why we should fight them now is that they have no idea of national reconstruction. Gandhism will land free India in a ditch, if free

(श्री जुझारसिंह)

India is sought to be rebuilt on Gandhian, non-violent principles. India will then be offering a standing invitation to all predatory powers. We should concentrate on fighting the Congress High Command now and to that end, we should make alliances with other political parties wherever and whenever possible."

उपाध्यक्ष महोदय, 1940 में आज से 28 वर्ष पहले यह पत्र लिखा गया था और सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस के आदमियों के लिए लिख दिया था कि They have no sense of national reconstruction.

28 वर्ष के बाद में आज अक्षरशः सत्य होता जा रहा है नेशनल कन्स्ट्रक्शन का जिनको कोई आइडिया नहीं, अपने मंत्रीमंडल को सुरक्षित रखने के लिये चाहे बिकाऊ बैल हों उनकी फौज इकट्ठी करके शासन चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है उनको देश में क्या हो रहा है इसकी चिन्ता नहीं है। राज्यपाल ने जो दूरदर्शिता का संकेत किया है वह हालांकि इसी मंत्रीमंडल द्वारा लिखाया हुआ ही है उस पर भी यह दूरदर्शिता पूर्ण बात नहीं दीख रही है। सुभाष चन्द्र बोस द्वारा लिखा हुआ 23 अक्टूबर, 1940 का एक पत्र और है जो उन्होंने जेल से अपने भाई को लिखा था वह भी सदस्यों की जानकारी के लिये रखना चाहता हूं ताकि हमारी बातों के मुकाबले उनकी लिखी बातों का कांग्रेसी सदस्यों पर कुछ असर हो।

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो आपके भाषण का असर होने दीजिये।

श्री जुझारसिंह : जो मैं उनके पत्र कोट कर रहा हूं यह भी मेरे भाषण का ही अंश है। उन्होंने अपने भाई को दूसरे पत्र में लिखा:

"This latest phase of Gandhism with its sanctimonious hypocrosy, its outrage on democracy and its queer and ununderstandable formulate for political life is sickening to a degree. One is forced to wonder which is a greater menace to India's political future the British bureaucracy or the Gandhian hierarchy. Idealism that is devoid of realism and whose only content is a frothy sentimentalism of a sanctimonious character can never be fruitful of results."

यह भी उतना ही सच्चा है जितना पहले का। जिनको नेशनल कन्स्ट्रक्शन का काई आइडिया नहीं आज वे बड़ी बड़ी बातें करके दुनियां को गुमराह करना चाहते हैं। इस कांग्रेस ने अपने बीस साल के शासन काल में इस देश को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है वह सबको विदित है।

राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कुछ ऐसे मुद्दों पर भी सदन का ध्यान आकर्षित किया है जो हमारे क्षेत्र से संबन्ध रखते हैं जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण के पैरा 18 में किया है।

"राज्य सरकार ने यह भी प्रयत्न किया है कि राज्य के भरतपुर, सवाई माधोपुर तथा कोटा जिलों में स्थित जो भूमि कन्दरा क्षेत्रों में है उसे सौ सौ एकड़ के भूमि खण्डों में उन लोगों को आवंटित करदी जावे

(श्री जुझारसिंह)

जोकि निर्धारित शर्तों पर उसे कृषि योग्य बनाने को तैयार हों ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय में मैंने इस सदन में पिछले कई सालों से 1952 से लेकर आज तक इस विषय में सदन के अन्दर काफी बार कहा है । कोटा डिस्ट्रिक्ट और कोटा डिविजन में सोइल इरोजन की बहुत बड़ी समस्या है । इस समस्या को सरकार ने कभी सुलझाने की कोशिश नहीं की । कोटा स्टेट के समय महकमा बन्धात था जिसको भी बन्द कर दिया गया है । पिछले सत्र में मैंने राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाया था । इरीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा चम्बल कमान्डेड एरिया का सर्वे कराया गया था व सुझाव दिया गया था कि चम्बल से लगता हुआ जितना मार्जिनल एरिया है जो करीब दो लाख 18 हाजर एकड़ जमीन है और जो रेविन्स-कहलाते हैं उसको किसी भी सूरत में कल्टीवेट नहीं किया जावे अगर उसको कल्टीवेशन के लिये रिलीज किया गया तो उपजाऊ भूमि में कटाव बढ़ जायेगा इससे काफी नुकसान होगा ।

जिस समय मैंने इस बारे में आधा घंटे का वादविवाद उठाया था उस समय इस बात को राजस्व मंत्री महोदय ने मन्जूर किया था । उस किताब की रिकमंडेशन्स उस समय उनके ध्यान में आई थी । उसके बाद आपने जो फैसला किया है कि 100 एकड़ के प्लाट्स रेविन्स के अन्दर अलाट करेंगे आपने यह नहीं सोचा इससे सोइल इरोजन और बढ़ने वाला है । न आपने इस बारे में कोटा जिलाधीश से जानकारी करने की कोशिश की । किस प्रकार से सौ-सौ एकड़ का मब हो गया और आपको किसके द्वारा कहा गया कि वहां सौ एकड़ के प्लाट्स हैं । फैसला लेने से पहले क्या आपने सर्वे कराया है कि इतनी जमीन भी उपलब्ध है या नहीं । कोटा के जिलाधीश को इस बात का पता नहीं है कि इस प्रकार की भूमि अवेलेबल भी है या नहीं । मेरी जानकारी से बता सकता हूं कि वहां पर सौ एकड़ की कोई जमीन एक प्लाट में नहीं मिलेगी । पर क्योंकि इनको बड़े बड़े सेठियों को, जो अपनी ब्लेक मनी को कनवर्ट करके उसका उपयोग करना चाहते हैं उनको ओब्लाइज करना है । इसलिये इस बहाने यह नया डिसीजन लिया है ।

मेरे अनुभव और उस क्षेत्र की जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि यह सरकार का गलत डिसीजन है । इससे उस क्षेत्र में सोइल इरोजन घटेगा नहीं, बस बढ़ेगा और इससे लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है । नुकसान ही होने वाला है ।

फिर यह भी क्या गारन्टी है कि जो सहकारी समितियां बनाकर भूमिहीनों को आप यह जमीन देंगे वे उसको रिक्लेम कर ही लेंगे । पैसा कहां से लावेंगे इतना । एक एकड़ के रेवीन एरिया को रिक्लेम करने के लिये कम से कम दो हजार की लागत आवेगी । तो ऐसी कौनसी कोआपरेटिव सोसायटी या भूमिहीन आदमी होगा जो एक एकड़ पर दो हजार खर्च करके सौ बीघा या एकड़ भूमि को रिक्लेम करेगा । दो लाख की लागत वाली कौनसी कोआपरेटिव बन सकेगी । यह सब बहाना मात्र है ।

अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने रेवीन सर्वे डिपार्टमेंट कायम किया है जिसका

(श्री जुझारसिंह)

आफिस डी. एफ. ओ., कोटा में भी है। उसने सबका सर्वे किया है सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी का भी किया है और रिकमण्ड किया है कि वहां पर जो डीप रेवाइन हैं जिनको कैटेगरी एक, दो और तीन में बांटा है उनके बारे में रिकमण्डेशन्स सरकार के पास भेजी गई हैं। उन पर सरकार का कोई डिसीजन अभी नहीं हुआ है। उन्होंने रिकमण्डेशन्स की हैं कि उनको ट्री प्लान्टेशन के लिये व घास उगाने के लिये या प्रोटेक्टेड फारेस्ट की तरह यूज करना चाहिये। उनका अलाटमेन्ट करने से या दूसरे उपयोग में लाने से जमीन का नुकसान होने वाला है। इसके विपरीत राजस्व विभाग का नया निर्णय यह इस तरह की बात है जैसे Let not your right hand knows what your left hand does. रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को पता नहीं लगता, फोरेस्ट विभाग क्या करना चाहता है इसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं जान पाता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो करना चाहता है उसका पता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को नहीं लगता, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वह सलाह नहीं लेता। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी को कुछ नहीं पूछना चाहता। तो इस नीति का यह परिणाम है कि आज राजस्थान में सब जगह पर असंगतता है। किसी चीज में कोआर्डिनेशन नहीं है और मनमाने तरीकों से फैसले लिये जाते हैं और उनका नुकसान प्रदेश को और प्रदेश की जनता को उठाना पड़ता है।

मेरा निवेदन है, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो फैसला सरकार ने लिया है वह गलत है और इससे वहां की जनता का काफी नुकसान होने वाला है।

इसी तरह से अभी सरकार ने थोड़े दिनों पहले चरागाहों के बारे में जिनके बारे में आज भी सदन में बहस हुई है कि चरागाहों के अलाटमेंट का कोई निश्चित प्रोसेस नहीं है, गावों में सब जगह असन्तोष है। इसका कारण यह है कि सरकार की नीति और ऑर्डर में कोई फाइनेलिटी नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने ऑर्डर पास किया था कि जो लोग ट्रेसपासर्स हैं, जिन्होंने चरागाहों की जमीन पर ट्रेसपास किया है उनको केन्सिल कर दिया जावे व उन पर मवेशी छोड़ दिये जावें। इसी प्रकार जो सरकारी भूमि पर ट्रेसपासर हैं उनकी भी फसल को जब्त कर लिया जावे या बेच दिया जावे। ऑर्डर के तहत जो इनमें कमजोर व्यक्ति थे वे तो इस ऑर्डर के शिकार हो गये। उनकी जमीन जब्त कर ली गई। उनकी फसल को खत्म कर दिया गया। पर जो मजबूत थे साधन सम्पन्न थे जिन्होंने सरकार के ऑर्डर का मुकाबला किया और उनको दो महीने बाद ऑर्डर मिल गया कि दिसम्बर, 66 तक जिसने कब्जा कर लिया है उसकी जमीन के कब्जे को रेगुलराइज कर दिया जावे।

श्री मूलचन्द डागा : लेण्डलैस जो हैं उनको।

श्री जुझारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह के रेगुलेराइजेशन के ऑर्डर सबसे पहले 63 में पास किये गये थे। उसके बाद से साल दर साल यह रेगुलेराइजेशन का क्रम चलता आ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि गांव में जो जोरदार व्यक्ति हैं, कानून को नहीं मानने वाला है जो अपन

(श्री भुभारसिंह)

तौर पर चलता है, और सरकारी कानूनों की अवहेलना करता रहता है वह जबर्दस्ती सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठ जाता है यह जानकर कि इसका नतीजा आगे पीछे यही होने वाला है कि जमीन को रेगुलेराइज कर दिया जावेगा । और वह रेगुलेराइजेशन वास्तव में होता आ रहा है इससे ऐसे लोगों को डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली शह मिलती है । और जो लौ अबाण्डिंग सिटीजन्स है उनको जमीन नहीं मिल पाती क्योंकि वे सही सीधे तरीकों से चलना चाहते इस तरह से हमारी सरकार काम करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मन्त्रीजी का ध्यान खास तौर से हमारे इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं । उनकी इस इलाके पर खास मेहरबानी रही है । जो गलत काम कर रहे हैं उनको करने में यह हिचकिचाते नहीं, अपनी पावर, अपनी अथोरिटी, मैं समझता हूं, इस कुर्सी पर बैठे रहकर अन्यायपूर्ण कार्यों में उपयोग में लाते रहे हैं । अन्याय करते रहे हैं, गलत काम करते रहे हैं और इसीको सही चीज अपनी शान और प्रजातन्त्र मानते रहे हैं ।

पिछले साल मेरे क्षेत्र में 132 गांव में सांगोद तहसील में अकालग्रस्त घोषित किये गये । 28 रामगन्ज मण्डी में घोषित किये गये । और अकाल नियमों के तहत इन गांवों में सोइल इरोजन का काम करने को था । हमारे क्षेत्र में अकालग्रस्त गांव भी थे और वैसे सोइल इरोजन का प्रोब्लम भी था । पर इन 132 और 28 गांवों में राहत काम करना तो दूर रहा उनके लिये अनाज तक का प्रबन्ध नहीं किया गया और पिछले साल जो लगान वसूली सस्पेन्ड की गई थी, उसकी भी वसूली के लिये कुर्कियां हुई हैं और इसमें वे शान समझते हैं क्योंकि यह विरोधी का क्षेत्र है इसलिये उसकी जनता को तो परेशान करने में ही मजा है । आज इस प्रकार का अमल करना मन्त्रीजी ने एक फैशन बना लिया है । जब जब भी ये दौरे पर जाते हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के दौरे हुए हैं जोशीजी के दौरे हुए हैं मेरे क्षेत्र में जनता की मांग हुई कि हमें वाटर वर्क्स की स्कीम चाहिये, इस स्कीम के लिये मोहनलालजी सुखाड़िया ने सन् 56 में वहां गये, बाजार में खड़े होकर, दस हजार आदमियों के सामने घोषणा की थी कि रामगन्जमण्डी में वाटर वर्क्स की स्कीम सैंक्शन कर देंगे । 14 जनवरी, सन् 67 को चुनावों के प्रचार के दौरान में फिर दस हजार आदमियों के सामने खड़े होकर यह ऐलान किया था कि एक महीने में नल लगा देंगे । पर इनके वादों की वकत होती ही नहीं ।

अभी दो दिनों से निन्दा का प्रस्ताव चल रहा था । गवर्नर के भाषण में छपी चीजों का भी उनके सामने कोई महत्व नहीं है । जनता के सामने खड़े होकर आश्वासन दें उसका तो कोई महत्व है ही नहीं ।

चुनाव के बाद उस क्षेत्र के लोगों से सुखाड़िया तो कहते हैं कि वादा तो किया था पर यहां पर जो कांग्रेस का आदमी चुनकर ही नहीं आया । विरोधी आ गया है अब क्या करें । हरिदेवजी जाते हैं तो वे भी यही कहते हैं । बृजसुन्दरजी के तो अमल में ही यह बात है । वे तो इसी में शान समझते हैं । ये लोग थोड़े दिन, जब तक इनके हाथ में पावर है तसल्ली कर सकते हैं । पर यह कोई प्रजातन्त्र चलाने का तरीका नहीं है । इनके तौर तरीकों से आज जिस जगह पर चलते चलते हम खड़े हो गये हैं उस जगह

Page No. 105

(श्री जुझारसिंह)

पहुंच कर क्या कुछ हो सकता है, इसके लिये कोई कुछ नहीं कह सकता ।

आज कॉलेज के प्रोफेसर, रेडियो प्रोग्राम, पार्टी के लीडर्स इस बात को डिसकस करने लग गये हैं कि हमारी डेमोक्रेसी का भविष्य स्पष्ट है या नहीं ।

आज से दस वर्ष पहले ये ही लोग डेमोक्रेसी के विरोध में किसी बात की सम्भावना को नहीं मानते थे । पर आज चौराहे पर रेडियो प्रोग्रामों में कॉलेज की डिबेट में, प्लेटफार्मों पर, पोलिटिकल पार्टियों की डिबेट में कॉमन बात हो गई है कि क्या हमारी यह डेमोक्रेसी का रास्ता हमारे लिये सही रास्ता है । क्या आज का प्रजातन्त्र इस तरह से चलते रहना सम्भव है । ये डिसकशन होने लग गये हैं और यह इन्डिकेशन है कि इस प्रजातन्त्र को आज प्रोटेक्ट करना और बचाना आवश्यकता बन गई है ।

हमारे मित्र, क्योंकि कुर्सियों पर बैठ गये हैं, उनमें इतनी सी भी क्षमता नहीं है कि ये उस पावर में बैठने के बाद पावर को कन्ट्रोल करके चलें । अपने मन को कन्ट्रोल करके चलें । जस्टिस करवा सकें । आरबिट्रेरिली पावर यूज करना बन्द करें जो उनकी फैशन बन गया है । यह उनका दकियानूसी विचार है । आज के युग में सब जगह, सब शासन तन्त्रों में इवन इन कम्यूनिस्ट रिजाइम में नोर्म्स (Norms) होते हैं राज्य चलाने के व जस्टिस करने के पर यहां का तो नोर्म्स यह बन गया है कि हर गलत काम करो और फिर उसको रेगुलेराइज करते जाओ । यह उनका धर्म बन गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलेगी । जिस बात की तरफ हमारे राज्यपाल महोदय ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि हमें पूर्ण शक्ति और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिये लेकिन इस बात को मैं इनके एक्शन में नहीं देखता ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सभी पर लागू होती है । मंत्रियों पर और सब पर ।

श्री जुझारसिंह : लेकिन जो सत्ता पर बैठे हैं उन पर ज्यादा लागू होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, जो सत्ता में होते हैं वह एक स्टेन्डर्ड कायम करते हैं । अगर इनका कोई स्टेन्डर्ड होगा तो दूसरों का भी स्टेन्डर्ड होगा और अगर इनका ही नहीं है तो इनकी देखा देखी दूसरों का स्टेन्डर्ड भी गिरता जायेगा । आज हिन्दुस्ताम में क्राइसिस ऑफ कोन्शश है । आज कोई भी सरकार की हिन्दुस्तानी परफोरमेन्स से खुश नहीं है। छोटे से मुल्क इजराइल या पाकिस्तान का आदमी महसूस करता है कि वह किसी बड़े कन्ट्री को रिप्रेजेन्ट करता है लेकिन आज हमारे यहां पर सब तरफ मायूसी है उपाध्यक्ष महोदय आप भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि आज सभी जगह प्रश्न है कि हम कहां जा रहे हैं। सब बड़े बड़े शहरों में झगड़े हैं, हर मामले पर झगडा है और उस पर सत्ता में बैठ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है कल क्या होने वाला है लोग इसके लिये डाउटफुल हैं । इसकी जिम्मेदारी अपोजीशन पर इतनी नहीं है जितनी इनके ऊपर है । इसलिये मैं एक कोटेशन आपको देना चाहूंगा यह भी एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने लिखा है :

"Since the Indian Republic was born in 1950, there was

(श्री जुझारसिंह)

never a greater sense of frustration, a greater crisis of confidence or a wider gulf between the best of the people than there is today."

मंत्री लोग इस चीज को मानेंगे या नहीं लेकिन यह बात सही है कि आज जितने भेद सरकार और जनता में होगये हैं, जितना डिफरेन्स है पब्लिक की फीलिंग में और सरकार की फीलिंग में है वह सत्य है जिसको चाहें ये लोग मन्जूर करें या नहीं। इनको आश्वासन देना, झूठ बोलना और फर्जी बातचीत करना चाहे अच्छा लगता हो लेकिन इससे गवर्नमेन्ट की प्रेस्टीज नहीं बनती है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेता हुआ कहना चाहता हूं कि जो मसले मैंने मेरे क्षेत्र की ओर से उठाये हैं खास तौर से कन्दराओं के एलोटमेन्ट के बारे में जिनसे हमारे एरिया का नुकसान होने वाला है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान और मंत्री महोदय का ध्यान आपकी मार्फत और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस गम्भीर मसले पर गंभीरता से विचार करें और लाइट हार्टेडली और बिना किसी सलाह लिये और बिना किसी से कन्सल्ट करे फैसला लेने में हमारे यहां का नुकसान नहीं करें यही मैं कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (जैतारण): उपाध्यक्ष महोदय, 5 बजे तक मेरा भाषण समाप्त नहीं होगा इसलिये मुझे आगे भी समय दिया जाये तो मैं बोलूं....

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू तो कीजिये। 5 बज जायें उस समय मांग कीजिये कि भाषण समाप्त नहीं हुआ है इसलिये आगे समय दिया जाये।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर मैंने संशोधन इस प्रकार का रखा है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर राजस्थान के अन्दर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण सीलिंग कानून को 26 जनवरी, 1968 से लागू करने का उल्लेख नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में मुझे ही नहीं बल्कि राजस्थान के अन्दर जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसे भी विचारक हैं, जो राजस्थान को समाजवाद की ओर ले जाना चाहते हैं और इस बात की आवश्यकता महसूस करते हैं कि जिस राजस्थान के अन्दर करीब करीब 2 लाख भूमिहीन किसान हैं, करीब 4 लाख के खेतिहर मजदूर हैं और 4 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास एक एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है ऐसे करीब 8 लाख व्यक्तियों को व्यवस्थापित किया जाये और उनकी रोजी का सवाल हल किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के अन्दर सीलिंग के कानून की जो प्रोग्रेस रही है उसके पहले अपनी भारत सरकार के आयोजना आयोग द्वारा जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की आउट लाइन जो हम को इस सदन में भी दी गयी थी उसके प्रति इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कितनी आवश्यकता है इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू करके उन पूंजीपतियों से जमीन अवाप्त करके भूमिहीन किसानों में बांटी जाये।

(श्री शंकरलाल)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आउट लाइन के 125 पेज की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । यह सीलिंग का कानून हिन्दुस्तान के अन्दर करीब करीब सभी स्टेट्स में लागू हो गया है । इसके पेज 126 पर यह कहा गया है:—

"Laws imposing ceiling on agricultural holdings have been enacted in all the States. In the former Punjab area, however, the State Government has the power to settle tenants on land in excess of the permissible limit of the land owners although it has not set a ceiling on ownership. According to available reports, over 2 million acres of surplus lands in excess of the ceiling limits have been declared or taken possession of by Government in the following States......"

इसमें यह बताया गया है कि करीब 2 मिलियन एकड़ जमीन भारत के विभिन्न प्रान्तों के अन्दर इस सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवाप्त की जाकर भूमिहीनों में बांटी गयी है और उन प्रान्तों के नाम इस प्रकार से हैं कि आसाम के अन्दर 34 हजार एकड़ जमीन भूमिहीनों में बांटी गयी, गुजरात के अन्दर 38 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी, जम्मू और कश्मीर में 50 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी, महाराष्ट्र के अन्दर 162 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी, मद्रास के अन्दर 20 हजार एकड़ बांटी गयी, पंजाब के अन्दर 368 हजार एकड़ और वैस्ट बंगाल के अन्दर 776 हजार एकड़ भूमि बांटी गयी, उत्तर प्रदेश में 222 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी । उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस बात का खेद होना चाहिये कि राजस्थान का इसके अन्दर नाम नहीं है । जो राजस्थान प्रान्त इस बात का दावा करता है कि हम समाजवाद की ओर बढ रहे हैं उस राजस्थान प्रान्त का इसके अन्दर कहीं नाम नहीं है कि सीलिंग के अन्दर एक इंच भी जमीन लेकर भूमिहीन किसान को दी गयी हो । उपाध्यक्ष महोदय, इसी आउट लाइन के अन्दर यह कहा गया है:—

"Ceiling had been evaded through the well-known device of transfers and partitions and not much land was made available for distribution to the landless."

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में क्या समाजवाद दिया गया है । सीलिंग की क्या प्रोग्रेस रही है इस ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर सबसे पहले सन् 53 के अन्दर एक कमेटी बनाई गयी थी सीलिंग के कानून को लागू करने के लिये और उसके अध्यक्ष थे जो मौजूदा मुख्य मंत्री हैं वह उस समय राजस्व मंत्री थे और वह उस कमेटी के अध्यक्ष थे । उपाध्यक्ष महोदय, उनकी रिपोर्ट 57 में प्रकाशित हुई और 58 के अन्दर एक बिल के रूप में उसको पेश किया गया और बहुत जांच पड़ताल करने के बाद में राजस्थान के अन्दर अलग अलग जिलों के अन्दर अलग अलग गांवों के अन्दर क्या स्थिति है, कितनी भूमि है और कितनी भूमि की सीमा निर्धारित की जा सकती है उसके पश्चात् वह रिपोर्ट पेश हुई । सन् 58 में जो बिल पेश हुआ

(श्री शंकरलाल)

उसके बाद में फिर प्रवर समिति के वह सुपुर्द किया गया और उस पर फिर विचार किया और आखिर के अन्दर सन् 60 के अन्दर राजस्थान टेनेन्सी संशोधन संख्या 4 विधेयक के रूप में वह विधेयक हमारी विधान सभा में पारित हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के पारित होने के बाद 12-3-60 को विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति भी प्राप्त हो गयी लेकिन स्वीकृति होने के आज आठ साल पश्चात् भी उस कानून को लागू किया जाकर भूमिहीनों को जमीन देने की प्रक्रिया का इस सरकार द्वारा पालन नहीं किया गया यह बहुत ही खेदजनक बात है। उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि इस कानून के पास होने के पश्चात् भी इसकी प्रक्रिया को क्यों नहीं चालू किया गया? इसके बारे में पहले तो यह कहा गया कि इसके नियम नहीं बने हैं। 1963 में इसके नियम भी बना दिये गये। जब 1963 में नियम भी बना दिये गये तो फिर कोई वजह नहीं थी कि इस कानून को लागू नहीं किया गया। एक बात ऐसी हुई कि कुछ लोगो ने जो लोग भूमि से चिपटे रहना चाहते हैं और जिनके पास बड़ी बड़ी भूमियां हैं और जो एक तरफ तो इस बात का दावा करते हैं कि प्रिवीपर्स को कायम रखा जाय और जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको कायम रखा जाय, उन लोगों के पास आज हजारों एकड़ जमीन हैं। उन लोगों में से कुछ व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में रिट पेश की इस कानून के खिलाफ। उस रिट का भी फैसला हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, और वह रिट आखिर में उनकी खारिज हो गई। जब रिट खारिज हो गई और कानून को राष्ट्रपति से स्वीकृति मिल गई तो कोई चीज ऐसी नहीं रही। रिट खारिज हुई 64 के अंदर। उसके पश्चात् राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी किया। वह परिपत्र संख्या 6 (9) रेवन्यू (बी) 1164, डेटेड 11-3-65। उसमें लिखा है कि रिट खारिज हो गई है और राज्य सरकार इस कानून को लागू करना चाहती है। यह समझ में नहीं आता है कि 11-3-65 के बाद भी क्या बात हुई कि जिसके कारण इसको लागू नहीं किया गया आखिर 1-4-65 को दूसरा सर्क्यूलर जारी किया गया, परिपत्र सं० 6 (9)। रेवेन्यू (बी)। 64, डेटेड 5-3-65। जिसमें यह लिखा है कि 1-4-65 वह तारीख मुकर्रर की जाती है जिसके अन्दर 6 महीने के अन्दर हरेक आदमी जिसके पास सीलिंग के ऊपर जमीन है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि इस सीलिंग कानून की धारा 30 (ई) के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है कि उस निश्चित तारीख के अन्तर्गत जिस आदमी के पास में ज्यादा भूमि है उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। वह धारा इस प्रकार है :

"Every person, who, on such date, is in possession of land in excess of the ceiling area applicable to him or who thereafter comes into possession of any land by acquisition under clause (b) of sub-section (1) shall, within six months of such date or within three months of such acquisition, as

(श्री शंकरलाल)

the case may be, make a report of such possession or acquisition to and shall surrender such excess land to the State Govt. ......"

इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, वह तारीख मुकर्रर करदी गई है जिसके 6 महीने के अन्दर-अन्दर, यानि 1-4-65 यह तारीख मुकर्रर कर दी गई कि उसके 6 महीने के अन्दर-अन्दर जिन लोगों के पास में ज्यादा जमीन है वह डिक्लेरेशन दे दें, उन जमीनों को सरेण्डर कर दें। इस कानून में यह भी प्रावधान है कि अगर डिक्लेरेशन नहीं दिया जाता है तो आगे सरकार क्या कार्यवाही करेगी धारा 60 (ई) की सब-क्लाज (3) के अन्दर निर्धारित है, और वह इस प्रकार है:

"Any person failing intentionally to make a report or to surrender land as required by sub-sec. (2) shall on conviction be punishable with fine which may extend to one thousand rupees."

उस आदमी के ऊपर जो 6 महीने के बाद सरेन्डर नहीं करता है तो एक हजार रुपया जुर्माना किया जा सकता है और उसके आगे सब-क्लाज (4) में यह लिखा है :

"Without prejudice and in addition to such conviction and the person retaining possession of any land in excess of the ceiling area applicable to him shall be deemed to be a trespasser liable to ejectment from such excess land and to pay penalty in accordance with clause (a) of sub-section (i) of sec. 183."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्तर्गत उस तारीख के बाद यानी 1-4-65 के बाद 6 महीनों के पश्चात् भी जिन लोगों ने भूमि का डिक्लेरेशन नहीं दिया, जिन्होंने भूमि सरेन्डर नहीं की व उस जमीन को रखे हुए हैं तो उनका उसके अन्दर अनधिकृत कब्जा किये हुए माना जायगा और उनको जमीन से बेदखल किया जाना चाहिए, जमीन ले लेना चाहिए, और उनका कन्विक्शन करके उनको पनिशमेंट दिया जा सकता है। यह इस प्रकार का प्रावधान है। लेकिन 1-4-65 के बाद क्या होता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि बाद के अन्दर 11-2-66 को एक विज्ञप्ति और राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाती है, और वह इसलिए भी हो सकती है कि बहुत से भूमिपति जिन्होंने अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किया और उस जमीन को अलग तरीके से ट्रान्सफर करना चाहते थे, यह क्यों किया गया यह तो सरकार ही जानती है। उसने एक परिपत्र सं० एफ 6(9) रेवेन्यू (बी) । 66, दिनांक 11-2-66 को जारी किया। उसमें कहा गया कि तारीख 1-4-66 तक वह समय और बढ़ा दिया जाता है। उनको एक साल का समय और दिया गया। जो लोग यह कहते हैं कि बहुत से लोगों ने जमीनें बेच दी हैं या इधर-उधर कर दी हैं, और जो भी ट्रान्सफर हो गये हैं उनको वैध माना जाना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सरकार ने इतना समय दिया 1-4-65 पहले

(श्री शंकरलाल)

तारीख मुकर्रर की और तारीख 11-2-66 को परिपत्र निकाल कर 1-4-66 तक उसको बढ़ाया गया, और उसके बाद भी जिन लोगों ने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो उनकी जमीन क्यों नहीं एक्वायर की जाती? उनकी जमीन अवाप्त की जानी चाहिए और अवाप्त करके भूमिहीन किसानों को क्यों नहीं बांटी जाती है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जवाब चाहूंगा कि इस परिपत्र के पश्चात् डिक्लेरेशन जिन लोगों ने नहीं दिया और उसके बाद की प्रक्रियाएं चालू क्यों न रहीं, वह समझ में नहीं आता है। यह तो वह प्रगति है जो राजस्थान सरकार ने की है जिसकी कानूनी स्थिति मैंने आपके सामने रखी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कानून के बारे में कि उसको शीघ्र लागू करने की, 26 जनवरी से लागू करने की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनाने के पश्चात् सन् 1960 में जब यह कानून बना उसके पश्चात् जिन लोगों के पास अधिक भूमि थी उन लोगों ने उस जमीन को अपनी ही फैमिली के नाम से एक घर के अन्दर अगर छोटे से छोटा बच्चा है और अगर छोटी लड़की है, बेटे की बहू है या बेटी है इन सबके नाम से भूमि अलग-अलग करने की कोशिश की, और उन्होंने पार्टिशन के नाम से, सीलिंग कानून के मकसद को खत्म करने की गरज से उन भूमियों को हस्तान्तरित कर दिया। दूसरी तरफ बहुत से लोगों ने जमीनें बेच दीं। वे जानते थे कि कानून आने वाला है इसलिये जमीनें बेच दी और कानून के मकसद को खत्म करने की कोशिश की।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सीलिंग कानून में प्रावधान यह है कि सन् 59 के 9 दिसम्बर से यह जो हमारा कानून है जिसके अन्दर सीलिंग कानून लागू करने का प्रावधान है उसके अन्दर ट्रान्सफर्स के बारे में 30 (ई) के अन्दर यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो भी हस्तान्तरण 9 दिसम्बर, 1959 के पश्चात् किये जायेंगे वे सब अवैध माने जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन का समय माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशन : कल जारी रखेंगे।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस कानून की धारा 30 (ई) के अन्दर स्पष्ट है कि पहले तो उन्होंने ट्रान्सफर्स के लिए 25 फरवरी, 1958 को माना। उसके बाद के कोई भी ट्रान्सफर्स हों तो उनको अवैध माना है, लेकिन पार्टीशन और दूसरे लैण्डलेस टेनेन्ट्स को ट्रान्सफर्स किया जाय तो उसको वैध माना है, और 9 दिसम्बर, 1959 के बाद के ट्रान्सफर्स को अवैध करार देने की घोषणा कर दी। अगर इस कानून की पालना हो तो 9 दिसम्बर, 1959 के बाद के जितने भी हस्तान्तरण हैं इस कानून के मकसद को खत्म करने की गरज से हुए हैं वे सब अवैध होने चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब इस सीलिंग कानून के सम्बन्ध में जो भ्रमणाएं फैलाई

(श्री शंकरलाल)

जा रही है उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि लोगों में इस तरह का एक प्रश्न है कि कानून पारित होने के पश्चात् यानि 9 दिसम्बर, 1959 के पश्चात् भी बहुत सी भूमियां भूमिपतियों ने अच्छी रकम लेकर लोगों को बेच दी और बहुत से ऐसे लोगों को बेच दी जिनके पास पहले भूमि नहीं थी।

यह कहा जाता है कि यदि इन सारे हस्तान्तरों को अवैध करार दिया जाय तो जिनको जमीन बेची गई है, जिनके पास जमीन आई है यदि उनसे वापिस लेकर वापिस उनको देने से क्या मकसद रहता है। हजारों केसेज हो सकते हैं जिनमें ऐसा हस्तान्तरण हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे इस कानन में बहुत छूट दी गई थी, पहले बहुत लीनियेन्सी दी गई थी उसको लोगों ने काम में नहीं लिया और बाद में हस्तान्तरण कर दिया। हमारे सामने एसे उदाहरण आते हैं कि हस्तान्तरण ऐसे लोगों को किया गया जिनके पास भूमि नहीं थी तो मुझे स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं कि जिनके पास लेण्ड नहीं थी या जिनके पास सीलिंग की लिमिट से कम थी उनके पास भूमि गई है चाहे वह हस्तान्तरण द्वारा गई ऐसी भूमि को अवैध करार नहीं दें तो मुझे एतराज नहीं। लेकिन इस प्रकार के ट्रांसफर्स किये गये हैं जहां एक ही आदमी ने अपने कुटुम्ब के लोगों को दी है या ऐसे आदमियों को बेची है जिनके पास पहले से ही जमीन थी यदि उसको अवैध करार नहीं दिया जाता है तो कानून का मकसद खत्म हो जाता है। राजस्थान विधान सभा में 8 साल पहले जिस कानन का निर्माण किया था, जिस पर इतना खर्चा किया था और उसको अमल में लाने की घोषणा की थी यदि उसको वेलिड करते हैं तो इसका मकसद खत्म होता है और सीलिंग का अर्थ नहीं रहता। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि सरकार इस पर विचार करे। इस प्रकार के जो ट्रान्सफर्स किये गये हैं उनके कुछ उदाहरण मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

बाली तहसील में लखपतियों ने सौ सौ बीघा, दो दो सौ बीघा जमीन खरीदी है और लाखों रुपयों की जमीन ली है। जो लोग खुद काश्त नहीं करते और दूसरों से काश्त करवाते हैं उनका जमीन खरीदने का क्या उद्देश्य हो सकता है - मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि वे लोग हैं जो विदेशों में बहुत सा रुपया कमाते हैं, ब्लेक मनी जिन्होंने बहुत सी इकट्ठी की है और इन्कम टेक्स से बच कर रकम इकट्ठी की है ऐसे लोगों ने यहां पर जमीनें खरीदी हैं क्योंकि वे जानते हैं कि राजस्थान में एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स नहीं देना पड़ता, कृषि आय कर से मुक्त हैं। धीरे धीरे वे बताना चाहते हैं कि उनके पास जो पूँजी है वह उन्हें कृषि उत्पादन से प्राप्त हुई है। इस प्रकार वे ब्लेक मनी को व्हाइट मनी करना चाहते हैं। बाहर चोरी से जो रकम उन्होंने बचाई है उसको यहां लगा कर इन्कम टेक्स में बचना चाहते हैं इसलिये ऐसे लोगों ने यहां पर ऊंची कीमत देकर जमीनें खरीदी हैं। और आज यह हालत है, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कह सकता हूं,

(श्री शंकरलाल)

मैं किसी व्यक्ति का नाम यहां नहीं बताना चाहता, लेकिन यह बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जिनके पास पांच पांच हजार बीघा जमीन है और दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। वे लोग खेती करना चाहते हैं, वे इस बात के लिये लालायित हैं कि खेती से उत्पादन करें, वे लोग दूसरों की जमीन पर खेती करके लाटा देते हैं लेकिन उनको खुद को अपनी जमीन पर खेती करने के लिये जमीन नहीं मिलती क्योंकि जमीन उन लोगों के पास है जिनके पास पैसा है और जो खुद काश्त करते नहीं। इसलिये मैंने और पाली जिला कांग्रेस ने जमीन मुक्ति आन्दोलन का नारा दिया है। हम उनसे जमीन मुक्त करना चाहते हैं जिनके पास ज्यादा जमीन है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ट्रांसफर्स के बारे में कह रहा था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में किया जाय कि जिसके अंतर्गत जो बोगस ट्रांसफर्स हुए हैं उनको वैध नहीं माना जाय।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सीलिंग कानून में कितनी छूट दी गई है, एक्सेप्शन के अंतर्गत बहुत सी छूट दी गई है और इस गरज से बहुत से लोगों को बचाने की कोशिश की गई है। जैसे धारा 30 (जे) में एक्सेप्शन दी है:

"groves constituting contiguous and compact areas, sugarcane farms operated by sugar factories,"

जिस जमीन पर शुगरकेन उगाया जाता है या जो शुगर फेक्ट्रीज की जमीन है उनको सीलिंग से मुक्त रखा जाय, जो एफिशियेन्ट मिकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनको सीलिंग से मुक्त किया गया है। जो कोओपरेटिव फार्म्स एफिशियेन्टली चल रहे हैं उनको मुक्त रखा गया है। जो सबसिडाइज्ड फार्म्स हैं उनको मुक्त रखा गया है:

"efficiently managed specialised farms registered in the prescribed manner for cattle breeding, horse breeding, sheep breeding, wool raising and dairying and other efficiently managed farms which consist of compact blocks and whose break up is likely to lead to fall in produotion."

उनको एग्जेम्प्ट रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ताज्जुब हुआ जब पाली जिले के गांवों में गया तो मालूम हुआ कि कई जगह केटल ब्रीडिंग, होर्स ब्रीडिंग और शीप ब्रीडिंग फार्म्स खोल रखे हैं। यह सब सीलिंग से बचने के लिये किये गये हैं क्योंकि इसमें प्रावधान है:

"Provided also that nothing in clause (b) of this sub-section shall apply to any land comprised in such sugarcane farm, if no sugarcane has been grown in it continuously for five years immediately preceding the commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 1960."

शुगर केन के लिये तो ऐसा प्रावधान है

(श्री शंकरलाल)

कि यदि 5 साल तक भी नहीं उगाया तो भी सीलिंग उस पर लागू नहीं होगा। किसी ने सन् 1959 के बाद यदि फार्म्स कायम किये हैं:

"Nothing in this sub-section shall apply to any land comprised in any such farm or grove which may have been acquired in any way on or after the 1st day of May, 1959."

उन्होंने तो कोशिश बहुत की है कैटल ब्रीडिंग फार्म कायम करके, होर्स ब्रीडिंग फार्म्स कायम करके, कोओपरेटिव सोसाइटीज बनाकर के कि वे किसी तरह कानून से निकल जायें। यदि कानून को इसी प्रकार लागू किया जाता है तो जिन लोगों ने जमीन दबा रखी है उनसे जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को बांटना संभव नहीं होगा। मैं यह और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय के भाषण में सीलिंग का उल्लेख होगा लेकिन उसमें कुछ भी उल्लेख नहीं है। आज पाली जिले में कांग्रेस ने नारा लगाया तो जगह जगह मंत्रियों, उप-मंत्रियों और विधायकों ने उसका समर्थन किया। सब लोग मानते हैं कि इसको लागू करना चाहिए लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने कुछ भी घोषणा नहीं की। उसका उल्टा अमल मालूम पड़ा है। राज्यपाल महोदय ने भाषण में जैसा कहा था कि 100-100 एकड़ जमीन दी जायगी, पांच-पांच साल लगान नहीं लिया जायगा, क्या यह सब भूमिहीन किसान ले सकते हैं ? नहीं ले सकते। एक तरफ आप चाहते हैं कि सीलिंग कानून लाया जाय और दूसरी तरफ सौ सौ एकड़ जमीन ऐसे आदमियों को दी जाती है जिनके पास पहले से ही अधिक है और सुधार के नाम पर और लेना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सुधार करना चाहते हैं तो जमीन भूमिहीन किसानों को दीजिये। जिनकी समस्या को हल करना चाहते हैं भूमि उनको दीजिये। एक तरफ आप सीलिंग की आवाज उठाना चाहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे आदमियों को देते हैं जिनसे सीलिंग का मकसद खत्म होता है....

श्री दौलतराम सारण : दूसरी ओर गरीबों से जबरदस्ती लगान लेना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : केवल भूमिहीनों को जमीन दी जाय और दूसरों को नहीं दी जाय, मैं भूमिहीन किसान की परिभाषा के बारे में सदन में निवेदन करना चाहता हूं, भूमिहीन किसान की परिभाषा एक्ट में दी गई है वह बिल्कुल ठीक है। सेक्शन 5 (26 ए) में भूमिहीन की परिभाषा दी हुई है :

"'Landless person' shall mean an agriculturist by profession who cultivates or can reasonably be expected to cultivate land personally but who does not hold, whether in his own name or in the name of any member of his joint family, or holds a fragment;"

उपाध्यक्ष महोदय, भूमिहीन किसान इस परिभाषा में वह आदमी है जो काश्त

(श्री शंकरलाल)

करता है या जो खुद पर्सनल कल्टिवेशन कराने की उम्मीद रखता है और जिसके पास खुद के या कुटुम्ब के नाम पर जमीन है। फ्रैग्रमेंट से मतलब है जो सीलिंग से कम जमीन हो तो लैंडलेस की परिभाषा यह मानी जाती है और वह परिभाषा लैंडलेस की नहीं है जो लेण्ड एलाटमेंट में की गई है। उस परिभाषा के अनुसार हरएक आदमी भूमिहीन किसान हो सकता है। आज चार चार, पांच पांच दुकान वाला आदमी भी कहता है कि मेरे पास भूमि नहीं है, मैं भी लैंडलेस हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वह लैंडलेस नहीं है। अगर आपको भूमिहीन किसानों की इस परिभाषा को समझ कर वास्तव में उनको राहत पहुंचानी है तो इस एक्ट में भूमिहीन किसानों की परिभाषा बनी हुई है और जिसको विधान सभा में पारित किया हुआ है, उसके अनुसार उन भूमिहीन किसानों को जमीन आपको देनी पड़ेगी जिसके पास जमीन नहीं है और जो जमीन पर परिश्रम करके उस पर उत्पादन बढ़ा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें यह कहा गया है कि भूमि के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये सीलिंग के कानून की बहुत जरूरत है और जिस प्रकार यहां ट्रांसफर की बात कही गई, वह बहुत से लोग कहते हैं कि हर एक तरह के ट्रांसफर को इस प्रकार से बन्द कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर भारत सरकार के योजना आयोग का सुझाव है सीलिंग के संबंध में वह मैं सदन के सामने और आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

इसमें लिखा गया है—

"The programme of ceilings set out in the Plan has been diluted in implementation. There were deficiencies in the law and delays in its enactment and implementation resulting in large scale evasions. Several States had made provisions for disregarding transfers made after a specified date, but often these provisions proved to be ineffective and not much surplus land has been available for redistribution. The main object of ceilings which is to redistribute land to the landless at a reasonable price on a planned basis has thus been largely defeated. In the absence of any reliable data, it would also be difficult to say that as a result of transfers much land has passed into the hands of agricultural labourers or small farmers."

मैं इसके उपर, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:

"However, as stated in the Third Plan, once legislation has been enacted, amendments should aim primarily at eliminating deficiencies and fecilitating implementation rather than at introducing fundamental changes in the principles underlying the legislation...."

(श्री शंकरलाल)

अगर कानून के अंदर कोई संशोधन लाना है तो इस प्रकार का संशोधन नहीं लाया जाय जिससे कि उसका मकसद है वह खत्म हो जाय बल्कि जो कानून बना है उस मकसद को पूरा करने के लिये संशोधन लाया जा सकता है। इसलिये सरकार के दिमाग में कोई ऐसी बात हो कि हर प्रकार के हस्तानान्तरण को वैध कर दें, तो वह गलत होगी जैसा कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर योजना आयोग ने कहा है :

"As transfers take place generally between the members of a family, the States might consider the suggestion earlier made by the panel on Land Reform (and this has already been provided in some laws) namely, to apply ceilings to the aggregate area held by all the members of a family rather than to individual holdings the family being defined to include husband and wife, their dependent children and grand children."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्दर योजना आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि हमें भूमि सुधार के अन्दर इस सीलिंग के कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिए। जैसा मैंने बताया तमाम स्टेटों के अन्दर, हिन्दुस्तान के अन्दर यह सीलिंग कानून लागू कर दिया है लेकिन अपने यहां इसका इम्पलीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण: अपन भूमि सुधार में सबसे आगे हैं।

श्री शंकरलाल: इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है और मेरा यह सुझाव है कि राजस्थान में इसका इम्पलीमेंटेशन करने के लिये सरकार के द्वारा कार्यवाही हो जाय, तो पहले जो परिपत्र जारी किया गया इसके अन्तर्गत जिन्होंने जमीन का डिक्लेरेशन नहीं किया है उसे 26 जनवरी के पहले उसका एक्वीजीशन करने का आर्डर जारी हो गया, उसको उनसे लेकर उस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे लोगों की जमीन, जिन्होंने दूसरे लोगों से जमीन ली है, उसको वध करार कर दी जाय और जिन्होंने भूमिहीनों से पैसा लेकर भूमि दी है, यह ठीक है कि ऐसी जमीन के सम्बन्ध में पैसा लेने का प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन वह पैसा सरकार में आता है नहीं। वैसे भी विधान सभा से कानून पारित होने के बाद भूमि का पसा लेने का अधिकार नहीं था लेकिन क्योंकि उन्होंने अनधिकृत रूप से पैसा ले लिया है, इसलिये इस पैसे को वापिस किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग कानून के सम्बन्ध में एक बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में देखने को मिली और वह यह है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन को सीलिंग से मुस्तसना करने के लिये, मुक्त करने के लिये एक्ट लाया जा रहा है उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता कि इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या है?

(श्री शंकर लाल)

आज की मंदिर की जमीन है, मस्जिद की जमीन है, गुरुद्वारों की जमीन है, उसको सीलिंग से मुस्तसना करना चाहें तो उसमें कानूनन आपत्ति नहीं है। फिर संशोधन लाने की जरूरत क्या है–इस एक्ट म। आपके इसी एक्ट में प्रावधान किया हुआ है, उसके अन्तर्गत आपने कई मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन को मुस्तसना किया हुआ है। मैं सरकार का ध्यान सीलिंग के अन्तर्गत इस प्रावधान की ओर आकर्षित करना चाहूंगा और इस ओर भी ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि किन किन मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को एक्जेम्प्ट किया गया है बिना कानून लाये, अतः अब कानून बनाने की जरूरत क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के सेक्शन 3) (जे०) का सब सेक्शन (2) है:

"The State Government may by notification in Official Gazette, exempt from the operation of sec. 30E any person, land or holding or class of persons, lands or holdings, if it considers, such exemption to be necessary in view of the integrated or specialised character of operations or where industrial and agricultural operations are undertaken as a composite enterprise or on other reasonable grounds."

तो इस धारा 30 (जे०) के सब-क्लाज 2 के अन्दर राज्य सरकार को अधिकार दिये हुये हैं कि किस किस प्रकार की जमीन को ऐक्जेम्प्ट कर सकती है। और, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर गवर्नमेंट ने एक्जेम्पशन किये हैं और जो एक्जेम्पशन किये हैं वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू (बी०) डिपार्टमेन्ट का नोटीफिकेशन जनवरी 8, 1964 का है:

"In exercise of the powers conferred by Sec. 257 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the State Govt. hereby makes the following amendments in the Rajasthan Tenancy Rules, 63, dated........"

यह तो उन्होंने रूल्स में किया है कि जो डिक्लेरेशन का पीरियड है यह इन्डियन सोल्जर्स के लिये लागू नहीं होगा। यह रूल्स में प्रावधान है–

"Provided that in the case of an Indian soldier serving under special conditions within the meaning of sec.3 of the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925 who is the sole tenant of the land, the declaration may be filed within ninety days from the termination of service under such special conditions."

तो इन्डियन सोल्जर्स के लिये रखा है। डिक्लेरेशन के लिये यदि कोई तारीख फिक्स की है मान लीजिये 8 जनवरी तो उसको 6 महीने में डिक्लेरेशन देना है तो यदि कोई इन्डियन सोल्जर है, मिलिट्री सर्विस में है और वह डिक्लेरेशन नहीं दे सकता तो...

श्री उपाध्यक्ष: ओरिजिनल पाइन्ट पर कहिये न।

श्री शंकर लाल: उसी पर कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह भूल से कह दिया।

श्री शंकर लाल : भूल से नहीं। यह रूल्स का है क्योंकि अभिभाषण में कहा था कि मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन को एक्जेम्पशन देने के लिए कानून लाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, जो एक्जेम्पशन इन्होंने किये हैं वह मैं आपको बताना चाहता हूँ 'In exercise of the powers conferred by sub-sec.2 of sec. 30 J..जो मैंने आपके सामने कहा "of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, the State Govt.hereby exempts the following classes of lands from the operation of sec. 38 E of the said Act, for the reasons mentioned against each namely—

Lands held by any University or other educational institution in Rajasthan"

यह इन्होंने एक्जेम्पशन किये हैं। इसके अन्दर कोई कानूनी संशोधन नहीं लाया गया, वह इस नोटिफिकेशन से किया है, नोटिफिकेशन जनवरी 8, 1964 में उन्होंने रीजन दिया है " To further the case of education in agriculture and promote agricultural research. "

इसी तरह से आगे उन्होंने कहा है "Lands granted to and held by members of the armed forces of ths Union of India for gallantry"

उसको भी मुस्तसना किया है Lands held by the Rajasthan Co-op. Central Mortgage Bank established and registered or deemed to be registered as such under the Rajasthan Coop. Societies Act, 1953 or a Cooperative Land Mortgage Bank so registered or deemed to be registered and admitted as a member of the Rajasthan Cooperative Central mortgage Bank"

इसी तरह से उन्होंने राजस्थान की मोर्टगेज बैंक और राजस्थान सेन्ट्रल कोपरेटिव मोर्टगेज बैंक को इस कानून से मुस्तसना किया है "Gramdan and Bhoodan lands held by the Rajasthan Bhoodan Yagna Board.'

राजस्थान में भूदान–इनको तो एक्जेम्पशन दिया वह नोटिफिकेशन से दिया और यह नोटिफिकेशन से दिया जा सकता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जैसा है कि सीलिंग के कानून से एक्जेम्प्ट करने के लिए कानून लाया जा रहा है– इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन को सरकार मुस्तसना करना चाहती है, वह इसमें कहा है लेकिन इस बात को ध्यान में रख कर मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की जमीन ह, वह लोगों ने खुद के नाम पर करा रखी है, और व्यक्तिगत रूप से ओनर्स बन गये हैं और ओनर्स बनने के बाद जमीन को बेच दिया है और जो जमीन बेची गई है, उसके लिए निवेदन है कि सरकार मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारों का भला चाहती है और उनके प्रति आदर रखतीहै तो जमीन के बेचान को रोका जाय क्योंकि उससे ऐसी स्थिति आयेगी कि जो मन्दिर के मठाधीश हैं, महन्त हैं और सेवा-पूजा का काम करने

(श्री शंकरलाल)

वाले हैं वह सारी जमीन को बेच दें और हो सकता है कि कोई जमीन मन्दिर में नहीं मिले ।

कई जमीनें बेच दी हैं, उनको रोकने के लिये सरकार कोई कानून नहीं बनाती । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को इस प्रकार का कानून बनाना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों की जमीनें पुजारियों द्वारा नहीं बेची जायेंगी और वे जमीनें केवल मन्दिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के ही काम में आयेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि 8 लाख खेतीहर मजदूर हैं उनको आज बसाने की आवश्यकता है । समाजवाद लाना जरूरी है, चाहे इधर बैठने वाले हो या उधर बैठने वाले हों, सब इस सिद्धान्त को मान चुके हैं, सबका यह मकसद हैं, विधान सभा में इस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिये कानून पास हो चुका है, ऐसी दशा में सीलिंग लागू नहीं करना भूमिहीन किसानों के प्रति अन्याय होगा और इससे समाजवाद की ओर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटना माना जायगा । इसलिये पाली जिला कांग्रेस कमेटी ने और हमने आन्दोलन करने की व्यवस्था की है । यदि 26 तारीख से पहले इस घोषणा को नहीं किया जाता है तो इसके लिये आन्दोलन होगा और मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो मुख्य मंत्री जी के कक्ष के बाहर धरना दूंगा ।

मैं यही निवेदन करना चाहता था ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 5.21 पर बुधवार, दिनांक 24-1-68 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर देखियें)

सूची

क्रम सं०	नाम बेकरी	तारीख जब से कार्य कर रही हैं।	माह	दी गई चीनी की मात्रा	दी गई मेदा की मात्रा
1	राजस्थान बेकरी को	अक्टूबर, 67	8-67	1 क्विन्टल	3 क्विन्टल
			9-67	50 किलो	2 „
			10-67	50 „	..
2	शोभा बेकरी	अगस्त,-सितम्बर, 1967	9-67	20 किलो	1 क्विन्टल
			10-67	50 „	..
			11-67	..	2 क्विन्टल 61 किलो
			12-67	10 क्विन्टल	1 क्विन्टल
3	अग्रवाल बेकरी	अगस्त, 67	9-67	20 किलो	1 क्विन्टल
			10-67	50 किलो	..
			11-67	..	3 क्विन्टल
			12-67	10 किलो	3 क्विन्टल
4	भारत बिस्कुट फैक्ट्री	नवम्बर, 67	11-67	..	5 क्विन्टल

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 74 का उत्तर देखियें)

बकाया राजस्व की तालिका का मानचित्र

क्रम सं०	विभाग का नाम	बकाया रकम	बकाया दिनांक	
1	भू-राजस्व	1034.72 लाख	31-3-67	
2	सिंचाई	56.62 लाख	30-9-66	
3	वन	25.87 लाख	31-3-67	
4	जन स्वास्थ्य	493.80 लाख	31-3-67	दिनांक 31-3-66 तक की म्युनिसिपल कमेटी / बोर्ड की जल प्रदाय की बकाया राशि इसमें से अपलेखन की गई है।
5	यातायात	33.99 लाख	31-3-67	
6	खान एवं भूगर्भ	92.03 लाख	31-3-67	
7	उद्योग तथा प्रदाय	10.25 लाख	31-3-67	
8	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन तथा पथ)	48.22 लाख	31-3-67	
9	आबकारी	68.93 लाख	31-3-67	
10	वाणिज्यिक कर	292.87 लाख	31-3-67	

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 75 का उत्तर देखिये)

काश्तकारी कूपों की सूची निम्न प्रकार है

फिलग सिरोज	वन खण्ड	कम्पा० नं०	वन क्षेत्र	पंचायत क्षेत्र जिन्हें इस जंगल से लकड़ी लाने की सुविधा है ।
1 हरीगढ़	हरीगढ़	2	234 एकड़	हरीगढ़, मंडला, लायफल, पेखराना, पनवाड़ा, आकोदिया, दहीखेड़ा
2 महुआ खेड़ा	महुआ खेड़ा	1	163 एकड़	तारज, करनवास, भालनवासा सारोला, बरेडा, वक्तावद सोजपुर, पिपलौंज खानपुर, खूमर, कवरपुरा, जोलपा, डोबडा, खेडी ।
3 धानोदा	धानोदा	2	278 एकड़	धानोदा, वोरदा, बाघर भोलाना, भाढरवड़ा नूरनी, भरायता, जरगा भगवानपुरा ।

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

पटवारियों का वेतन श्रृंखलाओं में फिक्सेशन

77. **श्री दौलत राम आगरी** (देसूरी सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मंहगाई को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने समय समय पर पटवारियान की वेतन श्रृंखलाओं में संशोधन किये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने यू०पी०एस० 1956, आर०पी०एस० 1961 व आर०पी० एस० 1965 में पटवारियान का उक्त वेतन श्रृंखलाओं में फिक्सेशन किया है ?

(3) कितने पटवारियान का उक्त वेतन श्रृंखलाओं में फिक्सेशन नहीं हुआ तथा अब तक फिक्सेशन न होने का कारण क्या है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) राज्य सरकार ने अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन का समय पर फिक्सेशन न करने के कारण दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर :

1. जी हां ।

2. जी हां ।

3. 309 पटवारियों का फिक्सेशन नहीं हुआ है । इनका सेवा अभिलेख अपूर्ण है जो शीघ्र तैयार करवाया जा रहा है । जिलेवार पेन्डिंग केसेज की सूची संलग्न है ।

4. इस विषय में किसी खास व्यक्ति का दोष नहीं है । एक व्यक्ति का बहुत सी तहसीलों में स्थानान्तर हो जाता है और हर तहसील से रेकार्ड तैयार करवाना पड़ता है, इसलिये इस मामले में देर हुई है ।

जिलेवार सूची पटवारियान जिनका वेतन स्थिरीकरण होना शेष है:

जिला	योग
1. अजमेर	23
2. अलवर	32
3. बांसवाड़ा	1
4. बाडमेर	3
5. भरतपुर	31
6. भीलवाडा	9
7. बीकानेर	निल
8. बूंदी	27
9. चित्तौड़गढ़	7
10. चूरू	12
11. डूंगरपुर	निल
12. गंगानगर	14
13. जयपुर	35
14. जैसलमेर	1
15. जालोर	2
16. झालावाड़	3
17. झुंझनूं	निल
18. जोधपुर	10
19. कोटा	6
20. नागौर	5
21. पाली	17
22. स॰माधोपुर	14
23. सीकर	28
24. सिरोही	10
25. टोंक	7
26. उदयपुर	12
योग	309

पंचायत समिति मकराना के ग्रामों में अकाल राहत कार्य

78. **श्री विजय सिंह** (मकराना): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मकराना, जिला नागोर के गांव बरवाली, बरवाला, भरनाई, मनाना, हुडिया, मनानी, दाबडिया गत ग्राम चुनाव के पहले तो अकाल में घोषित किये गये थे,

(श्री विजयसिंह)

परन्तु बाद में इनमें से बरवाली, बरवाला व मनाना को हटाया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि अकाल राहत के लिए बरवाली व बरवाला के लिए 20 दिसम्बर, 1966 को जिले की अकाल राहत कमेटी में जो सड़क मन्जूर की गई, वह चालू नहीं हुई ?

उत्तर :

1 जी नहीं ।

2 जी नहीं ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों से भूमि की खरीद के मामले- तहसील प्रतापगढ

79. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़ सु.): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति की जमीन अन्य जाति के लोग नहीं खरीद सकते यदि हां, तो यह नियम कबसे बना ?

(2) सब डिविजन प्रतापगढ, तहसील प्रतापगढ में यह नियम बनने के बाद कितनी जमीन अनुसूचित जाति एवं जन-जाति की अन्य जातियों के लोगों ने खरीदी ? तथा ऐसी कितनी रजिस्ट्रियां होकर खाते रद्दोबदल हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर :

1. जी हां, दिनांक 22-9-56 से ।

2. सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ् प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

जिला नागौर में लिफ्ट इरिंगेशन का सर्वे

80. **श्री भैरोंसिंह शेखावत**(किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्थान केनाल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल से नागौर जिले में लिफ्ट इरिगेशन की कार्यवाही चालू करने के लिये सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो इस सर्वे पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(2) सर्वे की कार्यवाही कब प्रारम्भ हुई तथा किसके आदेश से ?

(3) क्या यह सही है कि सर्वे कराने से पूर्व सेन्ट्रल पावर एण्ड वाटर कमिशन व राजस्थान केनाल बोर्ड से कोई अनुमति नहीं ली गई ? यदि हां, तो बिना अनुमति के यह कार्यवाही क्यों की गई ?

(4) यदि केनाल बोर्ड से इसकी अनुमति दी गई तो बोर्ड की किस बैठक में यह निर्णय लिया गया ?

(5) क्या यह सही है कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इस लिफ्ट इरिगेशन से काफी घाटा होने का अनुमान है? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में सरकार किस निर्णय पर पहुंची है ?

उत्तर :

(1) सर्वे बीकानेर व नागौर जिलों में लिफ्ट इरिगेशन के लिये कराई गयी । इस सर्वे पर 1, 32, 380 रुपये व्यय हुए ।

(2) सर्वे का काम राज्य सरकार के आदेश से मई, 1965 में शुरू हुआ ।

(3) इस सर्वे कराने के लिय सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन या राजस्थान...

(श्री केनाल मंत्री)

केनाल बोर्ड से मंजूरी नहीं ली गई, और न ही ऐसी मंजूरी की आवश्यकता थी ।

(4) सरकार ने अन्तिम निर्णय अभी इस विषय पर नहीं लिया है कि लिफ्ट चेनल कहां तक बनाई जाय व उस पर सिंचाई की क्या दर लगाई जाय ।

(5) घाटे का अनुमान इन निर्णयों के पश्चात् ही ज्ञात हो सकेगा ।

पंचायतों द्वारा आबादी भूमि छुड़ाने के मामले-जिला चूरू

81. **श्री रावतराम** (छापर सु०): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) चूरू जिले के कलेक्टर के कार्यालय में विभिन्न पंचायतों द्वारा प्रस्तावित आबादी भूमि छुड़ाने की कितनी मिसलें विचाराधीन एवं पेंडिंग पडी हैं ? पंचायत वाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) पंचायतों ने आबादी भूमि छुड़ाने के प्रस्ताव कब कब पास किये और सम्बन्धित मिसलें कब से विचाराधीन पडी हैं ? पूरी तफसील दें कि प्रत्येक मिसल को कितना कितना अर्सा हो गया और आज तक उन पर कोई डिसीजन क्यों नहीं हो सका ?

(3) क्या सरकार इस बात को महसूस नहीं करती कि पंचायतों की आबादी सम्बन्धी मिसलों पर रेवेन्यू अधिकारी पूरी तरह गौर नहीं करते हैं और इस वजह से इनमें अनावश्यक विलम्ब होता है ? यदि हां, तो भविष्य में सरकार तत्सम्बन्धी मिसलों को निबटाने के लिए क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) तहसील सरदारशहर के ग्राम सुवाई छोटी के लिए आबादि भूमि छुड़ाने हेतु सम्बन्धित पंचायत ने कब प्रस्ताव भेजे और आज तक इस मिसल पर क्या कार्यवाही हुई और भविष्य में उक्त गांव के लिए आबादी भूमि कब तक छूट जायेगी ?

(सरकार द्वारा प्रश्न को स्थगित किये जाने हेतु प्रार्थना की गई)

ग्राम माल बमोरी के तलाबों की जमीन का बेचान

82. **श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां)**: क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील मांगरोल के ग्राम माल-बमोरी के बड़े तालाब व छोटे तालाब में कुल कितनी बीघा जमीन है और तालाबों की जमीन किस व्यक्ति को कितने रुपये में किस तारीख को बेची गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन तालाबों की जमीन की निलामी पहिले भी हुई है ? यदि हां तो किस किस तारीख को किस किस व्यक्ति से अन्तिम बोली कितने रुपये की लगाई गई ?

(3) क्या यह सही है कि पहिले वाली निलामी में बोली लगाने वालों से चौथान रुपया जमा करा लिया गया था ? यदि हां, तो किन किन तारीखों में कितना कितना रुपया जमा हुआ ?

(4) क्या यह सही है कि अन्तिम बार निलामी करने की सूचना पहिले वाले व्यक्तियों को नहीं दी गई ?

(श्री उपनिवेशन मंत्री)

उत्तर

(1) ग्राम माल बमोरी तहसील मांगरोल में खसरा नं० 313 रकबा 23¾/1 व खसरा नं० 418 रकबा 41¼ तालाबों की जमीनें हैं इन दोनों तालाबों की कुल जमीन 65/1 हैं।

(2) इन तालाबों की 65/1 जमीन की श्री गोपीलाल, पुत्र राधाकृष्ण, श्री जवाहर, पुत्र रामप्रसाद और श्री देवचन्द, पुत्र जगन्नाथ की 36,000 की अंतिम बोली दिनांक 22-8-66 को थी। इस अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्तियों के नाम भूमि नीलामी की स्वीकृति उप-खंड अधिकारी, बारां द्वारा 30-3-67 को प्रदान की गई थी और अंतिम बोली लगाने वालों को दखल दिया गया। और विक्रय प्रमाण पत्र किश्त सं० 100.77 जारी किया गया है।

(3) इस जमीन की नीलामी पहिले भी हुई हैं विवरण निम्न प्रकार हैं:-

क्र० सं०	नीलामी की तारीख	अंतिम बोली लगाने वालों के नाम	कीमत
1	3 व 4-11-65	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री हरिश्चन्द्र	24,000
2	8-7-66	बच्छराज नाबालिग की ओर से उसके पिता नाथूलाल ने बोली लगाई।	34,000
3	22-8-66	गोपीलाल वल्द राधाकृष्ण, जवाहर पुत्र रामप्रसाद और देवचन्द्र पुत्र जगन्नाथ, इन तीनों व्यक्तियों के नाम भूमि नीलाम हुई।	36,000

यह सही है कि पहिले नीलामी में बोली लगाने वालों से चौथान का रुपया जमा करवा लिया गया था। विवरण निम्न प्रकार हैं:-

	तारीख	जमा रकम चौथान
प्रथम नीलाम	4-11-65	3,900
	8-11-65	2,100
	कुल:-	6,000
द्वितीय नीलाम	22-7-66	8,500
तृतीय नीलाम	10-8-66	5,000
	28-3-67	4,000
	कुल:	9,000

दिनांक 22-8-66 की फर्द नीलाम पर अंकित नोट के अनुसार जलसे ग्राम में आराजी मुन्दर्जा बाला की नीलाम बाली पुकरवाई गई। श्री बच्छराज का पिता श्री नाथूलाल मौजूद हैं तथा श्री गोपीलाल मौजूद हैं व गांव के श्री भेरूलाल, रामनारायण मीना, मथुरालाल, वगैरह हाजिर थे। किसी ने बोली नहीं बढ़ाई। दिनांक 3-9-66 की पेश हो। नाथूलाल से हस्ताक्षर करने को कहा तो इन्कार हुआ तथा इस फर्द नीलाम के उक्त नोट पर श्री अजीतसिंह, नायब तहसीलदार के दस्तखत हो रहे हैं।

लेखाकार की नियुक्ति के लिए योग्यात्मक परीक्षा

83. **श्री रामसिंह कुडी (जायल)**: क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि अधीनस्थ लेखा नियमों के अन्तर्गत लेखा कार की

(श्री रामसिंह कुडी)

नियुक्ति के लिये दो तरह की परीक्षाएं (योग्यात्मक व प्रतियोग्यात्मक) लेने का प्रावधान है जबकि राजस्थान प्रशासकीय सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान जुडिशियल सेवा आदि कई प्रकार की सेवाओं में नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा एवं सीधी भर्ती दोनों का प्रावधान है ? यदि हां, तो केवल लेखाकार की नियुक्ति के लिये ही योग्यात्मक परीक्षा क्यों रखी गई है ?

(2) क्या यह असमानता दूर की जाने के लिये सरकार विचार कर सकती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान प्रशासकीय व पुलिस सेवा के समकक्ष लेखा सम्बन्धी राजस्थान लेखा सेवा है। इसमें भी दूसरी सेवाओं के समान सीधी भर्ती व सहायक लेखा अधिकारी के पद से पदोन्नति का प्रावधान है।

लेखाकार राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के अन्तर्गत आते हैं। इस सेवा में लेखाकार व सहायक लेखाधिकारी ही आते हैं। सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति पूर्णतया लेखाकार के पद से ही की जाती है। लेखाकार के पद पर नियुक्ति के लिये दो प्रकार की परीक्षायें (1) योग्यात्मक एवं (2) प्रतियोग्यात्मक लेने का प्रावधान है। योग्यात्मक परीक्षा में लेखा लिपिक जिनको कम से कम तीन साल का अनुभव हो, बैठ सकते हैं व उनके लिये लेखा सम्बन्धी प्रश्न पत्र ही रखे जाते हैं।

लेखा लिपिक प्रत्येक विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा (Ministerial Service) पर हैं और उनकी वरिष्ठता सूची विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय स्तर पर ही रखी जाती है। इनकी समस्त राजस्थान के स्तर पर ही रखी जाती है। इनकी समस्त राजस्थान के स्तर की कोई सेवा नहीं है इसलिये उनकी लेखाकारों की सेवा में पदोन्नति देने के लिये परीक्षा लेना अनिवार्य है। परीक्षा लेने से उनकी योग्यता का भी आभास हो जाता है।

(2) इस सम्बन्ध में उपरोक्त पैरा में स्पष्ट किया जा चुका है अतः सम्भव नहीं है।

ग्राम रिड़का में भेड़ों व गायों के फार्मों के लिए ऋण

84. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रिड्का, तहसील सांचोर, जिला जालोर में भेडों व गायों के फार्मों के लिए राज्य से कोई ऋण दिया गया था? अगर हां, तो कब व किस किस को?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उस रकम का दुरुपयोग किया गया? अगर हां, तो उस रकम की वसूली की अब तक क्या कार्यवाही की गई है? अगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण थे? अब उस रकम की वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(३) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम सरणऊ, पंचायत, समिति सांचोर में भी सामती नामक रेबारी को गाय फार्म के लिये ऐसी रकम दी गई थी? क्या यह भी सत्य है कि उस रकम का भी दुरुपयोग किया गया? अगर हां, तो उस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं? अगर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो अब कब तक करदी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। सर्व श्री मोहम्मद हुसेन सिन्धी व अहमद सिन्धी को क्रमशः मार्च 1959 व जनवरी, 63 में 3000) रु० व 1000)रु० का ऋण गाय फार्म व भेड़ फार्म के लिए दिया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। यह सही नहीं है कि ऋण का दुरुपयोग किया गया हैं।

सिवाय चक भूमि पर कब्जों का रेगुलराइजेशन

८5. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सत्य हैं कि राज्य सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि दिसम्बर, 1966 तक यदि कोई भी काश्तकार सिवाय चक भूमि पर काबिज हैं तो उस कब्जे को रेगुलराइज कर दिया जाय? यदि हां, तो यह कब जारी किया गया?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त निर्णय में यह भी है कि उस काश्तकार से 15 गुना पेनल्टी और 20 गुना प्रीमियम लगान की दर से वसूल किया जावे?

(3) इस निर्णय से अब तक कितने काश्तकारों के कब्जों को रेगुलराइज कर दिया गया हैं? कृपया जिला एवं तहसील-वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूमि हीन काश्तकारों द्वारा सिवाय चक भूमि पर किये गये कब्जों के नियमन संबंधी आज्ञा दिनांक 5-10-67 को जारी की गई हैं जिसकी प्रति संलग्न हैं।

(2) जी हां।

(3) इस बारे में सूचना समस्त जिलाधीशों से एकत्र की जा रही हैं जिसमें कुछ समय लगेगा अतः सूचना एकत्र होते ही यथासम्भव प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परबतसर पंचायत द्वारा ऋण व तकावी

86. **श्री परसराम गंगराम** (परबतसर सु०): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1965-66 में परबतसर पंचायत द्वारा कितना ऋण व कितनी तकावी किस-किस कार्य के लिये दी गई थी?

(2) जनवरी, 1966 से मार्च, 1966 तक किस किस को तकावी दी गई है?

(श्री परसराम गंगाराम)

(3) 1966 में समाज कल्याण विभाग द्वारा मिली सबसिडी कितनी कितनी किस किस को दी गई?

(4) क्या जिन जिनको उपरोक्त रकमें दी गई हैं उन्हें सही कार्यों में व्यय कर दिया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) दी गई रकम सही कार्य पर ही खर्च की गई है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

पंचायत समिति नोहर, में सामान की खरीद

87. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति नोहर के विकास अधिकारी ने सन् 1966-67 में कुल कितने रुपये का सामान किन किन फर्मों से खरीदा? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जो सामान उपरोक्त वर्ष में खरीदा गया है उसको टेण्डर मांग कर खरीदा या कोई अन्य रीति से? यदि टेण्डर मांगे गये तो किन किन फर्मों ने किस किस सामान के लिये कितनी किमत दी थी और जिनके नाम टेण्डर मन्जूर किया गया, उनकी दरें क्या थीं?

(3) जो सामान खरीदा गया है उसकी पंचायत समिति को आवश्यकता थी या नहीं, इस बात की जांच के लिये क्या प्रणाली अपनाई गई? और कौन कौन सा सामान कितनी कितनी मात्रा में किस किस कार्य के लिये खरीदा गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सामान खरीदने के घोटाले के संबंध में जिलाधीश व राज्य सरकार को पंचायत समिति के प्रधान ने समय पर सूचना दी थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(5) क्या यह सही है कि इस विषय को लेकर पंचायत समिति का स्पेशल ऑडिट हुआ था और विकास अधिकारी के खिलाफ कुछ वसूलियां निकाली गईं थीं? यदि हां, तो क्या वे वसूलियां करली गई हैं?

(6) क्या यह सही है कि जिन फर्मों से सामान खरीदा गया था उनको पूरा पेमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों नहीं और कितना कितना बकाया है?

(7) क्या यह सही है कि विकास अधिकारी बिना उच्च अधिकारियों की आज्ञा से 500 रु० से ज्यादा सामान नहीं खरीद सकता? यदि हां, तो इसमें किस अधिकारी से कब आज्ञा ली गई?

(श्री रामचन्द्र आर्य)

(8) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि इस सामान की खरीद के मामले में भारी अनियमितता बर्ती गई है? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) टेण्डर। कोटेशन्स प्राप्त कर क्रय किया गया है। प्राप्त टेण्डर्स के संबंधित उपलब्ध सूचना सूची (ब) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सामान आवश्यकता के अनुसार ही खरीदा गया अथवा नहीं इसकी जांच जिलाधीश कर रहे हैं। अन्य उपलब्ध सूचना की सची (स) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। जांच करवाई जा रही है।

(5) जी हां। स्पेशल ऑडिट हुआ। वसूलियों के संबंध में विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है जिलाधीश से प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(6) पंचायत समिति ने 4 फर्मों को उनके सामान को अस्वीकार कर देने से 1,20,290.77 पैसे की रकम नहीं चुकाई थी।

(7) जी हां। परन्तु ऐसी आज्ञा 1-11-66 को जारी की गई और सामान जनवरी, 1966 व अगस्त 1966 तक क्रय किया गया है।

(8) प्रारम्भिक जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट संख्या (५)

[अतारांकित प्रश्न संख्या (23) का उत्तर देखिये]

वर्ष 1955-56 में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सीधे नियुक्त किये गये ग्राम सेवकों की सूची।

क्र० सं०	नाम
1.	श्री राम किशन गौतम
2.	श्री महेन्द्र सिंह
3.	श्री प्रह्लाद राय न्याती
4.	श्री सीता राम शर्मा
5.	श्री प्रकाश राय एच० बक्षी
6.	श्री रतन राय सोलंकी
7.	श्री रणजीतसिंह सिन्घल
8.	श्री नारायण लाल
9.	श्री नन्दलाल शर्मा
10.	श्री नन्द किशोर पुरोहित
11.	श्री फूल शंकर चोबिसा
12.	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा
13.	श्री शंकर लाल जैन
14.	श्री राम गोपाल सोमानी
15.	श्री राधा किशन व्यास
16.	श्री मुरली धर शर्मा
17.	श्री नरपतसिंह राठोड़
18.	श्री प्रभु दयाल बोहरा
19.	श्री राम कुमार वर्मा
20.	श्री रामदेव सिंह अरुण
21.	श्री रफीक अमहद अजीज
22.	श्री रामेश्वर प्रशाद टेलर

Page No. 129

23. श्री रामबक्स पुरोहित
24. श्री राधेश्याम शर्मा
25. श्री प्रेमचन्द शर्मा
26. श्री राधेश्याम तिवाडी
27. श्री रोशनलाल जाट
28. श्री रामेश्वरलाल शर्मा
29. श्री प्रभुदयाल वोहरा
30. श्री पृथवीदान
31. श्री सज्जन सिंह मेहता
32. श्री शिवकुमार
33. श्री जहीर अहमद
34. श्री सज्जन सिंह चारण
35. श्री सोहन लाल मेहता
36. श्री शंभू सिंह
37. श्री श्रीनारायण
38. श्री ठाकूर राम
39. श्री यशवन्त कुमार
40. श्री सेवन्ती लाल
41. श्री ताराचन्द कलाल
42. श्री चुरमन लाल
43. श्री भगवतीलाल शर्मा
44. श्री छावर सिंह
45. श्री हीरा लाल पुर्विया
46. श्री रणजीत सिंह
47. श्री बाल कृष्ण
48. श्री धर्म सिंह
49. श्री मानसिंह प्रथम
50. श्री कमीम खान
51. श्री सुन्दर लाल
52. श्री संग्राम सिंह

वर्ष 1965-66 में ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 6 माह का प्रसार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र एरनपुरा पर भेजे गये ग्राम सेवकों की सूची 2

क्र० सं०	नाम
1	2
1.	श्री भंवर सिंह
2.	श्री हरीराम
3.	श्री हीरा लाल यादव
4.	श्री कान सिंह
5.	श्री मोहिन्दर सिंह दीलान
6.	श्री रामेश्वर लाल वर्मा
7.	श्री सत्य नारायण
8.	श्री अब्दुल सलाम
9.	श्री अभय सिंह
10.	श्री अर्जुन सिंह
11.	श्री भगवत लाल देशी
12.	श्री बंशीलाल कुमावत
13.	श्री भोज राज
14.	श्री वल्लभ राम
15.	श्री भीम सिंह
16.	श्री भजन लाल
17.	श्री मोहन लाल
18.	श्री भंवर लाल
19.	श्री भगवान स्वरूप
20.	श्री भूपाल सिंह
21.	श्री भूरदान
22.	श्री भागी रथ
23.	श्री वेला राम
24.	श्री भीम सिंह
25.	श्री वेरीसाल सिंह
26.	श्री भीम सेन
27.	श्री भूरा लाल

1	2
28.	श्री बंशीलाल जाट
29.	श्री चन्द्रपाल पालीवाल
30.	श्री चुन्नीलाल
31.	श्री छीतर सिंह
32.	श्री चिरंजी लाल
33.	श्री चन्द्रशेखर
34.	श्री चम्पा लाल
35.	श्री देवीदान
36.	श्री द्वारका प्रसाद
37.	श्री फतेह लाल
38.	श्री गणपत सिंह
39.	श्री गौतम लाल
40.	श्री गोपाल लाल
41.	श्री हजारी लाल
42.	श्री हगामी लाल
43.	श्री जगमाल
44.	श्री जानकी वल्लभ
45.	श्री जनत लाल
46.	श्री जालम सिंह

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न सं० 26 का उत्तर देखिये)

पूरक सूचना

इस जिले में विभागीय छात्रावासों के अलावा 3 (तीन) छात्रावास आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर के द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर चलाए जा रहे हैं:—

1 : गंगापुर
2 : हिन्डौन
3 : टोडाभीम

उपरोक्त तीनों छात्रावासों में मीणा जाति के ही छात्र हैं। इन छात्रावासों को 40 रुपये प्रति छात्र कक्षा 8 तक के छात्रों के लिये तथा 45 रुपये प्रति छात्र कक्षा 9 से 11 कक्षा तक के छात्रों के लिये सहायता दी जाती है।

उपरोक्त छात्रावासों के अतिरिक्त 2 तृतीय श्रेणी छात्रावास वामनवास एवं गुडाचन्द्रजी में चलाये जा रहे हैं। इन छात्रावासों में अनुसूचित जन जाति के छात्र रहते हैं। इन छात्रावासों में वार्डन को 30 रुपये प्रति माह तथा रसोइये को 40 रुपये प्रति माह दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भवन का किराया जल एवं रोशनी का व्यय भी विभाग द्वारा ही उठाया जाता है।

शुद्धि-पत्र

(दिनांक 23 जनवरी, 1968)

कॉलम संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्धि 3	शुद्धि 4
2	अन्तिम से 4	केसरीसिंह	श्री केशरीसिंह
3	अन्तिम	र	दर
4	17	आर्बीट्रटर	आर्बीट्रेटर
5	अन्तिम से 14	इश्यज	इश्यूज
22	4	श्री रामदवसिंह	श्री रामदेवसिंह
22	अन्तिम पंक्ति से 2	श्री मुकुटबिहारालाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
28	अन्तिम से 2	मंन जैस	मैंने जैसे
28	अन्तिम	चयरमेन	चैयरमेन
29	अन्तिम से 15	क्य	क्या
30	अन्तिम से 4	तालाब	तालाब
40	6	फसला	फैसला
51	अन्तिम से 12	लनै	लाने
51	अन्तिम से 7	बावजद	बावजूद
54	16	श्री नाराउर्णसिंह	श्री नारायणसिंह
61	अन्तिम से 10	यदी	यदि
62	अन्तिम से 10	फिक्सशन	फिक्सेशन
73	अन्तिम से 14	दुवार	दुवारा
77	अन्तिम से 7	करंग	करेंगे
87	प्रथम पंक्ति	देवदत्त	देवीदत्त
87	2	चाहना	चाहता
89	अन्तिम से 9	हूं	हैं
91	6	पेसा	पैसा
93	अन्तिम	ह	है
93	,,	ठकेदार	ठेकेदार
95	अन्तिम	(कनेकों)	अनेकों
110	अन्तिम से 14	करेंगी	करेंगे
110	अन्तिम से 8	बहर्गिमन	बहिर्गमन
112	1		

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

1	2	3	4
115	शीर्षक	श्री अभ्तलाल	श्री अमृतलाल
116	19	प्रचानल	प्रचालन
121	13	आंकड़	आंकड़े
122	अन्तिम से 12	कोलेक	को लेकर
124	अन्तिम	गमराह	गुमराह
134	अन्तिम से 12	न्यूतम	न्यूनतम
138	अन्तिम से 18	अलामकारी	अलाभकारी
142	शीर्ष	दिववाद	वाद विवाद
151	9	लता हूं	लेता हूं
167	अन्तिम से 3	स	इस
191	5	निति	नीति
191	15	बांसवड़ा	बांसवाड़ा
19	12	इसा	इसका
204	1	सब	सबें
209	अन्तिम से 10	आरबिट्रेरिली	आरबीट्रेरिली
233	1	भल	भूल

———